13

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड

विद्युत मंत्रालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-22)

तेरहवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

CPU No.
1028

तेरहवां प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2021-22)
(सत्रहवीं लोक सभा)

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड
विद्‌युत मंत्रालय

[नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्‌वारा की गई कार्रवाई]

04 फरवरी, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
04 फरवरी, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
फरवरी, 2022/ माघ, 1943 (शक)

सीपीयू सं.1028

मूल्य: रु.

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय एक	प्रतिवेदन	1-15
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है..	16-102
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है.........	103-106
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है..	107-113
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में अभी सरकार से अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं..	114-119

अनुबंध

अनुबंध एक	एनटीपीसी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु डीपीई को प्रस्तावित पैनल	120-129

परिशिष्ट

एक	समिति की 21 दिसम्बर, 2021 को हुई उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	130-131
दो	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	132

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना

***श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
6. श्रीमती पूनमबेन माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
17. श्री अनिल देसाई
18. श्री सैय्यद नासिर हुसैन
19. श्री ओम प्रकाश माथुर
20. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
21. श्री के.सी. राममूर्ति
22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी.तिवारी	-	अपर सचिव
2. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3. श्री जी. सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
4. श्रीमती मृगांका अचल	-	उप सचिव
5. श्री अरित्र दास	-	समिति अधिकारी

<u>प्राक्कथन</u>

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोकसभा) के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित यह तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. 8वां प्रतिवेदन 24 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 56 सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर विद्युत मंत्रालय से 26 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गए थे।

3. समिति (2021-22) ने 21 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। बैठक के कार्यवाही सारांश परिशिष्ट एक में दिए गए हैं।

4. 8वें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली	**संतोष कुमार गंगवार**
<u>24 जनवरी, 2022</u>	**सभापति**
04 माघ, 1943 (शक)	**सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

समिति का यह प्रतिवेदन "नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)" विषय पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन**,** जिसे **24** मार्च**, 2021** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था**,** में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। इसमें 56 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

2. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 56 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय दो)
क्रम सं. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
16,17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, (कुल : 46)
32, 33, 34,35, 36, 38,39, 40, 41, 42, 43,44, 45,
46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 और 56

(दो) टिप्पणियांसिफारिशें/, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है। (अध्याय तीन)
क्रम सं. 31 और 53 (कुल: 2)

(तीन) टिप्पणियांसिफारिशें/, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है। (अध्याय -चार)
क्रम सं. 3,30 और 37 (कुल: 3)

(चार) टिप्पणियांसिफारिशें/, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं और अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं । (अध्याय पाँच)
क्रम सं. 5,11, 13, 21 और 23 (कुल: 5)

3. समिति विद्युत मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण/उत्तर प्रस्तुत करे । आगे समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर 3 महीने के भीतर अंतिम और व्यापक की-गई-कार्रवाई टिप्पण/उत्तर भी प्रस्तुत किए जाएं जिन पर सरकार द्वारा अंतरिम/अधूरी जानकारी दी गई हैं।

4. समिति अब अनुवर्ती पैराओं में कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

विषय विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम सं. 3)

5. समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में विषय विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के संबंध में निम्नवत सिफारिश की:-

" समिति ने नोट किया कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में दिए गए निदेशक मंडल (बीओडी) की संरचना यह दर्शाती है कि सात स्वतंत्र निदेशकों में से चार सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता अन्य विशेषताओं में है, जैसे भौतिकी, गणित, भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान और केवल एक स्वतंत्र निदेशक के पास ही ताप-विद्युत की डोमेन विशेषज्ञता है और ऐसा लगता है कि किसी भी स्वतंत्र निदेशक को 'पर्यावरण' विषय में कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं है। पर्यावरण में विषय विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति बोर्ड की 26 जून, 2006 को हुई 288वीं बैठक में लिए गए बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध जाती है, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एनटीपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा जिनकी इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता होनी चाहिए अर्थात (i) अर्थशास्त्र (ii) मानव संसाधन प्रबंधन, (iii) नियामक ढांचा, (iv) विनिर्माण क्षेत्र से प्रख्यात उद्योगपति, (v) प्रबंधन सलाहकार, (vi) पर्यावरण, (vii) वित्त और बैंकिंग , (viii) ऊर्जा और शक्ति, (ix) शिक्षाविद (x) अनुसंधान और विकास। वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 और 2019-20 में निहित निदेशक मंडल की नवीनतम संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह सेवानिवृत्त सिविल सेवकों से भरा हुआ है, जिनके पास स्पष्ट रूप से आवश्यक क्षेत्रों में कोई

विषय विशेषज्ञता/क्षेत्र-विशेष की क्षमता नहीं है। इस प्रकार, बोर्ड की 26 जून, 2006 को आयोजित 288वीं बैठक में पारित किए गए बोर्ड के संकल्प के विरुद्ध ऐसे सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को लेकर स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरा गया, जिनके पास क्षेत्र-विशेष की क्षमता/विषय विशेषज्ञता नहीं है, और साथ ही यह कंपनी के व्यावसायिक और वाणिज्यिक विकास के भी विरुद्ध है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाजार में पेशेवरों की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है, समिति सिफारिश करती है कि एनटीपीसी बोर्ड की बैठक में ही निर्णय के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के पदों को आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों से ही भरा जाए।

6. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

" लोक उद्यम विभाग का उत्तर :

जहां तक **'पर्यावरण'** के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का संबंध है**,** यह बताया जाता है कि श्री विनोद कुमार**,** पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी को अक्टूबर**, 2017** से अक्टूबर**, 2020** तक एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने सेवाकाल के दौरान**,** श्री विनोद कुमार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक**,** ओडिशा वन विकास निगम लिमिटेड के एमडी**,** मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक आदि जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया**,** जिसमें वन/पर्यावरण/ वन संबंधित मुद्दों की निकट समझ/ज्ञान शामिल था। अत: एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री विनोद कुमार थे**,** जिन्हें **'पर्यावरण'** के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति माना जा सकता है। आगे यह बताया जाता है कि सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से आते हैं और इसलिए विद्युत मंत्रालय को डीपीई को नामों का पैनल प्रस्तुत करते समय उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया जा सकता है।

7. समिति ने एनटीपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की विषय विशेषज्ञता और मुख्य क्षमता की कमी पर चिंता व्यक्त की थी। एनटीपीसी बोर्ड ने 26 जून, 2006 को हुई अपनी 288 वीं बैठक में एक संकल्प पारित किया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि नामित स्वतंत्र निदेशकों को (i) अर्थशास्त्र (ii) मानव संसाधन प्रबंधन (iii) विनियामक ढांचे, (iv) विनिर्माण क्षेत्र से प्रख्यात उद्योगपति, (v) प्रबंधन सलाहकार, (vi) पर्यावरण, (vii) वित्त और बैंकिंग, (viii) ऊर्जा और शक्ति, (ix) शिक्षाविदों (x) अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में विशेषज्ञता होनी चाहिए । समिति ने पाया कि बोर्ड में नियुक्त अधिकांश लोग सिविल सेवक थे जिनके पास अपेक्षित डोमेन विशेषज्ञता की कमी थी, जबकि बाजार में पेशेवरों की कोई कमी नहीं थी । समिति यह पाती है कि ऊर्जा मंत्रालय ने समिति की इस टिप्पणी पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) का उत्तर अग्रेषित कर दिया है।यह पाया गया है कि डीपीई ने इस बात को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है कि स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त एक आईएफएस अधिकारी ने वनों/पर्यावरण संबंधी मुद्दों की बारीकी से समझ/ज्ञान से जुड़े विभिन्न पदों पर काम किया था और इस प्रकार उन्हें 'पर्यावरण' में डोमेन विशेषज्ञता के रूप में माना जा सकता है । समिति यह पाती है कि डीपीई आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति के एक उदाहरण को न्यायोचित ठहराते हुए बोर्ड में डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता के बड़े मुद्दे से भटक रहा है जो एनटीपीसी के कार्यकरण में अधिक अनुभव, व्यावसायिकता, प्रभावकारिता, विशेषज्ञता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा । इसके अलावा, आश्चर्यजनक रूप से डीपीई इस सीमा तक पहुंच गया कि उसने संसदीय समिति को आदेश दिया कि वे ऊर्जा मंत्रालय को निदेश दें कि डीपीई को पैनल नाम प्रस्तुत करते समय समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाए। समिति डीपीई और ऊर्जा मंत्रालय की भूमिका से भली-भांति अवगत है और उनका यह दृढ़ विचार है कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे मामले में संसदीय समिति को शामिल किए बिना आपस में अंतर-विभागीय मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए । ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विभाग की ऐसी ढुलमुल प्रतिक्रिया उनकी गैर-गंभीरता को दर्शाती है जिसका सीधा असर सीपीएसयू के समग्र प्रदर्शन पर पड़ता है । समिति ने इस उत्तर पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए डीपीई को सलाह दिया है कि वह भविष्य में संसदीय समितियों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें। समिति ने इस बात पर पुनः जोर दिया है कि सरकार समिति की टिप्पणियों को अक्षरशः नोट करे और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दे कि सीपीएसयू बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में

डोमेन विशेषज्ञता/मुख्य क्षमता रखने वाले और संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों को ही लिया जाए।

निदेशक मंडल में महिला निदेशकों की अनुपस्थिति

सिफारिश (क्रम सं. 4)

8. समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में महिला निदेशक की रिक्ति को भरने के संबंध में निम्नवत सिफारिश की:-

" कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम-से-कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। सेबी की सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलआईडीओआर) सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होने के लिए समान आवश्यकता निर्धारित करती है। तथापि, एनटीपीसी के बोर्ड की वर्तमान संरचना दर्शाती है कि बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है। उन्हें सौंपी गई जानकारी के समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि **28.02.2015** से **17.11.2015** तक कोई महिला निदेशक नहीं थी और यह पद **16.11.2019** के बाद से फिर से खाली हो गया।समिति ने यह पाया है कि एनटीपीसी द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद, लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी, मंत्रालय ने अभी तक एनटीपीसी के बोर्ड में एक भी महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि वे इस संबंध में निर्णय प्राप्त करने के लिए अभी तक इस मामले को डीपीई के साथ लगातार उठा रहे हैं। समिति ने महिला स्वतंत्र निदेशक को भरने में अत्यधिक देरी को गंभीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि -

(i) डीपीई को एनटीपीसी में महिला निदेशक की नियुक्ति में असामान्य देरी के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, इस मुद्दे पर अनावश्यक रूप से लंबी अवधि लेने के

विशिष्ट कारणों से समिति को अवगत कराना चाहिए और भविष्य में इस तरह के अत्यधिक विलंब की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की दृष्टि से जिम्मेदार कारकों की पहचान करनी चाहिए;

(ii) विद्युत मंत्रालय को एनटीपीसी के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति में डीपीई द्वारा अत्यधिक देरी के बारे में सूचित करते हुए मामले को कैबिनेट सचिव स्तर तक उठाना चाहिए।

9. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

" लोक उद्यम विभाग का उत्तर

(i) स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशकों की नियुक्ति सीपीएसई के बोर्ड में सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। सर्च कमेटी की पिछली बैठक 25 अक्टूबर, 2019 को हुई थी। चूंकि तब से सर्च कमेटी की बैठक नहीं हुई है, इसलिए एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की सिफारिशें प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। डीपीई, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में सर्च कमेटी की अगली बैठक में, जब भी बुलाई जाएगी, रखेगा।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर :

(ii) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 04.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एनटीपीसी में स्वतंत्र निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए डीपीई को एक प्रस्तावित पैनल अग्रेषित किया है जिसमें एनटीपीसी बोर्ड में महिला निदेशक की 01 रिक्ति के विरुद्ध 04 महिलाएं शामिल की गई हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।

10. समिति ने डीपीई से सिफारिश की थी कि वे एनटीपीसी में महिला निदेशक की नियुक्ति में असामान्य देरी के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और समिति को इस मुद्दे पर अनावश्यक रूप से लंबा समय लेने के विशिष्ट कारणों से अवगत कराए और भविष्य में ऐसी अनावश्यक देरी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से

जिम्मेदार कारकों की पहचान करे। डीपीई ने ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत अपने उत्तर में बताया कि खोज समिति की अंतिम बैठक 25 **अक्टूबर** 2019 **को हुई थी और उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई थी। महिला निदेशक के संबंध में ऊर्जा मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि उन्होंने डीपीई को** 04 **अगस्त** 2021 **को महिला निदेशक की 01 रिक्ति के लिए** 04 **महिलाओं का एक पैनल भेजा था। डीपीई ने बताया कि एनटीपीसी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को खोज समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति ऊर्जा मंत्रालय और डीपीई का उत्तर को बहुत ही ढुलमुल पाती है क्योंकि एनटीपीसी में महिला निदेशक का पद** 16 **नवंबर 2019 रिक्त था और ऊर्जा मंत्रालय ने इस मामले को डीपीई के साथ तब तक नहीं उठाया जब तक समिति द्वारा इस पर कारवाई नहीं की गई। आगे, डीपीई प्रत्याशित रिक्तियों के लिए** 25 **अक्टूबर**, 2019 **को हुई खोज समिति की बैठक में प्रस्ताव रख सकते थे और उम्मेदवार चुन सकते थे। डीपीई ने अपने उत्तर में विलंब के लिए खोज समिति की बैठक न आयोजित होने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं बताया। समिति विद्युत मंत्रालय और डीपीई दोनों के ढुलमुल रवैये को नोट करते हुए इस बात पर पुनः जोर देती है कि सीपीएसयू बोर्ड में प्रत्याशित रिक्तियों को भरने में हो रहे विलंब के कारकों की पहचान की जाए**, **उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएं और महिला निदेशक के पद जो डीपीई दिशानिर्देशों**, **कंपनी अधिनियम** 2013 **और सेबी (एलओडीआर) के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता है**, **को अविलंब भरा जाए। समिति वर्षों से खोज समिति की बैठक न बुलाने के कारणों और खोज समिति के कार्यकरण को नियंत्रित करने वाली विनियामक व्यवस्था के संबंध में भी जानना चाहेगी।**

एनटीपीसी समूह की कंपनियों के लिए भुगतान गारंटी तंत्र लागू न होना

सिफारिश (क्रम सं. 23)

11. समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में एनटीपीसी समूह की कंपनियों के लिए भुगतान गारंटी तंत्र लागू न होने के संबंध में निम्नवत सिफारिश की:-

" समिति ने देखा है कि एनटीपीसी समूह की कंपनियों जैसे एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एनटीईसीएल) और कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल) विशाल देनदार हैं और डिस्कॉम्स को नियमित रूप से अनुरोध करने के बावजूद ये कंपनियां समय पर अपना बकाया वसूल नहीं कर पा रही हैं। एनटीपीसी समूह की कंपनियों पर टीपीए

लागू नहीं होता है। समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने उपरोक्त दो समूह कंपनियों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डिस्कॉम द्वारा जेवी कंपनियों को भुगतान की जाने वाली एक बड़ी बकाया राशि मौजूद है और एनटीपीसी जेवी कंपनियों पर टीपीए भी लागू नहीं है, समिति सिफारिश करती है कि-

i. मंत्रालय को इस मुद्दे को डिस्कॉम और संबंधित राज्य सरकारों के साथ गंभीरता से उठाना चाहिए और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रमों की लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निरंतर उसकी निगरानी करनी चाहिए;
ii. एनटीपीसी समूह की कंपनियों द्वारा संचालित संयंत्रों को भुगतान गारंटी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए टीपीए का विस्तार करने की संभावना का पता लगाया जाए।."

12. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"ऊर्जा मंत्रालय का उत्तर:

चूककर्ता डिस्कॉम्स/राज्यों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी कदमों का पता लगाया जा रहा है, जिसमें डिस्कॉम द्वारा प्राप्त राजस्व से भुगतान के लिए डिस्कॉम के साथ कठोर अनुवर्तन, राज्य सरकार से डिस्कॉम द्वारा प्राप्त सब्सिडी, पीएफसी और आरईसी के माध्यम से तरलता इन्फ्यूजन (भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना के तहत) और राज्य के खाते से सीधे भुगतान के माध्यम से प्राप्ति शामिल है।."

13. समिति को अवगत कराया गया है कि चूक करने वाले डिस्कॉम/राज्यों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें डिस्कॉम के साथ उनको प्राप्त राजस्व से भुगतान के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई, राज्य सरकारों से डिस्कॉम को प्राप्त सब्सिडी, पीएफसी और आरईसी के माध्यम से संचारित लिक्विडिटी (भारत सरकार आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत) और राज्य के खाते से सीधे भुगतान शामिल हैं। तथापि, विद्युत मंत्रालय का उत्तर समिति की सिफारिश से बिल्कुल भी संगत नहीं है जिसमें उन्होंने विद्युत आपूर्ति के लिए सुनिश्चित भुगतान करने हेतु एनटीपीसी समूह की कंपनियों द्वारा संचालित संयंत्रों में टीपीए का विस्तार करने की संभावना तलाशने के लिए कहा था। अतः

समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है और इस पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई से अवगत कराने की इच्छा व्यक्त करती है।

टीपीपी को ईंधन की आपूर्ति - सूत्र की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम सं. 30)

14. समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में टीपीपी को ईंधन की आपूर्ति - सूत्र की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में निम्नवत सिफारिश की:-

" समिति ने नोट किया कि एनटीपीसी द्वारा संचालित टीपीपी को ईंधन की आपूर्ति कोयला उत्पादकों जैसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के साथ किए गए दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति समझौतों (सीएसए) के माध्यम से की जा रही है, जो हर पांच साल के बाद समीक्षा के प्रावधान के साथ 20 साल के लिए वैध हैं। समिति को सौंपी गई जानकारी के समिति के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए -

i. एसीक्यू का भौतिकीकरण 2015-16 में 91.0% की परिधि में था जब इसे 145.18 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) एमएमटी कोयला प्राप्त हुआ था जबकि इसकी तुलना में 2012-13 में एसीक्यू 159.20 एमएमटी और 105% था जब इसे एसीक्यू 135.89 के मुकाबले 142.40 एमएमटी कोयला प्राप्त हुआ।

ii. एनटीपीसी द्वारा उपरोक्त (i) (क) से (च) में उल्लिखित स्रोतों के माध्यम से कोयले की कुल घरेलू प्राप्ति 2010-11 में 126.72 एमएमटी से बढ़कर 2019-20 में 172 एमएमटी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम आयात हुआ है जिसमें 2010-11 में 10.50 एमएमटी से 2019-20 में 2.84 एमएमटी तक की गिरावट देखी गई है। ।

iii. कोयले की कमी (घरेलू आपूर्ति और आयात दोनों को ध्यान में रखते हुए) के कारण उत्पादन हानि 2012-13 में 12,966 मिलियन यूनिट (एमयू) से लेकर 2015-16 में 189 एमयू तक थी। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि क्रमशः 8,180 और 6,656 एमयू रही है।

iv. एनटीपीसी की अपनी खानों से आबद्ध कोयले का उत्पादन 2016-17 में 0.09 एमएमटी से बढ़कर 2019-20 में 9.92 एमएमटी हो गया है।

समिति ने नोट किया कि सीएसए का खंड 3.6.1 एसीक्यू की तुलना में गैर-भौतिकीकरण या कम आपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान करता है। प्रयोग में लाए गए सूत्र से पता चलता है कि कोयले की मात्रा, जिसकी विक्रेता द्वारा वर्ष के दौरान आपूर्ति नहीं की जा सकती थी क्योंकि रेलवे इस तथ्य के बावजूद द्वारा वैगनों को आवंटित नहीं कर रहा था या लदान के लिए वैगन नहीं रख रहा था कि क्रेता द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के संदर्भ में विक्रेता द्वारा रेलवे को विशिष्ट वैध मांगपत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, को कोयले की कम आपूर्ति के लिए दंड लगाने का कारण नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कम वितरण के लिए मुआवजा सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ही लागू होता है। समिति का विचार है कि यह अनुचित है क्योंकि वैगनों का आवंटन न करने और लदान के लिए वैगनों को न रखने के कारण कम आपूर्ति होती है जिससे उत्पादन हानि और वित्तीय हानि भी हो रही है। इसलिए समिति सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए वितरण के स्तर की गणना में उपयोग किए जाने वाले सूत्र की समीक्षा करने की सिफारिश करती है ताकि किसी भी पक्षकार को अनुचित वित्तीय और परिचालन संबंधी कठिनाई से बचा जा सके।"

15. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

" विद्युत मंत्रालय का उत्तर :

एनटीपीसी ने घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन को लागू करने के लिए 12.04.2017 को सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के साथ एक पूरक समझौता किया है। पूरक समझौते के अनुसार, उठान/डिलीवरी के कट-ऑफ स्तर (सीएलएल/सीएलडी) की गणना सभी एनटीपीसी संयंत्रों और संयुक्त उद्यमों के संयुक्त एसीक्यू को ध्यान में रखते हुए सहायक स्तर के आधार पर की जाती है।

एनटीपीसी ने एफएसए की समीक्षा के लिए विभिन्न संचारों के माध्यम से सीआईएल से एनटीपीसी स्तर पर समेकित एसीक्यू आधार पर कम डिलीवरी/उठान के लिए मुआवजे की गणना करने का अनुरोध किया है।

2018 के दौरान सीआईएल द्वारा तैयार किए गए फ्लेक्सी एफएसए में, एनटीपीसी ने प्रस्तावित किया था कि मानित डिलीवर की गई मात्रा की गणना के लिए रेलवे फैक्टर (आरएफ) पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एनटीपीसी का रेलवे पर कोई नियंत्रण नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 11.12.2020 को कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच एक बैठक में, यह बताया गया कि मार्च 2021 तक निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) और शास्ति समाप्त कर दी गई है। "

16. समिति ने अपनी सिफारिश में यह कहा था कि वैगनों का आवंटन न होने या लोडिंग के लिए वैगन न रखने के कारण कम आपूर्ति से कंपनी को उत्पादन हानि और वित्तीय नुकसान हो रहा है। अतः, समिति ने सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए डिलीवरी के स्तर की गणना में उपयोग किए जाने वाले फार्मूले की समीक्षा करने की सिफारिश की थी ताकि किसी भी पक्ष को अनुचित वित्तीय नुकसान और प्रचालनात्मक कठिनाई न हो । समिति ने उत्तर से यह नोट किया कि मंत्रालय ने गणना के मौजूदा फार्मूले के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। समिति ने इस विषय की जांच करते समय पाया था मौजूदा फार्मूला अतार्किक था क्योंकि वैगनों का आवंटन नहीं करने या लोडिंग के लिए वैगन नहीं रखने के कारण उत्पादन हानि और वित्तीय हानि भी हो रही थी। अतः, समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है कि डिलीवरी के स्तर की गणना में प्रयुक्त मौजूदा फार्मूले की समीक्षा की जाए ताकि किसी भी पक्ष को अनुचित वित्तीय और प्रचालनात्मक कठिनाई न हो।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे - फ्लाई एश का निपटान

सिफारिश (क्रम सं. 37)

17. समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में पर्यावरण संबंधी मुद्दे - फ्लाई एश का निपटान के संबंध में निम्नवत सिफारिश की:-

" समिति नोट करती है कि फ्लाई एश का उत्पादन से अंत्य उत्पाद एक एकीकृत तरीके से

निपटान करने के लिए एनटीपीसी की फ्लाई ऐश उपयोग नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने के अलावा उत्पादक प्रयोजनों के लिए राख के उपयोग को अधिकतम बनाना है। एनटीपीसी नीति में प्रयोक्ता उद्योगों जैसे सीमेंट, आरएमसी आदि को बोली प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाई ऐश की बिक्री की परिकल्पना की गई है और वर्तमान में, फ्लाई ऐश 14 एनटीपीसी स्टेशनों पर मूल्य पर जारी की जा रही है और 10 एनटीपीसी स्टेशनों पर उसे नि:शुल्क जारी किया जा रहा है। सभी एनटीपीसी स्टेशनों पर पॉन्ड एश नि:शुल्क जारी की जाती है। एनटीपीसी नीति में फ्लाई ऐश ईंट निर्माण इकाइयों और एनएचएआई और राज्य सरकारों की सड़क परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी द्वारा राख के परिवहन की लागत को वहन करने की परिकल्पना की गई है। एनटीपीसी नीति में नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ईंट विनिर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर 1 रु/एमटी की दर से कम-से-कम 20% फ्लाई एश की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। समिति के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि फ्लाई एश का उत्पादन जो 2015-16 में 588.28 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था, वह 2019-20 में बढ़कर 604.76 एलएमटी हो गया है और इस प्रकार पांच वर्षों में केवल 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।तथापि, ताप-विद्युत उत्पादन क्षमता जो मार्च, 2016 के अंत में 35,085 मेगावाट थी, मार्च, 2020 के अंत में बढ़कर 44,610 मेगावाट हो गई, अर्थात इसी अवधि के दौरान इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसी अवधि के दौरान तापीय उत्पादन क्षमता में 27% की वृद्धि होने की बावजूद राख के उत्पादन में मात्र 2.7% की वृद्धि ही कैसे हुई है। इसलिए समिति समान अवधि के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि और फ्लाई ऐश उत्पादन के बीच मेल न होने के कारणों से अवगत होना चाहेगी। इसके अलावा, समिति एनटीपीसी को अपने ताप विद्युत संयंत्रों की विभिन्न इकाइयों में उत्पन्न फ्लाई एश के निपटान में उच्च राजस्व प्राप्ति की संभावना का पता लगाने के लिए सुझाव देना चाहती है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी स्थानीय अधिकारियों और क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करते हुए, निकटतम थर्मल पावर स्टेशनों से फ्लाई एश का उपयोग करते हुए ईंटों, टाइलों, ब्लॉक आदि के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है।."

18. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"विद्युत मंत्रालय का उत्तर :

एनटीपीसी स्टेशनों पर 2015-2016 से 2020-21 तक राख उत्पादन इस प्रकार है:

वर्ष	फ्लाई ऐश उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	बिजली का उत्पादन (एमयू)
2015-16	588.275	230636
2016-17	584.60	237964
2017-18	603.13	252356
2018-19	602.20	262475
2019-20	604.76	249708
2020-21	624.68	260431

राख का उत्पादन कोयले की खपत और कोयले में राख की मात्रा पर निर्भर करता है। वर्ष के विभिन्न समयों पर प्राप्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा में भिन्नता के कारण बिजली उत्पादन क्षमता और राख उत्पादन में मामूली तौर पर सामंजस्य का अभाव होता है।

वर्तमान में 15 स्टेशनों से फ्लाई ऐश की बिक्री की जा रही है। एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में 171.72 करोड़ रुपये जो कि 2019-20 में अर्जित राजस्व (162.49 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 7% अधिक अर्जित किया है। पिट हेड स्टेशनों पर ऐश (राख) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसका कोई खरीदार नहीं है क्योंकि सीमेंट संयंत्र शहरी केंद्रों के पास स्थित हैं, जो इन विद्युत स्टेशनों से दूर है| तथापि, स्टेशन जहां भी संभव हो फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं।"

19. समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने निकटतम थर्मल पावर स्टेशनों से फ्लाई ऐश का उपयोग करके ईंटों, टाइल्स और ब्लॉक आदि के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। फ्लाईऐश के निस्तारण से अधिक राजस्व वसूली की संभावना तलाशने के उद्देश्य से क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरणों/निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की समिति की सिफारिश पर भी विद्युत मंत्रालय मौन है। इसके अलावा, मार्च,

2016 **से मार्च**, 2020 **की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में** 27 **प्रतिशत की वृद्धि और राख के उत्पादन में केवल** 2. 7 **प्रतिशत की वृद्धि के अंतर पर भी मंत्रालय द्वारा कुछ नहीं बताया गया । समिति** 2019-20 **की तुलना में** 2020-21 **के दौरान उच्च राजस्व वसूली की सराहना करती है। तथापि**, **समिति उपरोक्त मुद्दों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया की इच्छा व्यक्त करते हुए यह चाहती है कि फ्लाई ऐश का नियोजित निपटान हो क्योंकि लंबे समय तक फ्लाई ऐश के जमा होने से यह आसपास के क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय खतरा बन सकता है ।**

स्टेशनवार फ्लाई ऐश का उत्पादन और उपयोग

सिफारिश (क्रम सं. 39)

20. समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में स्टेशनवार फ्लाई ऐश का उत्पादन और उपयोग

के संबंध में निम्नवत सिफारिश की:-

" वर्ष 2018-19 में स्टेशनवार राख उत्पादन और इसके उपयोग के आंकड़ों के समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि राख का सबसे कम उपयोग बोंगाईगांव में 30.77 प्रतिशत था और उच्चतम उपयोग टांडा में 286.58 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के दौरान सबसे कम और उच्चतम राख उपयोग 0.27 प्रतिशत और 168.55 प्रतिशत (पिछले वर्षों के दौरान उपयोग और उत्पादित राख सहित) क्रमशः लारा और सिम्हाद्री विद्युत संयंत्रों में देखा गया था। डाटा आगे बताता है कि वर्ष 2018-19 में पिछले वर्षों के दौरान उत्पादित राख सहित सात टीपीपी (i) 100 प्रतिशत या अधिक राख का उपयोग कर सके हैं; जबकि अन्य ने (ii) 50-99 प्रतिशत के बीच; और (iii) 50 प्रतिशत से कम का उपयोग किया। 23 टीपीपी में से, जिनके संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए डाटा उपलब्ध है, (i) केवल 09 (नौ) टीपीपी 100 प्रतिशत या अधिक का उपयोग कर सके हैं, (ii) चार टीपीपी केवल 50 -99 प्रतिशत का उपयोग कर सके हैं और (iii) 10 (दस) टीपीपी उत्पन्न राख के 50 प्रतिशत से कम का उपयोग कर पाए हैं। समिति बोंगाईगांव टीपीपी में उत्पादित राख के बहुत कम उपयोग के विशिष्ट कारणों, इसके उपयोग में सुधार के लिए उठाए गए कदमों, फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए किए गए / किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रयासों और उसके परिणामों से अवगत होना चाहेगी।

21. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

" विद्युत मंत्रालय का उत्तर :

• एनटीपीसी बोंगाईगांव अपने राख उपयोग में लगातार सुधार कर रहा है। पिछले तीन वर्षों का प्रतिशत राख उपयोग डाटा इस प्रकार है।

2018-19 - 30.70 प्रतिशत

2019-20 - 45.39 प्रतिशत

2020-21 - 62.73 प्रतिशत

• वर्तमान में, एनटीपीसी बोंगाईगांव सीमेंट और ईंट उद्योग में राख का उपयोग कर रहा है। स्थानीय गड़बड़ी और रुक-रुक कर होने वाली वर्षा के कारण कभी-कभी फ्लाई ऐश की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, जिसके दौरान सीमेंट कंपनियां फ्लाई ऐश उठाने के लिए बल्कर नहीं लगा सकती हैं।

• राख के 100 प्रतिशत उपयोग को प्राप्त करने के लिए स्टेशन की सड़क परियोजनाओं में भी राख का उपयोग करने की योजना है। "

22. समिति एनटीपीसी के प्रयासों की सराहना करती है कि उन्होंने बोंगईगांव में अपनी इकाई के फ्लाईऐश उपयोग को 2018-19 **के** 30.70% **से बढ़ाकर** 2020-21 **के दौरान** 62.73% **किया। हालांकि, यह इकाई अभी भी अपनी अन्य इकाइयों से काफी पीछे है जिन्होंने** 100% **या उससे अधिक उपयोग हासिल किया है। सार्थक तरीके से फ्लाईऐश के शत-प्रतिशत उपयोग पर लगातार जोर देने के पीछे समिति का उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरण को परिहार्य वायु, जल और मृदा प्रदूषण से बचाना है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि उसके पास एक विस्तृत उत्तर भेजा जाए जिसमें स्टेशनवार फ्लाई-ऐश उत्पादन, इसके उपयोग प्रतिशत, एनटीपीसी द्वारा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय और शत-प्रतिशत उपयोग प्राप्त करने में प्रत्येक स्टेशन के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया हो।**

अध्याय दो

सिफ़ारिशें/टिप्पणियाँ जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

एनटीपीसी- एक संक्षिप्त परिचय

सिफारिश (क्र.स.1)

समिति नोट करती है कि एनटीपीसी लिमिटेड, भारत सरकार की एक महारत्न कम्पनी भारत में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक है। यह विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। इसे 7 नवंबर, 1975 को एक पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था जिसका उद्देश्य बड़े ताप विद्युत संयंत्र तथा इससे जुड़े पारेषण प्रणाली की स्थापना करना था जिससे कि देश में समेकित विद्युत क्षेत्र का विकास किया जा सके। एनटीपीसी ने 2004 में इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) और 2010 में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) लेकर आई। भारत सरकार ने बिक्री हेतु प्रस्ताव की विभिन्न किश्तों (ट्रांच), कर्मचारियों को बिक्री का प्रस्ताव, भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और सीपीएसई ईटीएफ के माध्यम से समय-समय पर अपना अंश कम कर दिया है। इस समय भारत सरकार का कंपनी में 51.02% हिस्सा है, शेष संस्थागत निवेशकों और पब्लिक के पास है। वर्षों के दौरान एनटीपीसी को वैश्विक कंपनी का दर्जा प्राप्त हो गया है। 2019 की प्लेट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनियों में एनटीपीसी को विश्व में दूसरे नंबर का 'स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और ऊर्जा ट्रेडर' के रूप में मान्यता दी गई है । इसके अतिरिक्त 2020 के लिए फ़ोरब्स द्वारा संकलित 'ग्लोबल 2000' कंपनियों की सूची में एनटीपीसी को विश्व की बड़ी कंपनियों में 497 वां दर्जा दिया गया है। एनटीपीसी की कुल क्षमता (संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों सहित) 62,910 एम डब्ल्यू है, जिसमें से एनटीपीसी के प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में 51,155 एम डब्ल्यू है (24 स्थानों में कोयला आधारित संयंत्र, 45,410 एम डब्ल्यू , 07 स्थानों में गैस /तरल ईंधन आधारित 4,017 एमडब्ल्यू , 01 स्थान में 800 एमडब्ल्यू जल विद्युत परियोजना, 11 स्थानों में 870 एमडब्ल्यू सौर पीवी संयंत्र, 01 स्थान में 50 एम डब्ल्यू पवन परियोजना

और एक स्थान में 8 एमडब्ल्यू लघु जल विद्युत परियोजना)। कुल क्षमता 11,755 एमडब्ल्यू है जो संयुक्त उद्यम /सहायक कंपनियों के अंतर्गत है, इसमें 09 कोयला आधारित 6,494 एमडब्ल्यू, 4 स्थानों में गैस विद्युत संयंत्रों से 2,494 एमडब्ल्यू, एक स्थान में 5 एमडब्ल्यू सौर पीवी संयंत्र, आठ स्थानों में 2,625 एमडब्ल्यू जल विद्युत संयंत्रों से, एक स्थान में 24 एमडब्ल्यू लघु जल विद्युत संयंत्र और दो स्थानों में 113 एमडब्ल्यू पवन ऊर्जा संयंत्र। 35 स्थानों में (बांग्लादेश में 1320 एमडब्ल्यू सहित) 20,533 एमडब्ल्यू क्षमता निर्माणाधीन है।

समिति नोट करती है कि एनटीपीसी का लक्ष्य वर्ष 2032 तक आर्गेनिक और गैर-आर्गेनिक दोनों तरीकों से 32 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत को ग्रिड से जोड़ने का है। एनटीपीसी ने अपने नवीकरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रूफ टॉप सौर संयंत्रों, परियोजनाओं के जलाशयों में फ्लोटिंग सौर संयंत्रों जैसे पारम्परिक बड़े सौर और पवन पार्कों से हट कर कुछ अलग बड़ा काम करने की योजना बनाई है। समिति 2032 तक 32 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत को ग्रिड से जोड़ने के लक्ष्य को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अति महत्वाकांक्षापूर्ण मानती है कि विभिन्न कारणों से एनटीपीसी की बहुत सी परियोजनाओं में कई वर्षों का विलम्ब हुआ है और कम्पनी ने विगत 10 वर्षों के दौरान मात्र 586 मेगावाट गैस आधारित विद्युत की बढ़ोत्तरी की है और विगत 6 वर्षों के दौरान मात्र 2325 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन किया है और विगत 7 वर्षों के दौरान सौर, पवन और बायोगैस के माध्यम से लगभग 928 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन किया है । समिति पर्यावरण, कम होते जीवाश्म संसाधनों पर सरकार और पूरे विश्व की चिन्ताओं को समझती है जिससे विद्युत उद्योग जीवाश्म ईंधन आधार से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ प्रोत्साहित होता है और एनटीपीसी अब सरकार के दिशा निर्देशों पर चलते हुए अपने नीतिगत परिवर्तन के अनुसार गैर ओर्गेनिक तरीके से विकसित होने का विकल्प चुना है | नए नीतिगत परिवर्तन और सरोकारों के आलोक में समिति ने अपने प्रतिवेदन में गैर-जीवाश्म ईंधनों और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र पेशेवरों की एनटीपीसी के बोर्ड में नियुक्ति करने, सौर उत्पादों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए सौर

उपस्कर और कलपूर्जों के स्वदेशी विनिर्माण जिसने वर्तमान में 75 प्रतिशत का आंकड़ा छू लिया है, को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के अन्दर एक नीति बनाने हेतु सरकार पर जोर देने जैसे कई मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया है। इसके अलावा समिति ने संरक्षा पर व्यय बढ़ाने पर बल देने और संरक्षा के क्षेत्र में संरक्षा उपकरणों की खरीद और संरक्षा प्रशिक्षण हेतु एक अलग से समर्पित बजट रखने और चमोली जिले में हाल ही में तपोवन परियोजना में घटित आपदा जैसी दुर्घटनाओं और आपदाओं के दौरान अपनाई जाने वाली स्थाई प्रचालन प्रक्रियाओं के उपयोग पर जोर दिया है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में एक निश्चित समय सीमा के अन्दर एनटीपीसी के सभी संयंत्रों में फ्लाई-ऐश का अधिकाधिक उपयोग करने, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) की स्थापना करने, अधिक से अधिक जल का संरक्षण करने, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशिष्ट का अधिकाधिक उपयोग करने, म्यूनिसीपल ठोस कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने, इत्यादि पर बल देते हुए पर्यावरणीय मुद्दों को भी उल्लेख किया है। समिति को इस बात में कोई शंका नहीं है कि एनटीपीसी विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन करने वाला सर्वश्रेष्ठ सरकारी उपक्रम है और अपनी स्थापना के बाद से ही इसने अपने लाभांशों और करों के माध्यम से केन्द्र सरकार के खजाने से 1 लाख करोड़ रूपया से भी अधिक का योगदान किया है। उनके कार्य निष्पादन का पता इस बात से भी चलता है कि कम्पनी ने विगत 10 वर्षों के दौरान अपने अनुसंधान और विकास कार्यों से विभिन्न क्षेत्रों में 21 पेटेण्ट और 9 कॉपीराइट प्राप्त किए हैं। आज पूरे विश्व में एनटीपीसी का कुल अधिष्ठापित क्षमता में 13वां स्थान, विद्युत उत्पादन में 7वां और कोयला आधारित क्षमता और मशीन उपलब्धता में तीसरे स्थान पर है। इसने उत्कृष्टता और मानव संसाधन उत्पादकता में कई अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। समिति अपेक्षा करती है कि समिति की टिप्पणियों और सुझावों का पूर्णता: कार्यान्वयन किया जाएगा और आशा करती है कि एनटीपीसी और अधिक ऊचाईयों को छूती रहेगी और एक महान कार्य स्थल बनी रहेगी।

सरकार का उत्तर

एनटीपीसी का उत्तर

समिति की टिप्पणी और उन पर दिये गए सुझावों को कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में विलंब

सिफारिश (क्रम सं. 2)

समिति नोट करती है कि 08 स्वतंत्र निदेशकों की स्वीकृत संख्या के अनुसार, वर्तमान में एनटीपीसी के बोर्ड में केवल 02 स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व में भी, सेबी सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व (एलओडीआर), कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉरपोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत इस संबंध में स्पष्ट शर्तों के बावजूद स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को अनेक महीनों तक नहीं भरा गया है।एनटीपीसी 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में निहित कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षक प्रमाण-पत्र में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में गैर-अनुपालन कमियों को भी इंगित किया गया है, जैसे 1 जुलाई, 2019 से 11 जुलाई, 2019 तक स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की नियुक्ति के संबंध कंपनी द्वारा सूचीकरण नियमों का पालन करने में विफलता,जब स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कुल निदेशकों की संख्या के 50% से कम थी।चूंकि 2 सितंबर, 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या घटकर 02 हो गई है, समिति ने स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को नहीं भरने के विशिष्ट कारणों के बारे में पूछताछ की। इस संबंध में एनटीपीसी द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को लिखे गए 14 अगस्त, 4 सितंबर, 6 अक्टूबर और 9 दिसंबर, 2020 को भेजे गए विभिन्न पत्रों का भी कोई परिणाम नहीं निकला। समिति आगे नोट करती है कि सचिव, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 19.03.2020 और 04.08.2020 के पत्रों के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के सचिव से अन्वेषण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वन में तेजी लाने का अनुरोध किया। मामले में हस्तक्षेप के लिए सचिव, डीओपीटी से भी अ.शा. पत्र दिनांक 05.10.2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए इन सभी प्रयासों और शीर्ष स्तर से किए

गए अनुरोधों के बावजूद, 31.01.2021 तक 8 (आठ) स्वतंत्र निदेशकों में से 6 (छः) को भरना अभी भी बाकी रहा गया है।

एनटीपीसी में स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) की ओर से गंभीरता की कमी को ध्यान में रखते हुए, समिति की यह राय है कि ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को कैबिनेट सचिव के स्तर तक उठाया जाना चाहिए था क्योंकि इतने लंबे समय तक डीपीई की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के परिणामस्वरूप सेबी के सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) का उल्लंघन करने के लिए एनटीपीसी पर दंड अधिरोपित किया गया। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि:

i. डीपीई को इस मामले में असामान्य देरी के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने की दृष्टि से विशेष रूप से सीपीएसयू में निदेशकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में उनके कार्यकरण का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए;

ii. डीपीई को सीपीएसयू में निदेशकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित सभी मामलों के समयबद्ध प्रसंस्करण के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र विकसित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए;

iii. डीपीई को अब प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और एनटीपीसी में निदेशकों के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए जिसमे अब किसी भी स्थिति में से छह महीने से अधिक विलम्ब न हो;

iv. सीपीएसयू के बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के पास विषय की विशेषज्ञता है, डीपीई को तुरंत वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परामर्श से एक कवायद शुरू करनी चाहिए और मौजूदा मानदंडों को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए; और

v. डीपीई को सभी सीपीएसयू में स्वतंत्र निदेशकों के पदों के डेटाबेस को अनुरक्षित करने के लिए तुरंत डिजिटल डैशबोर्ड की एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि रिक्तियों के उत्पन्न होने से कम से कम 06 महीने पहले नई नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके।

सरकार का उत्तर

लोक उद्यम विभाग का उत्तर

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। सर्च कमेटी की पिछली बैठक 25 अक्टूबर, 2019 को हुई थी। चूंकि तब से सर्च कमेटी की बैठक नहीं हुई है, एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की सिफारिशें प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है।

(ii) सीपीएसई के बोर्ड में तीन साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और स्वतंत्र निदेशं अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अपना पद छोड़ देते हैं। नतीजतन, सीपीएसई में आईडी का चयन और नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और जैसे ही सर्च कमेटी की बैठक बुलाई जाती है, डीपीई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों को उसके द्वारा विचार किए जाने और सिफारिशों के लिए सर्च कमेटी के समक्ष रखता है।

(iii) डीपीई एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सर्च कमेटी की अगली बैठक में, जब भी यह बुलाई जाएगी, रखेगा।

(iv) सेबी (एलओडीआर) विनियमों की शर्तों के अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष सहित सूचीबद्ध निकायों (सीपीएसई सहित) के बोर्डों की वास्तविक संख्या में एलडी की संख्या कम से कम आधी होनी चाहिए। शेष सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, एलडी की संख्या बोर्ड की संख्या का कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए। सरकार ने सीपीएसई के बोर्ड

में स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए मानदंड भी निर्धारित किए हैं।

(v) डीपीई ने एक ऑनलाइन पोर्टल (www.dpebod.gov-in) विकसित किया है जिसमें सीपीएसई के निदेशकों की पदधारण स्थिति का डाटाबेस रखा जाता है और संबंधित सीपीएसई के नोडल अधिकारियों द्वारा इसे अद्यतन किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 04.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एनटीपीसी में स्वतंत्र निदेशकों के 8 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 24 उम्मीदवारों का एक प्रस्तावित पैनल डीपीई को अग्रेषित किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता

सिफारिश(क्रम सं. 6)

समिति ने नोट किया कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी एनटीपीसीकोयले, गैस/तरल, जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के 70 बिजली स्टेशनों (संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों सहित) का स्वामी है, जिसकी संयुक्त क्षमता लगभग 63 गीगावॉट है। इस 63 गीगावॉट में से एनटीपीसी की अपनी क्षमता 50.3 गीगावॉट है जो कुल लगभग क्षमता का 80% है। एनटीपीसी ने 2009-10 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभिन्न ईंधनों - कोयला, गैस/तरल, हाइड्रो, नवीकरणीय और हाइड्रो के माध्यम से 21.51 गीगावाट की कुल बिजली उत्पादन क्षमता की वृद्धि की। एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम (जेवी) और अनुषंगी कंपनियों ने इसी अवधि के दौरान 8.89 गीगावाट क्षमता की वृद्धि की। समिति नोट करती है कि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान, कंपनी की योजना क्रमशः 5250 मेगावाट, 6462 मेगावाट और 5782 मेगावाट की वृद्धि करने की है। वर्ष 2023-24 के अंत तक, कंपनी 20,000 मेगावाट (लगभग) की वृद्धि करते हुए चल

रहे बिजली संयंत्रों के निर्माण को पूरा करने का इरादा रखती है। समिति को उम्मीद है कि संरचित योजना और रणनीति के साथ, एनटीपीसी लक्षित क्षमता को जोड़ पाने और सभी चल रहे बिजली संयंत्रों के निर्माण को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने में सक्षम होगा और साथ-ही-साथ निकट भविष्य में अपनी स्थापित और बिजली उत्पादन कीचालू क्षमता को और बढ़ाने में सफल रहेगा। ।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने और मौजूदा कोविड-19 महामारी के बावजूद अपनी स्थापित क्षमता में उन्हें जोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

कोयला आधारित विद्युत उत्पादन

सिफारिश(क्रम सं. 7)

समिति नोट करती है कि कंपनी का अपना कोयला आधारित बिजली उत्पादन, जो 31 मार्च, 2010 को 24,885 मेगावाट था, 31.03.2020 तक 44,610 मेगावाट हो गया है, इस प्रकार 10 वर्षों की अवधि के दौरान 19,725 मेगावाट की वृद्धि की गई है। एनटीपीसी के स्वामित्व वाले संयुक्त उपक्रमों और अनुषंगी कंपनियों ने इसी अवधि के दौरान और 5,570 मेगावाट कोयला बिजली जोड़ी है। इसलिए, एनटीपीसी और उसके संयुक्त उपक्रमों और अनुषंगी कंपनियों द्वारा जोड़ी गई कुल कोयला आधारित बिजली उक्त अवधि के दौरान 25,295 मेगावाट थी। प्रतिशत के संदर्भ में, एनटीपीसी द्वारा कोयला बिजली में 79% की वृद्धि हुई, जबकि एनटीपीसी समूह की कंपनियों (जेवी और अनुषंगी कंपनियों) द्वारा 702% (सात गुना से अधिक) की वृद्धि हुई। समिति को अवगत कराया गया कि एनटीपीसी ने सरकार के निर्देशों के अनुसार अकार्बनिक मार्ग (अधिग्रहण के माध्यम से) के माध्यम से विकास करने का नीतिगत निर्णय लिया है।7 कोयला-आधारित बिजली उत्पादन कंपनियों में

से, बीआरबीसीएल, नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एनपीजीसीएल) और मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लिमिटेड (एमयूएनपीएल)के मामले में, इकाइयों को हाल के वर्षों में वाणिज्यिक घोषित किया गया है और कुछ इकाइयां अभी भी निर्माणाधीन हैं।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

उत्तर दिए जाने के लिए कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

गैस आधारित विद्युत उत्पादन

सिफारिश (क्रम सं. 8)

समिति ने नोट किया कि एनटीपीसी और उसके संयुक्त उद्यमों और अनुषंगी कंपनियों द्वारा गैस-आधारित बिजली उत्पादन में क्रमशः 62 मेगावाट और 524 मेगावाट की वृद्धि हुई है, और इस प्रकार 2010-11 से 2019-20 तक 10 वर्षों की अवधि के दौरान केवल 586 मेगावाट ऊर्जा क्षमता को ही जोड़ा गया है। समिति ने नोट किया कि एनटीपीसी द्वारा गैस आधारित बिजली उत्पादन में कम या ज्यादा स्थिर वृद्धि का कारण घरेलू गैस आपूर्ति की कमी बताया गया है, जिसके कारण एनटीपीसी 2012 वर्ष के बाद से अपने पोर्टफोलियो में कोई अतिरिक्त गैस आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाएं शुरू नहीं कर सका। इसलिए समिति घरेलू गैस आपूर्ति के मुद्दे के अलावा अन्य विशिष्ट कारणों से अवगत होना चाहेगी, जो इस क्षेत्र में इतनी धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं में किए गए निवेश और पिछले एक दशक के दौरान उस पर वर्ष-वार रिटर्न भी समिति को प्रस्तुत किया जाए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

आवंटित घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी के कारण एनटीपीसी का गैस आधारित विद्युत उत्पादन घट रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में आपूर्ति की गई 10.91 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) गैस की तुलना में अब आपूर्ति घटकर 1.0 एमएमएससीएमडी हो गई है। ओएनजीसी के गैस उत्पादन में कमी और सीएनजी/पीएनजी जैसे अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में घरेलू गैस के आवंटन के कारण एनटीपीसी स्टेशनों को गैस की आपूर्ति तेजी से घट रही है। एनटीपीसी ने आवंटित घरेलू गैस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए गेल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मामला उठाया है। इसके अलावा, एनटीपीसी सहित विद्युत क्षेत्र की कंपनियां गैस उत्पादकों अर्थात आरआईएल, ओएनजीसी आदि के उच्च आरक्षित मूल्य और 2-3 साल की निश्चित अवधि, ले जाओ या भुगतान करों (टीओपी) दायित्वों-मासिक/त्रैमासिक, कोई आपूर्ति बाध्यता नहीं, आपूर्ति में कोई लचीलापन नहीं आदि जैसे कठिन निबंधनों और शर्तों के कारण जारी की गई नई घरेलू गैस बिक्री निविदाओं में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। एनटीपीसी के अनुरोध पर, विद्युत मंत्रालय ने नामित क्षेत्रों से एनटीपीसी स्टेशनों को कम घरेलू गैस की आपूर्ति और घरेलू गैस बिक्री निविदाओं में विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) के साथ मुद्दों को उठाया है।

विद्युत क्षेत्र के लिए गैस आपूर्ति की उपलब्धता को देखते हुए कंपनी ने पिछले दशक के दौरान गैस आधारित विद्युत संयंत्र में कोई निवेश नहीं किया गया है। 27.03.2020 को ₹4,000 करोड़ में नीपको में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए निवेश किया गया है। नीपको के पोर्टफोलियो में 527 मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयंत्र

हैं। चूंकि 27 मार्च 2020 को निवेश किया गया है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस निवेश पर कोई प्रतिफल प्रोद्भूत नहीं हुआ है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021

जल-विद्युत उत्पादन

सिफारिश (क्रम सं. 9)

समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने 31.03.2015 को अपनी पहली जल-विद्युत परियोजना को चालू करके 2015 में जल-विद्युत उत्पादन में प्रवेश किया है। तब से, एनटीपीसी द्वारा जल-विद्युत के क्षेत्र में केवल 400 मेगावाट की वृद्धि की गई है। हालांकि, एनटीपीसी समूह ने पिछले छह वर्षों में 2,325 मेगावाट जल-विद्युत को जोड़ा है, जिससे मार्च, 2020 के अंत में कुल वाणिज्यिक क्षमता 3,125 मेगावाट हो गई है।समिति नोट करती है कि पिछले दशक के दौरान जल-विद्युत के कम प्रवर्धन के जो प्रमुख कारण बताए आगे हैं उनमें पर्यावरणीय मुद्दों, वर्ष 2012 और 2013 की अति-वर्षा, एजेंसियों की ख़राब वित्तीय स्थिति, भौगोलिक आपदाओं और स्थानीय कानून और व्यवस्था की लगातार चलने वाली समस्याओं आदि के कारण 7 में से 4 परियोजनाओं के बंद होने का हवाला दिया गया है।समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि एनटीपीसी की 07 परियोजनाओं में से दो तकनीकी और वित्तीय गैर-व्यवहार्यता और वन मंजूरी प्राप्त न होने के कारण बंद हैं, दो निर्माणाधीन हैं अर्थात तपोवन विष्णुगढ़ (उत्तराखंड) और रामम-III (पश्चिम बंगाल) जिनका क्रमशः 2021 और 2024 में चालू किया जाना अपेक्षित है, लोहारीनाग पाला में एक परियोजना को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने के कारण बंद कर दिया गया है और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से निलंबित है। इस प्रकार, वर्तमान में, वास्तव में केवल एक जल-विद्युत परियोजना ही चल रही है।

समिति नोट करती है कि तकनीकी आर्थिक मंजूरियां, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(एमओईएफएंडसीसी), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से अन्य अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने और नियमित अंतराल पर प्रदर्शन की समीक्षा कराने के बावजूद जल-विद्‌युत परियोजनाओं का निलंबन हुआ है, उनमें व्यवधान आया है और वे बंद भी हुई हैं।

समिति यह मानने के लिए बाध्य है कि इन सभी प्रारंभिक अध्ययनों, अनुमोदनों, मंजूरी और सावधानियों के बावजूद, जल-विद्‌युत परियोजनाओं को किसी न किसी कारण से नुकसान उठाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक चरण में निष्फल व्यय उपगत किया गया। इसलिए समिति अनुशंसा करती है कि भविष्य में एनटीपीसी द्‌वारा किसी भी जल-विद्‌युत परियोजना को शुरू करने से पहले अतीत की प्राकृतिक और यांत्रिक घटनाओं, स्थानीय मुद्‌दों, इलाके की विशिष्ट विशेषताओं, आर्थिक व्यवहार्यता आदि का अच्छी तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि प्रारंभिक चरण में किए गए पर्याप्त राशि का निवेश व्यर्थ न जाने पाए। समिति परियोजना की लागत और इसके वाणिज्यिक संचालन की संभावित तारीख के साथ वर्तमान में या निर्माणाधीन सभी जल-विद्‌युत परियोजनाओं की अद्‌यतन स्थिति के बारे में भी जानना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्‌युत मंत्रालय का उत्तर

भविष्य में एनटीपीसी द्‌वारा किसी भी जलविद्‌युत परियोजना को शुरू करने के लिए समिति द्‌वारा सुझाई गई सिफारिशों को नई परियोजनाओं को लेते समय ध्यान में रखा जाएगा।

एनटीपीसी लिमिटेड की प्रचालनात्मक/निर्माणाधीन जलविद्‌युत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता	परियोजना की स्थिति	करोड़ रूपए में परियोजना लागत	चालू/पूर्ण किए जाने की तारीख	टिप्पणी
1	कोलदम एचपीपी	800 मेगावाट (4 x 200 मेगावाट)	चालू की गई	7641.29 करोड़ रूपए 18.07.2015 के अनुसार	15.07.2015	परियोजना 15.07.2015 से प्रचालनाधीन है।
2	तपोवन विष्णुगढ़ एचपीपी	520 मेगावाट (4 x 130 मेगावाट)	निर्माणाधीन	5867.38 करोड़ रूपए संशोधित लागत अनुमान-II (चौथी तिमाही 2018 मूल्य स्तर)	31.03.2023*	* परियोजना निर्माणाधीन है। लगभग। 74.65 प्रतिशत पूर्ण। अप्रत्याशित बाढ़ (ग्लेशियल फटने के कारण मलबा और कचरे) के कारण, बैराज के प्रमुख घटक, डिसिल्टिंग बेसिन, हेड रेस टनल, इंटेक एडिट, सिल्ट फ्लशिंग टनल (एसएफटी), एसएफटी एडिट, टेल रेस टनल मलबे और कचरे से भर गए हैं। वर्तमान में उपरोक्त सभी घटकों से मलबा हटाने का

						कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है।इसके अलावा, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना में संरचनात्मक विनाश और समय की हानि का आकलन परियोजना के घटकों से मलबे/कचरे को हटाने के बाद संभव होगा। परियोजना के प्रस्तावकों और सुविधाओं को दृश्य हानि चिंताजनक प्रकृति की नहीं है।
3	लता तपोवन एचईपी	171 मेगावाट (3x57 मेगावाट)	निर्माण क्रियाकलाप रूके हुए है	1527.08 (2021 मूल्य स्तर पर पहली तिमाही)	-	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश द्वारा 08.05.2014 से निर्माण रूका हुआ है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।
4	रम्माम ।।। एचपीपी	120 मेगावाट (3 x 40 मेगावाट)	निर्माणाधीन	1381.84 दूसरीतिमाही.' 2014 मूल्य स्तर	31.12.2024	लगभग 31.48 % प्रतिशतपूर्ण।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

सिफारिश (क्रम सं. 10)

समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने वर्ष 2013-14 में 10 मेगावाट क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन और बायोमास) आधारित बिजली उत्पादन में प्रवेश किया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 928 मेगावाट हो गई है। अपने संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों की संयुक्त 118 मेगावाट के साथ, मार्च, 2020 के अंत में कुल एनटीपीसी समूह की नवीकरण ऊर्जा क्षमता 1046 मेगावाट थी। इस प्रकार, पिछले सात वर्षों के दौरान एनटीपीसी की नवीकरणीय क्षमता में 90 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। समिति को यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए दुनिया भर में गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से बिजली उत्पादन में बदलते रुझानों के अनुरूप दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता, ईंधन जोखिम को कम करने, टिकाऊ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एनटीपीसी का 2032 तक, जैविक और अकार्बनिक दोनों तरीकों से, 32 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की अतिरिक्त वृद्धि करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य में 130 गीगावाट की कुल प्रस्तावित स्थापित क्षमता में 30% की वृद्धि की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के साथ-साथ कोयला, गैस, परमाणु, हाइड्रो और सौर के साथ-साथ अन्य विविध ईंधन मिश्रण शामिल हैं। अपने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एनटीपीसी पारंपरिक विशाल सौर और पवन पार्कों जैसे रूफटॉप सौर संयंत्रों, परियोजनाओं के जलाशयों में तैरते सौर संयंत्रों से और आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, जो पानी की सतह के वाष्पीकरण को कम करके भूमि की बचत और जल संरक्षण की दिशा में एक कदम है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 60 गीगावाट क्षमता की परिकल्पना की है और एनटीपीसी द्वारा इस दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम सं. 12)

समिति का मत है कि चूंकि एनटीपीसी 2032 तक अपनी कुल उत्पादन क्षमता के 30% का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी आरई शक्ति को 39 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को रूपांतरित कर रहा है, गैर-जीवाश्म ईंधन अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन केविषय का पर्याप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले एक या दो स्वतंत्र निदेशकों को एनटीपीसी के निदेशक मंडल और इसकी अनुषंगी कंपनियों में भी नियुक्त किया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 60 गीगावाट क्षमता की परिकल्पना की है और एनटीपीसी द्वारा इस दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एनटीपीसी की एक पृथक सहायक कंपनी यथा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) का गठन विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। जब कभी आवश्यकता होगी, एनआरईएल गैर-जीवाश्म ईंधन अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में क्षेत्र का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को सहयोजित करने में सक्षम होगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं

सिफारिश (क्रम सं. 14)

समिति, विद्युत मंत्रालय की स्वयं स्वीकरोक्ति के मद्देनजर, यह संभावना व्यक्त करती है कि विभिन्न बाधाएं जैसे (i) भूमि अधिग्रहण में देरी, (ii) फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए विशिष्ट नीति या विनियमों की अनुपस्थिति, (iii) सौर परियोजनाओं के लिए 18 महीने की समय-सीमा के मुकाबले 36 महीने की निषेचन अवधि को ध्यान में रखते हुए पारेषण प्रणाली का अपफ्रंट विकास, (iv) पीपीए/पीएसए पर हस्ताक्षर करने और टैरिफ अपनाने आदि में विलंब, लक्षित नवीकरणीयऊर्जा के संवर्धन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए, समिति चाहती है कि विद्युत मंत्रालय इन संभावित बाधाओं को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करे, जिसमें विशेष रूप से आरई पावर के निष्कर्षण के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना, पीपीए पर हस्ताक्षर करना आदि शामिल हैं।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

जब भी एनटीपीसी के लिए समर्थन मांगा गया है, विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के साथ चर्चा की है। आगे की परियोजनाओं की निगरानी ई-समीक्षा, प्रगति पोर्टल, पीएमओ रेफ पोर्टल और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की बैठकों में की जाती है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

एनटीपीसी और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी

सिफारिश (क्रम सं. 15)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2016 में किए गए बेंचमार्क अध्ययन के अनुसार, एनटीपीसी विश्व में कुल स्थापित क्षमता में 13वें, कुल बिजली उत्पादन में 7वें, कोयला आधारित क्षमता और मशीन उपलब्धता में तीसरे स्थान पर है। मानव संसाधन योगदान के संबंध में, एनटीपीसी विश्व स्तर पर सामान्य रूप से प्रति कर्मचारी 5वें और प्रशिक्षण घंटों में चौथे स्थान पर है। समिति को यह जानकर प्रसन्न्ता हुई है कि एनटीपीसी ने अपनी मानव संसाधन उत्पादकता और शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनमें से कुछ पुरस्कार हैं - वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 में लगातार 4 बार एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट (एटीडी) सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ब्रैंडन हॉल गोल्ड एक्सीलेंस इन लर्निंग 2020 अवार्ड (आरएलआई, एसआईपीएटी के लिए), वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए लगातार 3 बार आईएसटीडी नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिस और ब्लेंडेड लर्निंग कैटेगरी 2019 के सर्वोत्तम उपयोग में रजत पदक। समिति को यह भी पता चला है कि एनटीपीसी अपने व्यवसाय की वृद्धि और लागत अनुकूलन के लिए कई पहल कर रहा है जिससे कि यह क्षेत्र में अपनी नेतृत्व स्थिति बनाए रखे। इन पहलों में विविधीकरण, पश्च और अग्रिम एकीकरण, डिजिटलीकरण आदि शामिल हैं और एनटीपीसी अपने वैश्विक समकक्षों के साथ अपने निष्पादन मानदण्डों को बेंचमार्क भी करता है। समिति अपने निष्पादन के उच्च मानदण्डों को स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के प्रबंधन की सराहना करती है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सराहना प्राप्त होती है और उम्मीद है कि कंपनी अपने सीखने के सर्वोत्तम उपयोग को जारी रखेगी और सभी मानकों और मैट्रिक्स पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खुद को बिजली उत्पादन और उसके सहयोगी व्यवसायों में एक वैश्विक नेता स्थापित करने के लिए अपने इन प्रयासों को जारी रखेगी। ।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

समिति द्वारा की गई सराहना को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया जाता है। एनटीपीसी सभी मापदंडों पर उत्कृष्टता हासिल करने और स्वयं को विद्युत उत्पादन में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

वित्तीय निष्पादन

सिफारिश (क्रम सं. 16)

समिति ने देखा है कि एनटीपीसी संयंत्रों की स्थापित क्षमता जो वर्ष 2010-11 में 30,830 मेगावाट थी, वर्ष 2019-20 में बढ़कर 50,355 मेगावाट हो गई है, इस प्रकार 10 वर्षों की अवधि में 19,525 मेगावाट की क्षमता वृद्धि दर्ज की गई है जो कि इस अवधि के दौरान 63% से अधिक की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व रुपये से 57,407 करोड़ रुपये से बढ़कर से 1,00, 478 करोड़ रुपये हो गया है, जो 95% से अधिक की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तथापि समिति ने यह देखा है कि कंपनी का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीबीटी) जो वर्ष 2010-11 में 12049 करोड़ रु.और 9102 करोड़ रु.था, वहवर्ष 2019-20 में बढ़कर क्रमशः 14,465 करोड़रु.और 10,112 करोड़ रु. हो गया है और इस प्रकार उनमें इस अवधि के दौरान क्रमशः 20% और 11% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार, समिति ने यह देखा कि कंपनी के पीबीटी और पीएटी में हुई बढोतरी क्षमता वृद्धि और राजस्व सृजन में दर्ज की गई वृद्धि के समान अनुपात में नहीं रही है। इस मुद्दे पर, समिति को सूचित किया गया था कि क्षमता वृद्धि के अलावा, कंपनी का लाभ कई अन्य कारकों पर भी निर्भर था जैसे लागत का प्रकार, बिजली विनियामक द्वारा अनुमत टैरिफ, बिजली की मांग और अन्य सामान्य आर्थिक स्थितियां। समिति कंपनी के लाभ को प्रभावित करने वाले इन सभी कारकों को ध्यान में रखती है, लेकिन साथ ही एनटीपीसी से सिफारिश करती है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में लागत में कमी के तरीकों और साधनों का पता लगाने, नवीनतम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और अनुपालन के साथ कंपनी के उत्पादन को अनुकूलित करने और भविष्य में उच्च स्तर का लाभ दर्ज करने के लिए सख्त वित्तीय विवेक बरतने के लिए विभिन्न साधनों और तरीकों का अन्वेषण करे।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

यह बताया जाता है कि कंपनी की लाभप्रदता मुख्य रूप से इक्विटी पर प्रतिफल और परिचालन लाभ पर निर्भर करती है जिसे उत्पादक द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। चूंकि कंपनी एक नियामक व्यवस्था में कार्य कर रही है, इन दोनों कारकों को नियामक अर्थात सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है।
तथापि, माननीय समिति की टिप्पणियों को नोट किया जाता है। कंपनी भविष्य में लाभ के उच्च स्तर को दर्ज करने के उद्देश्य से लागत में कमी, उत्पादन इष्टतम करने और कठोर वित्तीय विवेक के पालन के तरीकों और साधनों का पता लगाना जारी रखेगी।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

वित्तीय निष्पादन पर विनियामक मानदंडों का प्रभाव

(सिफारिश क्रम सं. 17)

समिति ने यह देखा है कि कंपनी के राजस्व और मुनाफे की वृद्धि में असंगति के लिए उद्धृत कारणों में से एक टैरिफ विनियम है। यह कहा गया है कि एनटीपीसी विनियमित उद्योग में है और राजस्व को लागत प्लस आधार पर अनुमति दी जाती है, जो (i) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली और संचालित कंपनियों के लिए,(ii) उत्पादन स्टेशनों के लिए जिनके पास उत्पादन के लिए एक समग्र योजना है और जोएक से अधिक राज्यों को बिजली की बिक्री करते हैं,और (iii) केंद्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली बिजली उत्पादन कंपनियों के अंतर-राज्यीय पारेषण पर लागू होते हैं। ताप-विद्युत उत्पादन स्टेशन से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ में दो भाग होते हैं अर्थात (i) क्षमता शुल्क (इन विनियमों के विनियम 21 में निर्दिष्ट घटकों से मिलकर वार्षिक निश्चित लागत की वसूली के लिए),और (ii) ऊर्जा शुल्क (प्राथमिक और द्वितीयक ईंधन लागत और चूना पत्थर

लागत,जहां लागू हो) की वसूली के लिए।समिति ने नोट किया कि विनियामक व्यवस्था के पिछले दो दशकों में, सीईआरसी ने अपने क्रमिक टैरिफ विनियमों में विभिन्न वित्तीय और परिचालन मानदंडों को कड़ा किया है जैसे (i) वार्षिक निश्चित शुल्क की वसूली के लिए संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) को 80% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है,(ii) 2009-14 की अवधि में संयंत्र उपलब्धता कारक(पीएएफ) की तुलना मेंसंयंत्रलोड कारक (पीएलएफ) के लिए उत्पादन प्रोत्साहन को जोड़ना, औरइस प्रकार प्रोत्साहन का भुगतान अब उपलब्ध क्षमता के बजाय वास्तविक उत्पादन से जुड़ा हुआ है।समिति आगे नोट करती है कि सीईआरसी टैरिफ विनियम जो 2019-24 की अवधि के लिए लागू हैं, कंपनी के निचले स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मानदंडों को और सख्त करते हैं।समिति को प्रस्तुत की गई जानकारी के समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जिम्मेदार कारक हो सकते हैं,(i) ऐसे उत्पादन स्टेशनों के मामले में जिन्होंने 01.04.2019 को 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं, टैरिफ गणना के लिए इक्विटी घटक को परियोजना लागत के 50% से घटाकर 30% तक कम करना जिससे टैरिफ अवधि 2019-24 में लगभग 657 करोड़ रुपये की सीमा तक ऐसे एनटीपीसी संयंत्रों (स्थापित क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट) के प्रति वर्ष इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, (ii)परिचालन मानदंडों को और अधिक कठोर बनाना जैसे स्टेशन ताप दर, सहायक बिजली की खपत, विशिष्ट तेल खपत, (iii) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप ताप-विद्युत संयंत्रों के पीएलएफ में कमी आती है। समिति का मानना है कि एनटीपीसी संयंत्रों के बिजली उत्पादन केंद्र पुराने हो रहे हैं और मौजूदा मार्जिन कम हो गया है। इसके अलावा, कुछ इकाइयाँ निर्दिष्ट मानदंडों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं और इस प्रकार वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एनटीपीसी संयंत्रों के बिजली स्टेशनों की एक बड़ी संख्या 25 वर्ष से अधिक पुरानी है और धीरे-धीरे नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव के परिणामस्वरूप बिजली संयंत्रों के पीएलएफ में कमी आई है, समिति सिफारिश करेगी कि विद्युत मंत्रालय को एनटीपीसी के वित्तीय प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव के लिए जिम्मेदार सभी कारकों का विश्लेषण करना चाहिए और जमीनी वास्तविकताको उचित महत्व देते हुए टैरिफ नियमों की समीक्षा के लिए मामला सीईआरसी के साथ उठाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनटीपीसी जैसे बिजली उत्पादक केवल कुछ तकनीकी विनिर्देशनों और मापदंडों के कारण ही वित्तीय रूप से प्रभावित न होने पाएं।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी का टैरिफ सीईआरसी विनियमों द्वारा शासित होता है और टैरिफ संरचना आदि में आवश्यक किसी भी बदलाव पर नियामकों के फोरम में चर्चा की जाती है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

नवीकरणीय ऊर्जा से राजस्व

सिफारिश (क्रम सं. 18)

समिति नोट करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा से राजस्व जो कि 2015-16 में मात्र 96.96 करोड़ रु. था, जो एनटीपीसी के कुल राजस्व का मात्र 0.13% भाग होता था, 2019-20 में कई गुना बढ़कर 3,798.63 करोड़ रुपये हो गया है, जो एनटीपीसी के कुल राजस्व का 3.80% भाग है। यह कंपनी द्वारा नवीकरणीय से जुड़े महत्व को दर्शाता है। समिति आशा करती है कि आने वाले वर्षों में यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है क्योंकि कई नवीकरणीय परियोजनाएं जो निष्पादन के अधीन हैं, मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगी और इस दिशा में और योगदान देंगी। चूंकि नवीकरणीय ऊर्जाके संबंध में अवधारणा में शामिल समय पारंपरिक टीपीपी से कम है, इसलिए समिति आशा करती है कि एनटीपीसी अपने निचले स्तर में सुधार के लिए आरई परियोजनाओं को शीघ्रता से निष्पादित करेगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

कुल 2884 मेगावाट की जारी एनटीपीसी आरई परियोजनाओं को समय के भीतर चालू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक, एनटीपीसी ने पहले ही 1158 मेगावाट आरई क्षमता चालू कर दी है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021

आंकड़ों में भिन्नता

सिफारिश (क्रम सं. 19)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2015-16 के लिए, चयनित वित्तीय सूचना (एसएफआई) के अनुसार 10,583.68 करोड़ रुपये का पीबीटी वित्त वर्ष 2015-16 की समान वार्षिक रिपोर्ट (एआर) में 'एक नज़र में' दिखाए गए 10,059 करोड़ रुपये के पीबीटी से भिन्न है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एसएफआई के अनुसार पीबीटी 12,052.16 करोड़ रुपये पर है लेकिन 'वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ‘एक नज़र' में इसे 12,388 करोड़ रुपये के रूप में दिखाया गया है। समिति आगे नोट करती है कि वित्त वर्ष 2017-18 की पीबीटी एनटीपीसी के वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शाई गई 12,339.46 करोड़ रुपये की पीबीटी उस 12,892.46 करोड़ रु. की पीबीटी से भिन्न है जिसे सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण (पीईएस) में दिखाया गया है। पीबीटी 8,831 करोड़ रु. की पीबीटी से अलग है। एनटीपीसी ने अपने उत्तर में यह बताया कि पीईएस के लिए प्रारूप के अनुसार, विनियामक आस्थगित खाते में संचलन के लिए कोई अलग मद नहीं है, और पीबीटी के बाद उल्लेखित एकमात्र मदकर और अन्य व्यापक व्यय/आय थी, इसलिए अन्य करों के अंतर्गत विनियामक आस्थगित खाते में संचलन दिखाया गया था, अत: वार्षिक प्रतिवेदन और पीईएस के अनुसार पीबीटी भिन्न थी जबकि पीएटी समान है। इसके अलावा, प्रारूप में सुधार के लिए प्रस्तुत किए गए डीपीई आंकड़ोंके साथ इस मुद्दे को पहले ही डीपीई के समक्ष उठाया जा चुका है। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण (पीईएस) के अनुसार वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आरओसीई के आंकड़ों में 9.3% और 5.97% के रूप में भी समान अंतर देखे गए हैं क्योंकि उन्हें किसी अन्य दस्तावेज में 2017-18 और 2018-19 के लिए 11.52% और 12.51%के रूप में दिखाया गया है।इसलिए समिति डीपीई और एमओपी से अनुरोध करती है कि वे(i) उक्त डेटा भिन्नता के विशिष्ट कारणों से; और (ii) उनके द्वारा आरओसीई निकालने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूत्र और व्यापक अंतर की इस भिन्नता के औचित्य से समिति को अवगत कराएं। इसके अलावा, समिति एमओपी और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) का सुझाव देती है, जो सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण (पीईएस) प्रकाशित है कि पीबीटी रिपोर्टिंग प्रारूप को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए ताकि एनटीपीसी की वार्षिक रिपोर्ट में निहित आंकड़ों के साथ तालमेल

बिठाया जा सके। दोनों मंत्रालयों - डीपीई और एमओपी द्वारा बरती गई सावधानी के बारे में जल्द से जल्द समिति को सूचित किया जाए।

सरकार का उत्तर

डीपीई का उत्तर

लोक उद्यम सर्वेक्षण (पीईएस) लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण/सूचना (सीएजी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेड फर्म के माध्यम से लेखापरीक्षित) में प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार किया जाता है और सीपीएसई द्वारा सीधे डीपीई के पीई सर्वेक्षण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए समग्र लाभ एनटीपीसी की वार्षिक रिपोर्ट और पीई सर्वेक्षण दोनों में समान है। तथापि, "नियामक आस्थगित लेखा शेष में शुद्ध संचलन" (एनएमआरएबी) के भिन्न उपचार के कारण उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में अंतर बताया गया है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि पीई सर्वेक्षण शीर्ष 'अन्य व्यय' के तहत नियामक आस्थगित लेखा शेष में शुद्ध संचलन को लेता है, अर्थात करों की कटौती से पहले। जबकि, एनटीपीसी ने करों की कटौती के बाद एनएमआरएबी का डाटा लिया था। यह देखा गया है कि सीपीएसई द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में एनएमआरएबी को प्रस्तुत करने में दोनों विधियों का उपयोग किया जा रहा है। एनएमएआरबीको शासित करने वाले इंड एएस-114 के प्रासंगिक प्रावधान को नीचे उद्धृत किया गया है:

"एक इकाई लाभ और हानि के विवरण के लाभ या हानि खंड में रिपोर्टिंग अवधि के लिए सभी नियामक आस्थगित लेखा शेष में शेष शुद्ध संचलन के लिए, एक पृथक लाइन मद प्रस्तुत करेगी, सिवाय उन संचलनों के जो लाभ या हानि में परिलक्षित नहीं होते हैं, जैसेकि अर्जित राशि। इस पृथक लाइन मद को उस आय और व्यय से अलग किया जाएगा जो कि उप-जोड़ के प्रयोग द्वारा अन्य मानकों के अनुसार प्रस्तुत की जाती है, जिसे नियामक आस्थगित लेखा शेष में शुद्ध संचलन से पहले निकाला जाता है"

['नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलनों का वर्गीकरण' शीर्ष के अंतर्गत पैरा संख्या 23]

अत: सीओपीयू के सुझावों और इंड एएस-114 के संगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आय और व्यय के बाद एक पृथक लाइन मद बनाई और विशिष्ट की जाएगी जिन्हें पीई सर्वेक्षण 2020-21 से लाभ और हानि प्रारूप में उप-जोड़ के उपयोग द्‌वारा अन्य मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) के संबंध में, यह बताया जाता है कि आरओसीई का अर्थ शेयरधारकों की निधि और दीर्घकालिक ऋणों वाली नियोजित पूंजी से भाग दिया गया ब्याज और करपूर्व लाभ है। पीई सर्वेक्षण का अधिदेश समग्र आधार पर निवेश और ऋण के पूर्ण उपयोग का है। सभी सीपीएसई के संबंध में आरओसीई की गणना के लिए पीई सर्वेक्षण में डीपीई द्‌वारा समग्र आधार पर इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है। पीई सर्वेक्षण में प्रयुक्त सूत्र और गणना पद्‌धतियां अधिसूचित लेखांकन सिद्‌धांतों के अनुरूप हैं। एनटीपीसी ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 (चुनिंदा वित्तीय सूचना में) में नियोजित पूंजी शीर्ष के तहत "नियोजित पूंजी (निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित के अलावा)" को लिया है। अत: एनटीपीसी लिमिटेड को "निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित नियोजित पूंजी" को भी शामिल करने की आवश्यकता है ताकि कुल शेयरधारक निधि और दीर्घावधि ऋण की सही और वास्तविक स्थिति दर्शाई जा सके।

2015-16: वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन (एआर) पुराने भारतीय आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्‌धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया गया था, परंतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंड एएस लागू किया गया और आंकड़ों का पुन: कथन किया गया था, अत: 2015-16 के अनुसार आंकड़े और 2016-17 या बाद के वर्षों के अनुसार आंकड़े भिन्न हैं।

इसके अलावा, 2016-17 तक नियामक (सकल) में संचलन पीबीटी से पहले दर्शाया गया था,परंतु 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन (2016-17 में भी पुन: कथन) से, नियामक में संचलन पीबीटी के बाद दर्शाया गया है और इसे अब कर के निवल के रूप में दर्शाया गया है।

2016-17: 2016-17 तक नियामक (सकल) में संचलन पीबीटी से पहले दर्शाया गया था लेकिन 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन (2016-17 में भी पुन: कथन किया गया) से, नियामक

में संचलन पीबीटी के बाद दर्शाया गया है और अब इसे कर के निवल के रूप में दिखाया गया है। परंतु आंकड़े समान हैं।

2017-18 :पीईएस से भिन्नता: पीईएस के लिए प्रारूप के अनुसार, नियामक आस्थगित लेखे में संचलन के लिए कोई पृथक मद नहीं है और पीबीटी के बाद उल्लेखित एकमात्र मद कर और अन्य व्यापक व्यय/आय थी, अत: नियामक आस्थगित लेखे में संचलन अन्य व्ययों के तहत पीबीटी से पहले दर्शाया गया था, अत: एआर और पीईएस के अनुसार पीबीटी पृथक है जबकि पीएटी समान है। इसके अलावा, प्रारूपों में सुधार के लिए प्रस्तुत किए गए डीपीई डाटा के साथ इस मुद्दे को पहले ही डीपीई के समक्ष उठाया जा चुका है।

2018-19 : वार्षिक रिपोर्ट (एआर) में ऐसा कोई अंतर नहीं है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)

सिफारिश (क्रम सं. 20)

समिति नोट करती है कि एक उच्च ब्याज सेवा कवरेज अनुपात अच्छा माना जाता है क्योंकि यह उस समय को मापता है जब कोई कंपनी अपनी उपलब्ध आय के साथ अपने वर्तमान ब्याज भुगतान को कवर कर सकती है। यह देखा जा सकता है कि 2010-11 में आईएससीआर 11.42% पर है और इसमें लगातार गिरावट (2012-13 को छोड़कर) आ रही है तथा 2019-20 में यह गिरकर 4.45% के स्तर तक पहुंच गया है। समिति का मानना है कि कुल उधारी जो 2010-11 में 43,188 करोड़ रु. थी, अब 2019-20 में बढ़कर 1,52,693 करोड़ रु. हो गई है और तदनुसार, वित्त लागत भी 1,420 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर 2019-20 में 6,781 करोड़ रु. हो गई है। ये ऋण एनटीपीसी की क्षमता को लगभग 20,000 मेगावाट बढ़ाने के लिए हासिल किए गए हैं। तथापि, समिति, यह नोट करती है कि किए गए निवेश पर प्राप्त प्रतिफल को वित्तीय लाभ में नहीं बदला जा सका है क्योंकि इस अवधि के दौरान लाभ 95% की राजस्व वृद्धि के बावजूद 9100 रु. से लेकर रु.12,600 करोड़ रु. की सीमा में रहा है। समिति को उम्मीद है कि एनटीपीसी अपनी विभिन्न पहलों के साथ इस मोर्चे पर अपने प्रदर्शन में सफलतापूर्वक सुधार करने में सक्षम होगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी बड़ी संख्या में पूंजी-प्रधानविद्युत परियोजनाओं और गृहीत खानों का निर्माण कर रहा है जिनके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है जो मुख्य रूप से ऋण से वित्तपोषित होते हैं। इन वर्षों में कंपनी की क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है। इन कारणों से कंपनी का ऋण वित्तीय वर्ष 2010-11 में 43188.24 करोड़ रूपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 152693.62 करोड़ रूपए हो गया है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागत में परिणामी वृद्धि हुई है। अत: आईएससीआर कम हो गया है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

राज्यों द्वारा देय राशि के भुगतान करने की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम सं. 22)

समिति ने पाया कि टीपीए, भुगतान गारंटी के कारण, एनटीपीसी ने 2001 से 2019 तक डिस्कॉमसे 100% बिल की राशि वसूल की है जिसे जानकर समिति को प्रसन्नता हुई है। अभूतपूर्व कोविड-2019 संकट ने 2019-20 में डिस्कॉम से राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। समिति को सूचित किया गया कि 30 जून, 2020 तक, डिस्कॉम पर बकाया राशि 18,000 करोड़ रुपये थी। ये बकाया मुख्य रूप से पांच राज्यों से थे अर्थात उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। एनटीपीसी को आशा है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) की दूसरी किश्त और राज्यों के लिए बिल में छूट प्रदान किए जाने के बाद, यह 31 मार्च, 2021 तक इन देय राशियों को समाप्त करने में सक्षम होगा। समिति का विचार है कि संबंधित डिस्कॉम द्वारा एनटीपीसी को बिना किसी और देरी के बड़ी मात्रा में बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली उत्पादक को ऐसी देरी के लिए कुछ लागतों का वहन करना पड़ता है जो उपभोक्ताओं पर नहीं दी डाली जा सकती हैं और उन्हें स्वयं ही वहित

करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप इसका उनके वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय को संबंधित राज्यों के साथ व्यवस्थित चर्चा शुरू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी के संबंध में, बकाया की वसूली के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 प्रतिशत बकाया राशि को वसूल करने में समर्थ रहा है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.03.2021के पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार 01.02.2021 के बाद के बिलों को समय पर परिसमाप्त करने की आवश्यकता है। निर्दिष्ट दिनों की संख्या अर्थात 45 दिनों से अधिक की वर्तमान बकाया राशि के लिए, साख पत्र (एलसी) को अनिवार्य रूप से भुनाया जाना होगा। विद्युत की आपूर्ति तभी शुरू होगी जब एक वैध एलसी हो या यदि डिस्कॉम द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है ताकि समय पर बकाया राशि का भुगतान करवाया जा सके।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

एनटीपीसी समूह की कंपनियों के लिए भुगतान गारंटी तंत्र लागू न होना

सिफारिश (क्रम सं. 23)

समिति ने देखा है कि एनटीपीसी समूह की कंपनियों जैसे एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एनटीईसीएल) और कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल) विशाल देनदार हैं और डिस्कॉम्स को नियमित रूप से अनुरोध करने के बावजूद ये कंपनियां समय पर अपना बकाया वसूल नहीं कर पा रही हैं। एनटीपीसी समूह की कंपनियों पर टीपीए

लागू नहीं होता है। समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने उपरोक्त दो समूह कंपनियों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डिस्कॉम द्वारा जेवी कंपनियों को भुगतान की जाने वाली एक बड़ी बकाया राशि मौजूद है और एनटीपीसी जेवी कंपनियों पर टीपीए भी लागू नहीं है, समिति सिफारिश करती है कि-

i. मंत्रालय को इस मुद्दे को डिस्कॉम और संबंधित राज्य सरकारों के साथ गंभीरता से उठाना चाहिए और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रमों की लंबित बकाया राशिका भुगतान करने के लिए निरंतर उसकी निगरानी करनी चाहिए;
ii. एनटीपीसी समूह की कंपनियों द्वारा संचालित संयंत्रों को भुगतान गारंटी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए टीपीए का विस्तार करने की संभावना का पता लगाया जाए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

चूककर्ता डिस्कॉम्स/राज्यों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी कदमों का पता लगाया जा रहा है, जिसमें डिस्कॉम द्वारा प्राप्त राजस्व से भुगतान के लिए डिस्कॉम के साथ कठोर अनुवर्तन, राज्य सरकार से डिस्कॉम द्वारा प्राप्त सब्सिडी, पीएफसी और आरईसी के माध्यम से तरलता इन्फ्यूजन (भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना के तहत) और राज्य के खाते से सीधे भुगतान के माध्यम से प्राप्ति शामिल है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

तीन आबद्ध कोयला खानों का अभ्यर्पण

सिफारिश (क्रम सं. 24)

समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने 30.09.2020 तक (क) बनई, (ख) भालुमुदा और (ग) मंडीकिनी-बी आबद्ध कोयला खदानों के विकास पर क्रमशः 62.60 करोड़ रु. 59.31

करोड़ और 87.14 करोड़ रु. का व्यय किया। तथापि, समिति ने पाया कि मंदाकिनी-बी कोयला ब्लॉक में भूमि मुआवजे, रोजगार आदि के लिए उठाई गई ग्रामीणों की अनुचित मांगों के लिए किए गए उनके प्रतिरोध के कारण और साथ ही भू-खनन बाधाओं के कारण तथा संभावित रूप से पिछले दो वर्षों से कोयला ब्लॉक विकास गतिविधियों में देरी को देखते हुए बनाई और भालुमुडा कोयला ब्लॉकों में कोयला के निष्कर्षण के कम प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी ने इन तीनों ब्लॉकों को अभ्यर्पित करने का निर्णय लिया है और तदनुसार, एनटीपीसी ने इन तीन आबद्ध कोयला खानों के अभ्यर्पण के लिए 26.12.2020 को कोयला मंत्रालय से संपर्क किया। समिति इस तथ्य को गंभीरता से लेती है कि आवंटन के चार साल बाद और 209 करोड़ रुपये खर्च करने के उपरांत एनटीपीसी ने कोयला ब्लॉकों को अभ्यर्पित करने के लिए कोयला मंत्रालय से संपर्क किया। समिति कोयला ब्लॉकों के आवंटन को स्वीकार करने से पहले एनटीपीसी द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक विश्लेषण/भूवैज्ञानिक अध्ययनों के विवरण प्राप्त करना और इस तरह का अध्ययन करने वाली एजेंसियों के नाम जानना चाहती है। समिति उस तंत्र को भी जानना चाहेगी जिसके माध्यम से एनटीपीसी ने कोयला खदानों के विकास में अब तक की लागत की वसूली करने की योजना बनाई है, जिन्हें अब अभ्यर्पित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

I. बनई और भालुमुडा कोयला ब्लॉक

आवंटन के समय इन दो ब्लॉकों का अन्वेषण नहीं किया गया था और भूवैज्ञानिक विवरण उपलब्ध नहीं थे। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा उपयुक्तता का आकलन करने और एनटीपीसी की आवश्यकताओं के अनुसार कोयला ब्लॉकों का मूल्यांकन करने के लिए एक अंतर-कार्यात्मक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने कोयला मंत्रालय की वेबसाइट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) जैसे विभिन्न स्रोतों से तकनीकी जानकारी एकत्र की और एमईसीएल और सीएमपीडीआई के अधिकारियों के साथ चर्चा की। कोयला मंत्रालय की ओर से एमईसीएल के माध्यम से सीएमपीडीआईएल द्वारा विस्तृत अन्वेषण किया गया था। एनटीपीसी ने सीएमपीडीआईएल के

साथ अन्वेषण जारी रखा और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई। विस्तृत अन्वेषण से उन ब्लॉकों की प्रतिकूल भू-खनन स्थिति का पता चला जहां भूवैज्ञानिक संरचनाएं कोयला सीम की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। भूवैज्ञानिक भंडार (जीआर) की प्राप्ति के पश्चात, सीएमपीडीआईएल के माध्यम से खनन योजना की अवधारणात्मक योजना तैयार की गई थी और यह आकलन किया गया था कि उच्च स्ट्रिपिंग अनुपात (7.64 घन मीटर प्रति टन से 8.08 घन मीटर प्रति टन तक भिन्न-भिन्न) के साथ लगभग 50-65% निष्कर्षण योग्य भंडार संभव हो सकते हैंऔर केवल बाहरी ओबी डंप के लिए भूमि (760 से 1600 हेक्टेयर) की उपलब्धता के साथ ऐसा हो सकता है। चूंकि ये ब्लॉक कोयला वाले क्षेत्रों से घिरे हुए हैं, बाहरी ओबी डंप के लिए गैर-कोयला वाले क्षेत्र की भूमि की उपलब्धता प्रमुख मुद्दा था। एनटीपीसी ने आसपास के क्षेत्र में ऐसी भूमि के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से संपर्क किया लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि इन खदानों के लिए बाहरी ओबी डंप के लिए कोई गैर-कोयलाधारी भूमि की पहचान नहीं की जा सकती है।

दिनांक 01.03.2018 को आयोजित कोयला मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान, बाधाओं पर विचार करते हुए, यह प्रस्ताव किया गया था कि ब्लॉक सीमा के भीतर आंतरिक रूप से ओबी रखने के बाद भंडार के इष्टतम दोहन के लिए दो ब्लॉकों का विलय एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। इसके बाद, एनटीपीसी ने 09.03.2018 को बनई और भालुमुडा ब्लॉकों के विलय के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया।

इन दोनों ब्लॉकों के विलय के संबंध में कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआईएल की राय ली। सीएमपीडीआईएल ने इन दो कोयला ब्लॉकों के विलय की सिफारिश की (उनके दिनांक 22.05.2018 और 03.04.2019 के पत्रों के माध्यम से) और इस प्रस्तावित विलय के साथ, निष्कर्षण योग्य कोयला भंडार बढ़ कर 125 एमएमटी हो जाएंगे।

इन दो कोयला ब्लॉकों के विलय के लिए कोयला मंत्रालय के साथ दो साल के लगातार आग्रह के बाद, फरवरी 2020 माह में कोयला मंत्रालय ने सूचित किया कि वे इन ब्लॉकों के विलय के लिए एनटीपीसी के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है।

एनटीपीसी ने सीएमपीडीआईएल के माध्यम से इन ब्लॉकों के लिए अलग से खनन योजना तैयार की और पाया कि ब्लॉकों में उच्च स्ट्रिपिंग अनुपात (6.40 घन मीटर प्रति टन) है, अधिक ओवरबर्डन (ओबी) ही हैण्डलिंग की आवश्यकता है, ओबी डंप के लिए कोई बाहरी भूमि नहीं है, कोयले की प्राप्ति का बहुत कम प्रतिशत (बनई24 प्रतिशत और भालुमुडा

- 62 प्रतिशत)। कठिन भू-खनन की स्थिति, बाहरी ओबी डंपिंग के लिए क्षेत्र की अनुपलब्धता और कोयला निष्कर्षण के संभावित कम प्रतिशत के कारण कोयले के समान ग्रेड के लिए सीआईएल के तदनुरूपी अधिसूचित मूल्य के मुकाबले कोयले की उत्पादन लागत अधिक होगी।

इन ब्लॉकों में जी 12 का कोयला ग्रेड है और उनके अंतिम उपयोग संयंत्र 1000 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित हैं। रेलवे के माध्यम से परिवहन द्वारा कोयले की गुणवत्ता और खराब हो जाएगी जो ईयूपी की दक्षता को भी प्रभावित करेगा।

क्रिसिल ("एनटीपीसी कोयला खदानों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और योजना की तैयारी" के लिए परामर्शदाता)द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, कोयले के समान ग्रेड के लिए सीआईएल कोयले की कीमत की तुलना में बनई और भालुमुडा से कोयले के उत्पादन की औसत लागत अधिक होगी।

क्रिसिल ने अपनी रणनीतिक रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि कम ईसीआर वाले कुडगी (भालुमुडा खदान का अंतिम उपयोग संयंत्र) में एससीसीएल कोयला खदानों से कोयला सस्ता मिलेगा।

क्रिसिल ने यह भी सुझाव दिया कि बनई और भालुमुडा कोयला खदानों का विकास और संचालन एनटीपीसी के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं होगा। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि दोनों ब्लॉकों को अभ्यर्पित किया जा सकता है और इसके बदले एससीसीएल से दृढ़ कोयला लिंकेज प्राप्त किया जा सकता है।

कोयला मंत्रालय ने 22.04.2020 को बनाई कोयला ब्लॉक और 04.06.2020 को भालुमुडा कोयला ब्लॉक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। एनटीपीसी ने अपने उत्तर में फिर से कोयला मंत्रालय से कुडगी एसटीपीपी (2400 मेगावाट) के लिए दोनों ब्लॉकों से कोयले के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया और दोहराया कि इन दो कोयला ब्लॉकों के विलय/संयुक्त संचालन से कोयले की प्रतिशत वसूली में वृद्धि होगी।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि, चूंकि इन दो ब्लॉकों को क्षेत्रीय रूप से खोजे गए ब्लॉकों के लिए नियमों के तहत आवंटित किया गया था, संभावित कोयला भंडार की प्राप्ति की अनिश्चितता को कवर करने के लिए, उपबंधों को अनुबंध (सीबीडीपीए) में रखा गया है, जो अभ्यर्पण/परित्याग के लिए अनुच्छेद संख्या 3 और 4 के अंतर्गत वर्णित है।

अनुच्छेद-3, खंड 3.2 के अनुसार, *"सरकार की संतुष्टि के अनुरूप अनुसूची IVए में निर्धारित कार्य कार्यक्रम/उपलब्धियों के पूरा होने के अधीन, ब्लॉक आवंटी सरकार को नोटिस द्वारा इस समझौते को समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है। अनुसूची IV-ए के प्रावधानों के अनुसार खान योजना प्रस्तुत करते समय, ब्लॉक आवंटी सरकार को सूचित करेगा कि क्या उसने इस समझौते को समाप्त करने या विकास अवधि में जारी रखने का विकल्प चुना है।"*

आगे अनुच्छेद-4, खंड 4.1 के अनुसार *"यह उल्लेख है कि .... "आवंटिती खान योजना के लिए आवेदन देने के पश्चात पूरे खनन क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से को त्याग सकता है।.."*

अत: कठिन भू-खनन परिस्थितियों को देखते हुए और बेहतर वाणिज्यिक विवेक के लिए, एनटीपीसी ने कोयला मंत्रालय को बनई और भालुमुडा कोयला ब्लॉकों का अभ्यर्पण कर दिया।

ii. मंदाकिनी-बी कोयला ब्लॉक

तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची के खंड 7 के तहत किया गया था, जिसके अनुसार "एनटीपीसी आवश्यक कोयला लिंकेज स्थापित करने के बाद तेलंगाना के अग्रवर्ती राज्य में 4000 मेगावाट विद्युत की सुविधा स्थापित करेगा"।

तदनुसार, एनटीपीसी ने तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट (4000 मेगावाट) के लिए गारे पाल्मा II कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए 26.02.2015 को कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया। तथापि, कोयला मंत्रालय (कोयला मंत्रालय) द्वारा इस ब्लॉक के आवंटन पर विचार नहीं किया गया था। एनटीपीसी ने एनटीपीसी की अंतर-कार्यात्मक समिति द्वारा उचित विचार के आधार पर, नीचे (वरीयता के क्रम में) दिए गए चार कोयला गैर-आवंटित ब्लॉकों की सूची के साथ 29.08.2015 को फिर से कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया था।

वरीयता संख्या	कोयला ब्लाक का नाम	कोलफील्ड/राज्य	भूवैज्ञानिक भंडार (एमटी)
1	फतेहपुर ईस्ट	माण्ड-रायगढ़/ छत्तीसगढ़	450
	रामपिया	आईबी वैली/ ओडिशा	285
	कुल अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार		735
2	उत्कल ‘ए’	तलचर/ओडिशा	952
3	मंदाकिनी ‘बी’	तलचर/ओडिशा	1200

आवंटन के समय, मंदाकिनी-बी को क्षेत्रीय रूप से अन्वेषित किया गया था और एनटीपीसी ने सीएमपीडीआईएल के माध्यम से विस्तृत अन्वेषण किया था। ग्रामीणों ने पहले दिन से ही विस्तृत अन्वेषण की प्रगति को रोक दिया और अवास्तविक और अत्यधिक भूमि मुआवजे की मांग करते हुए 32 लाख रूपए प्रति एकड़ के बेंचमार्क मूल्य के बजाए 1 से 2.5 करोड़ रूपए प्रति एकड़ (8.8 लाख रूपए प्रति एकड़ के बेंचमार्क मूल्य का 1.8 गुणा और 100 प्रतिशत सॉल्टियम लेते हुए), एनटीपीसी में स्थायी रोजगार, ब्लॉक सीमा के बाहर भी पूर्ण भूमि का अधिग्रहण, सभी प्रकार की भूमि के लिए समान दर आदि की मांग की थी।

सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत 06.04.2019 को धारा 7 अधिसूचित की गई थी। अत्यधिक उच्च भूमि दर, एनटीपीसी में रोजगार आदि की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई आपत्तियों के कारण धारा 8 के तहत कोयला नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है। कोयला नियंत्रक ने इन गांवों के समूहों की दो सुनवाई 04.11.2019 और 04.12.2019 को उनके कार्यालय में की लेकिन दिसंबर 2020 तक, जब एनटीपीसी ने कोयला मंत्रालय को खान का अभ्यर्पण करने का निर्णय लिया, तो ग्रामीणों ने कोयला नियंत्रक को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार, एनटीपीसी कोयला मंत्रालय द्वारा धारा 7 अधिसूचना जारी करने की तिथि से एक वर्ष और नौ महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 9 अधिसूचना के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं था।

ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण, सीबीए अधिनियम की धारा 8 के तहत कोयला नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, ईआईए अध्ययन, वन मंजूरी

जैसी खानन विकास गतिविधियों को नहीं किया जा सका और दक्षता मानकों के संबंधित उपलब्धियां प्रभावित हुई थी।

कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, राज्य और जिला प्रशासन, ओडिशा सरकार की बहुत मान-मनुहार और समर्थन के बावजूद, ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण कोई प्रगति नहीं हो सकी, इसलिए, एनटीपीसी ने अपने नियंत्रण से परे कारणों से इस कोयला ब्लॉक को कोयला मंत्रालय को सौंप दिया।

कोयला मंत्रालय ने आवंटन समझौते के दक्षता मापदंडों का अनुपालन न करने के लिए 10.12.2019 और 15.10.2020 को एनटीपीसी को दो (02) कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। एनटीपीसी ने अपने दिनांक 27.12.2019 एवं 30.10.2020 के पत्रों के माध्यम से उत्तर दिया कि ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण विस्तृत अन्वेषण, जीआर को तैयार करना, खनन योजना की तैयारी और अनुमोदन, वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी और धारा 11 अधिसूचना प्राप्त करने जैसी खदान विकास गतिविधियों में विलंब हो रहा है।

परित्याग/अभ्यर्पण के पश्चात, कोयला मंत्रालय भविष्य में ये आवंटित किए जाने वाले नए आबंटिती से एनटीपीसी को अन्वेषण और जीआर की लागत की प्रतिपूर्ति करवाएगा।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

विलम्बित परियोजाओं में प्रचालन से अधिक लागत

सिफारिश (क्रम संख्या-25)

समिति ने नोट किया कि एनटीपीसी की लगभग 13 प्रमुख निर्माणाधीन कोयला आधारित ताप-विद्युत और जल-विद्युत परियोजनाओं में देरी हुई है। कोयला आधारित परियोजनाओं में से एक बाढ़-I, जिसे 2011-12 में चालू करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसके अब 2022-23 तक पूरा होने का अनुमान है। एक अन्य परियोजना अर्थात बीआरबीसीएल नबीनगर संयुक्त उद्यम परियोजना जिसके 2012-13 में चालू होने की

उम्मीद थी, उसके अब 2021-22 में चालू होने की उम्मीद है। इसी प्रकार एक जलविद्युत परियोजना अर्थात तपोवन विष्णुगढ़ एचईपीपी जिसे 2012-13 में चालू किया जाना था और बाद में उसके 2022-23 में चालू होने की उम्मीद थी, लेकिन 7 फरवरी, 2021 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने परियोजना के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। मंत्रालय द्वारा विभिन्न रिपोर्टों/समीक्षाओं जैसे प्रगति, ई-समीक्षा, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), सीईए की समीक्षा और यहां तक कि सचिव और मंत्री स्तर की समीक्षाओं के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी के बावजूद परियोजनाओं को चालू करने में देरी हुई। इस आशंका पर कि परियोजनाओं में देरी के कारण प्रचालनों से अधिक लागत उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी,एनटीपीसी ने कहा कि वे सीईआरसी के समक्ष अपनी पूंजीगत लागत की स्वीकृति और टैरिफ के निर्धारण के लिए आगामी स्टेशनों के लिए टैरिफ याचिका दायर करते हैं। शुल्क के निर्धारण पर विचार करते समय आयोग द्वारा लागत में वृद्धि और समय से अधिक चलने के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि पर विचार किया जाता है। यदि देरी उन कारणों से हुई है जो उत्पादकके नियंत्रण से बाहर हैं, तो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद टैरिफ में इसकी अनुमति है। अनियंत्रितकारकों के कारण देरी कोजैसे मंजूरी देने में विलंब, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, कानून और व्यवस्था के मुद्दे, प्राकृतिक आपदाएं, अप्रत्याशित घटनाएंआदि आमतौर पर आयोग द्वारा टैरिफ विनियमों के अनुसार विवेक के अधीन अनुमति दी जाती है। तथापि, आयोग द्वारा उत्पादन कंपनी के कारण परियोजना लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं है। समिति नोट करती है कि कुछ परियोजनाओं में 8 वर्षों से अधिक की देरी हुई है और ऐसी स्थिति में, यहअनिवार्य है किमंत्रालय और एनटीपीसी की ओर से स्थानीय मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाया जाए और इन विलंबित परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने और चालू करने के लिए अपने तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करना होगा,जो एक तरफ निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल प्रदान करना शुरू कर देगा और दूसरी तरफ बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली की उपलब्धता में वृद्धि करेगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

परियोजनाओं को जल्द से जल्द चालू करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता होने वाले मुद्दों को विद्युत मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सूचित करना शामिल है। प्रगति/पीएमजी पोर्टल का भी उपयोग अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान के लिए किया जा रहा है।

केवल 3 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जो 8 वर्षों से अधिक विलंबित हैं, अर्थात् बाढ़-I (3x660 मेगावाट), तपोवन विष्णुगढ़ (4x130 मेगावाट) और बीआरबीसीएल (4X250 मेगावाट)।

इन परियोजनाओं को चालू किए जाने के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

बीआरबीसीएल, नबीनगर (4x250 मेगावाट; एनटीपीसी और रेलवे का एक संयुक्त उद्यम):
तीन यूनिटें पहले ही चालू हो चुकी हैं और वाणिज्यिक प्रचालन में हैं। अंतिम यूनिट और परियोजना के 2021-22 की दूसरी तिमाही में चालू होने की संभावना है।

बाढ़-I (3x660 मेगावाट):
पहली यूनिट ने 24.04.21 को पहले ही पूर्ण लोड प्राप्त कर लिया है और इसके 2021-22 की दूसरी तिमाही में चालू होने की संभावना है। शेष यूनिटों को चालू करने के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

यूनिट#2 - वित्तीय वर्ष 22-23 पहली तिमाही

यूनिट#3 - वित्तीय वर्ष 23-24 दूसरी तिमाही

तपोवन विष्णुगढ़ (4x130 मेगावाट), जल परियोजना:

07.02.2021 को, बड़े पैमाने पर हिमनदों के फटने, ऋषिगंगा नदी में हिमस्खलन के कारण ऋषिगंगा और दाहुलीगंगा नदियों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। परियोजना के क्षति का आकलन किया जा रहा है। परियोजना के प्रत्याशित समापन का पुनर्मूल्यांकन क्षति के आकलन और परिणामी पुनर्कार्य/अतिरिक्त कार्यों के आधार पर किया जाएगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

ताप-विद्युत संयंत्रों का जीवन-काल

सिफारिश (क्रम संख्या-26)

समिति ने पाया कि सीईआरसी के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्रों की 79 इकाइयों ने 25 वर्षों के अपने सामान्य जीवन-काल को पूरा कर लिया है। इन 79 टीपीपी इकाइयों में से 52 इकाइयां 30 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और 4 इकाइयां 50 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। समिति को सूचित किया गया कि वास्तविक या भौतिक जीवन उपयोगी जीवन की तुलना में बहुत लंबा है और उपयोगी जीवन की अवधारणा एक वित्तीय जीवन की गणना के लिए होतीहै जिसका उपयोग मूल्यह्रास की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में बिजली संयंत्रों की औसत आयु के अनुरूप है जहां यह 40 वर्ष से अधिक है और कुछ मामलों में 50 वर्ष से भी अधिक है।

समिति यह नोट करती है कि एनटीपीसी की अनेक ताप-विद्युत इकाइयों ने, जो 25 से अधिक वर्षों से प्रचालन में हैं, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) किया है। समिति को सूचित किया गया है कि एनटीपीसी के पास वर्षों के अनुभव से विकसित की गई एक सुदृढ़ ओएंडएम प्रक्रिया है और इस प्रकार संयंत्र के निर्दिष्ट जीवन-काल के समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन में न्यूनतम गिरावट ही आई है। इसके अलावा, आधुनिक प्रौद्योगिकीको अपनाने वाली मध्यवर्ती नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) गतिविधियों को पुराने उपकरणों पर संचालित किया जाता है जो आंशिक रूप से संयंत्र के प्रदर्शन स्तर को पुनः प्राप्त करतीहैं। सुरक्षा पहलू एनटीपीसी डिजाइन के साथ-साथ ओएंडएम प्रथाओं में अंतर्निहित हैं। सुरक्षा जोखिम की किसी भी संभावना के मामले में, ओएंडएम और आरएंडएम चरणों के दौरान ऐसे घटक/उपकरण को बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। एनटीपीसी बेड़े की सबसे पुरानी इकाई, एनटीपीसी की 38 वर्षीय सिंगरौली इकाई है जिसे 1982 में चालू किया गया था, और उसने चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में 100.24% का पीएलएफ दर्ज किया है जो कि देश में सबसे अधिक है। समिति नोट करती है कि एनटीपीसी बिना किसी परिभाषित जीवन विस्तार के व्यय मोड के तहत विशेष भत्ते के माध्यम से टीपीपी का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कर रही है। कंपनी सीईआरसी विनियमों के अनुसार आरएंडएम में किए गए निवेश को या तो पूंजीकरण द्वारा या विशेष भत्ते के माध्यम से प्रति वर्ष 9.5 लाख रुपये प्रति मेगावाट की वसूली टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए प्राप्तकर सकती है। समिति को सूचित किया गया था

कि जहां इकाइयां बहुत पुरानी हैं और ओएंडएम/आरएंडएम उपकरण के प्रदर्शन/जीवन में सुधार नहीं कर सकता है, एनटीपीसी उन संयंत्रों को हटाकर रहा है। 100% से अधिक पीएलएफ पर उपरोक्त बिजली संयंत्र का संचालन करने वाली उपलब्धि एनटीपीसी टीम की तकनीकी क्षमता और इसकी मजबूत ओएंडएम प्रथाओं के बारे में बहुत कुछ वर्णित करती है। समिति को उम्मीद है कि एनटीपीसी अन्य पुराने संयंत्रों में भी ऐसी सफलता की गाथाओं को दोहरा सकती है जो अपेक्षाकृत कम लागत पर बिजली उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी जिससे अंतिम लाभार्थी आम जनता होगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

पुराने संयंत्रों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एनटीपीसी की एक भली-भांति निर्धारित नीति है। ऐसे संयंत्रों में मुद्दों की पहचान की जाती है और आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाती है, निष्पादित की जाती है और उसकी नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

संयंत्र भार कारक और संयंत्र उपलब्धता कारक

सिफारिश (क्रम संख्या-27)

समिति ने यह पाया है कि संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) ताप-विद्युत संयंत्रों की औसत क्षमता उपयोग का एक उपाय है। एनटीपीसी के कोयला आधारित संयंत्रों के पीएलएफ में पिछले दशक के दौरान लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो 2010-11 में 88.29% से घटकर 2019-20 में 68.20% हो गई है। अखिल भारतीय आधार पर कोयला स्टेशनों के पीएलएफ में भी 2010-11 में 75.08% की तुलना में 2019-20 में 55.99% की समान कमी देखी गई है। एनटीपीसी कोयला आधारित स्टेशनों के पीएलएफ में गिरावट को 2014-15 से 2019-20 तक अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है, जिसके दौरान इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर देखी गई 8.5% की गिरावट की तुलना में पीएलएफ में 12% की गिरावट आई है, जो 80.2% से कम होकर 68.2% हो गई है। इस प्रकार की

गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण हैं -अखिल भारतीय स्तर पर आरई बिजली में वृद्धि (2014-15 से 2019-20 तक अखिल भारतीय आरई क्षमता वृद्धि 48,068 मेगावाट थी) और देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि, जिससे लाभार्थियों द्वारा कम समय-निर्धारण के कारण ताप-विद्युत संयंत्रों से प्रेषण में कमी आई है। समिति ने यह पाया है कि नवीकरणीय ऊर्जा बिजली को प्राथमिकता दी गई है जो 2011-12 में 51 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर 2019-20 में 138 बीयू हो गई है और भविष्य में भी इसमें और वृद्धि जारी रहेगी, जिसका थर्मल पावर स्टेशनों के पीएलएफ पर प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर वित्तीय दबाव पड़ता है जब तक कि देश में बिजली की समग्र मांग में समान वृद्धि न हो। ऐसा लगता है कि ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की फीडिंग ताप-विद्युत के अतिरिक्त नहीं है बल्कि ताप-विद्युत के स्थान पर है जिसके परिणामस्वरूप एनटीपीसी के ताप-विद्युत स्टेशनों के पीएलएफ में भारी गिरावट आई है।

तथापि,समिति ने यह देखा कि कम शेड्यूलिंग के बावजूद, एनटीपीसी ने पिछले दशक के दौरान राष्ट्रीय पीएलएफ की तुलना में 12% से अधिक का सकारात्मक अंतर बनाए रखा और उत्पादन संयंत्रों के लचीले संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए क्योंकि एनटीपीसी को लगता है कि इसमें भविष्य में वृद्धि होने वाली है, और निकट भविष्य में ताप-विद्युतपरियोजनाओं के लिए और अधिक भूमि अधिग्रहण नहीं करने और कार्बन मुक्त स्रोतों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। समिति इन कदमों की सराहना करती है और आशा करती है कि इन उपायों से एनटीपीसी के ताप-विद्युत स्टेशनों को उचित पीएलएफ स्तर पर चलाने में सुविधा होगी। समिति यह भी चाहती है कि एनटीपीसी संयंत्रों के संचालन के लिए बेहतर तरीकों और साधनों के नवाचार के लिए अपने निरंतर प्रयास जारी रखे ताकि पीएलएफ स्तर को उच्च स्थिति में रखा जा सके।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

उत्तर दिए जाने के लिए कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

सिफारिश (क्रम संख्या-28)

समिति नोट करती है कि सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014 के अध्याय 5 के विनियम 20(1) में प्रावधान है कि ताप विद्युत उत्पादन केंद्र से बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क में दो भाग होंगे अर्थात् क्षमता प्रभार (घटकों को शामिल करने वाली वार्षिक स्थिर लागत की वसूली के लिए जैसा कि इन विनियमों के विनियम 21 में निर्दिष्ट किया गया है) और ऊर्जा प्रभार (प्राथमिक और द्वितीयक ईंधन लागत और चूना पत्थर लागत की वसूली के लिए,जहां लागू हो)। क्षमता प्रभार (उदाहरण के लिए, मूल्यह्रास, ब्याज और संचालन एवं रखरखाव खर्च, इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज और कार्यशील पूंजी पर ब्याज, आदि) पीएलएफ के बावजूद, उत्पादन के मानक स्तर पर तय किए जाते हैं। तथापि, यह बता देना महत्वपूर्ण है कि पीएलएफ मुख्य रूप से वितरण कंपनियों द्वारा दी गई बिजली/मांग पर निर्भर करता है। इस प्रकार, पीएलएफ में कमी (अर्थात् लाभार्थी द्वारा निर्धारित इकाइयों की संख्या) के परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को बिल किए गए कुल ऊर्जा शुल्क में कमी आएगी, जिससे परिचालन से कुल राजस्व में गिरावट आएगी। बिजली की प्रति यूनिट लागत कुल क्षमता शुल्क, ऊर्जा शुल्क, और ऊर्जा के आधार पर निर्धारित की जाएगी जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है। समिति नोट करती है कि एनटीपीसी संपूर्ण क्षमता के लिए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षर करके डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का आकलन करने के बाद ही टीपीपी स्थापित करती है।समिति का मानना है कि (i) देश में वास्तविक मांग वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में अनुमानित मांग वृद्धि से कम रही है; (ii) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के कारण पारंपरिक बिजली की कम समयबद्धता, जो अनिवार्य रूप से संचालित होती है और, (iii) ताप-विद्युत उत्पादकों को नि:शक्त और रुक-रुक कर आरई उत्पादन को अवशोषित करने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने और कम करने की आवश्यकता होती है, ताप-विद्युत उत्पादकों, विशेषकर एनटीपीसी के वित्त और संयंत्र जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सरकार, सीईआरसी आदि सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए तुरंत उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि ताप-विद्युत उत्पादन वित्तीय रूप से व्यवहार्य रहे और मूल्यवान आस्तियों को दीर्घकाल में एनपीए में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी का टैरिफ सीईआरसी विनियमों द्वारा शासित होता है और टैरिफ संरचना आदि में आवश्यक किसी भी बदलाव पर नियामकों के फोरम में चर्चा की जाती है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

एनटीपीसी द्वारा अर्जित टीपीपी के पीएलएफ में वृद्धि

सिफारिश (क्रम संख्या-29)

समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित संयंत्रों के प्रदर्शन में आरएंडएम के माध्यम से सुधार किया गया था। 1995 में अधिग्रहण के समय टीपीपी का पीएलएफ 18.7% था, लेकिन लगभग 87% की उपलब्धता के साथ अब यह लगभग 84% है। इसी तरह, 1992 में टेकओवर के समय ऊंचाहार चरण-I पीएलएफ 18% था, लेकिन अब यह लगभग 90% की उपलब्धता के साथ लगभग 60% है। इसके अलावा, 2000 में अधिग्रहण के समय टांडा चरण-I का पीएलएफ 14.9% था, लेकिन लगभग 72% की उपलब्धता के साथ अब यह लगभग 53% है। समिति का मानना है कि जीवन, उत्पादकता, उपयोग में इस तरह की वृद्धि से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में संयंत्रों के निचले स्तर पर अत्यधिक योगदान हो सकता है। समिति को आशाहै कि एनटीपीसी अन्य ताप विद्युत संयंत्रों में भी इन उपायों को दोहराएगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी उत्पादन में निरंतर उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ उपलब्धता को अधिकतम करने, नवीनतम आईटी सक्षम उपकरणों का उपयोग करने और ईंधन की उपलब्धता को अधिकतम करके उत्पादन की लागत को कम रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

एचआर कार्य-निष्पादन मेट्रिक्स में सुधार

सिफारिश (क्रम संख्या-32)

समिति ने यह पाया है कि 31.01.2021 को एनटीपीसी में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर कुल मानव शक्ति 18,945 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 18,333 हो गई है। पद पर कार्यरत जनशक्ति में से 15,901 कर्मी तकनीकी पदों पर और 2432 कर्मी गैर-तकनीकी पदों पर हैं। संगठन की जनशक्ति में 2783 अ.जा. के, 1259 अ.ज.जा. के, 3865 अन्य पिछड़े वर्गों के और 1237 महिला कर्मचारी शामिल हैं। समिति ने यह देखा कि मानव संसाधन उत्पादकता जैसे प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन, मानव मेगावाट अनुपात (एमएमआर) अर्थात प्रति मेगावाट कर्मचारियों की संख्या, प्रति कर्मचारी उत्पादन में कर्मचारियों की संख्या में कमी और संस्थापित क्षमता में वृद्धि के होने बावजूद भी 2010-11 से निरंतर सुधार देखा गया है जो लगभग दोगुना हो गया है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनटीपीसी संसाधनों के इष्टतम उपयोग, बदलती व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर जनशक्ति के युक्तिकरण, आउटसोर्सिंग, मानकीकृत नौकरियों के लिए साझा सेवाओं को शामिल करने आदि के कारण ही यह उपलब्धि हासिल कर सका है। समिति एनटीपीसी फोर्टिस के प्रबंधन के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना करती है जिसने 2009-10 से 2019-20 के दौरान 27% कम जनशक्ति के साथ 74% अधिक बिजली का उत्पादन किय, जिसके परिणामस्वरूप लागत में भारी किफायत/बचत हुई, और यह उपलब्धि बिजली संयंत्रों के संचालन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना हासिल की गई। समिति को आशा है कि एनटीपीसी भविष्य में भी इस तरह के प्रदर्शन को हासिल करना जारी रखेगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

मानव संसाधन निष्पादन मेट्रिक्स को प्राप्त किए जाने को जारी रखने के लिए माननीय समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

सिफारिश (क्रम संख्या-33)

समिति ने यह पाया है कि एनटीपीसी के कार्यबल में महिला कर्मचारियों की संख्या 2010-11 में 1392 से घटकर 2019-20 में 1153 हो गई है जो इस अवधि के दौरान कुल जनशक्ति में आई समग्र गिरावट के लगभग अनुरूप है। तथापि, अगर इसे प्रतिशत के संदर्भ में देखा जाए तो महिला कर्मचारियों की संख्या 2010-11 में 5.87% से बढ़कर 2019-20 में 6.61% हो गई है, जो कि इस अवधि के दौरान जनशक्ति में कुल मिलाकर 27% की कमी के मुकाबले 0.74% की वृद्धि है। इसका तात्पर्य यह है कि एनटीपीसी द्वारा अधिक महिलाओं की भर्ती की गई है। समिति को यह भी बताया गया कि वर्तमान में एनटीपीसी में लगभग 1278 महिला कर्मचारी हैं जो संगठन की कुल जनशक्ति का लगभग 7% है। वर्तमान में, एनटीपीसी में 07 वरिष्ठ महिला कार्यपालक हैं जो एचआर क्षेत्रीय प्रमुखों/एचआर प्रमुख के पदों संभाल रही हैं और 11 महिलाएं मुख्य महाप्रबंधक/सामान्य प्रबंधन स्तर के पदों पर हैं जबकि 105 महिलाएं संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों में तैनात हैं। समिति ने उसे प्रस्तुत की गई जानकारी के अवलोकन से यह पाया है कि संगठन में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और उन्हें बढ़ने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एनटीपीसी द्वारा अनेक पहलें की जा रही हैं। इन पहलों में से कुछ हैं (i) एनटीपीसी पदों के लिए आवेदन करते समय लड़कियों के

लिए आवेदन शुल्क की छूट, (ii) सभी निर्णय लेने वाले मंचों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी और प्रतिनिधित्व ताकि कंपनी की नीतियों, प्रणाली में सुधार, नई पहलों, विकासात्मक कार्रवाइयों आदि के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों/एजेंडा पर उन्हें अपनी बात को शामिल करने के लिए अवसर प्राप्त हो सके, (iii) महिला कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन परामर्श सुविधा और पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा तनाव, चिंता और अन्य कार्य-जीवन संतुलन को संभालने के लिए रोगी-सुनवाई, (iv) यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने और उनके निवारण के लिए सभी एनटीपीसी साइटों पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन, (v) कार्यालय परिसर में सुरक्षा वेब कैम, बायोमेट्रिक्स की स्थापना द्वारा महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करना, प्रमुख स्थानों/इंट्रानेट आदि पर साइट की आईसीसी समिति के विवरण प्रदर्शित करना ताकि उन्हें स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ काम करने में सक्षम बनाया जा सके। (vi) विख्यात/प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा महिला नेतृत्व और अधिकारिता संबंधी मॉड्यूल/प्रशिक्षण में महिला कर्मचारियों को प्रमाणीकृत कराना, उन्हें अनुभव, ज्ञान प्राप्त करने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करना, (vii) कार्यालय में उपस्थित सभी महिला कर्मचारियों को महीने में 8 बार समय में लचीलापन प्रदान करना, (viii) महिला कर्मचारियों के लिए 'शक्ति' नामक ऑनलाइन चर्चा मंच। यह मंच सभी एनटीपीसी महिला कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करने, मौजूदा प्रथाओं, नई पहलों, नए विषयों आदि पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। समिति एनटीपीसी द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित और उत्साहजनक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए की गई विभिन्न महिला-हितैषी पहलों की सराहना करती है और आशा करती है कि आने वाले समय में संगठनात्मक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर महिला कर्मचारियों की शक्ति में और भी वृद्धि होगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

माननीय समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है और कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, एनटीपीसी ने विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

श्रेष्ठ एचआर प्रक्रियाओं के लिए पुरस्कार और सराहना

सिफारिश (क्रम संख्या-34)

समिति ने यह देखा है कि कंपनी द्वारा अपनाए गए उल्लेखनीय मानव संसाधन प्रदर्शन मेट्रिक्स और संचालित की गई विभिन्न महिला-हितैषी पहलों ने अनेक मानव संसाधन पुरस्कार और सराहना प्राप्त की है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कार्य करने के लिए उत्कृष्ट स्थान, कर्मचारी उत्पादकता, मानव संसाधन क्षमता निर्माण उपायों, कर्मचारी संबंधों आदि में एनटीपीसी द्वारा जीते गए एचआर पुरस्कारों की संख्या को देखते हुए, न केवल अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों के साथ बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। समिति ने आगे यह भी नोट किया है कि एनटीपीसी ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट और द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सूची हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ नियमित रूप से भाग लेती रही है और सराहनीय रैंकिंग हासिल कर रही है। समिति ने यह भी पाया है कि एनटीपीसी विभिन्न मानव संसाधन पुरस्कार जीतने के क्षेत्र में सुस्थापित निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी कहीं आगे रही है जिनमें साल-दर-साल काम करने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनियां भी शामिल हैं, जिसका कारण सक्षमता निर्माण, प्रतिबद्धता निर्माण, संस्कृति निर्माण और प्रणाली निर्माण नामक उसके चार स्तंभ हैं जिन पर एनटीपीसी की एचआर प्रणालियां आधारित हैं। इन लोकप्रथाओं में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जैसे काम पर रखना, स्वागत करना, प्रेरणा देना, बोलना, सुनना, सहयोग करना, शिकायत निवारण, धन्यवाद देना, विकास करना, संतुलन बनाना, समर्थन करना, जश्न मनाना, पुरस्कृत करना और योगदान देना आदि। समिति अपने मानव संसाधन मेट्रिक्स में सुधार करने के लिए कंपनी के सतत और निरंतर प्रयासों के लिए उसकी सरहना करती है, जिनके परिणामस्वरूप कंपनी को न केवल राष्ट्रीय संस्थानों से बल्कि प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन संस्थानों से भी विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। चूंकि एनटीपीसी की एचआर प्रथाओं में विभिन्न बेंच मार्किंग और मूल्यांकन अभ्यासों में अपनी भागीदारी के

कारण परिष्कृत और सुधार आया है, जिसके माध्यम से एनटीपीसी ने अन्य कंपनियों से काफी कुछ सीखा है, समिति सुझाव देना चाहेगी कि इन परिष्कृत एचआर प्रथाओं को अन्य महारत्न और नवरत्न कम्पनियों में भी अपनाए जाने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

समिति के बहुमूल्य सुझावों को एनटीपीसी द्वारा अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

सुरक्षा मुद्दे

सिफारिश (क्रम संख्या-35)

समिति यह पाया है कि एनटीपीसी की आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा हर वर्ष संचालित की जाती है और राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई; आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल; क्यूसीएफआई, हैदराबाद, आदि के माध्यम से बाह्य लेखापरीक्षा दो साल में कम-से-कम एक बार संचालित की जाती है और अब एनटीपीसी वर्ष में दो बार अपनी आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा और वर्ष में एक बार बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा करने का आशय रखता है। इसके अलावा, कंपनी ने सुरक्षा पहलुओं का आकलन करने और उपाय सुझाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार ड्यूपॉन्ट को नियुक्त किया है। एनटीपीसी ने ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अपने स्वयं के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टांडा परियोजना में एक सुरक्षा संस्थान भी स्थापित किया है। तथापि, समिति इस बात को लेकर व्यथित है कि सुरक्षा और संरक्षा उपकरणों के तहत व्यय की पूर्ति करने के लिए कोई अलग बजट नहीं है और इसे एनटीपीसी के ओएंडएम बजट से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। दी गई जानकारी के एक सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि हालांकि

प्रशिक्षण पर व्यय उत्साहजनक रहा है, लेकिन सुरक्षा उपकरणों और उपस्करों की खरीद के लिए अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई है। वर्ष 2010-11 से 2019-20 के बीच पिछले 10 वर्षों के दौरान, एनटीपीसी ने प्रशिक्षण आदि पर लगभग 303.84 करोड़ रु.खर्च किए जबकि इसी अवधि के दौरान सुरक्षा और उपकरणों पर खर्च केवल 31.15 करोड़ रु. था। औसत के अनुसार, कंपनी ने पिछले दस वर्षों के दौरान सुरक्षा उपकरणों और उपस्करों की खरीद पर प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक व्यय किया है। तथापि, एनटीपीसी द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि एनटीपीसी संयंत्रों में सुरक्षा के लिए कोई अलग बजट नहीं है और एनटीपीसी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद की लागत को संयंत्र के ओएंडएम बजट में शामिल किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया था कि ओएंडएम बजट लगभग 40,000 करोड़ रु. है और उपकरणों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रकीर्ण वोट आउट बजट है। तथापि, समिति ने यह पाया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सुरक्षा उपकरणों और उपकरणों पर किए गए व्यय की प्रवृत्ति इस बात का सूचक है कि ओएंडएम खंड में भारी बजट होने के बावजूद इस क्षेत्र पर ज्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है। समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि एनटीपीसी संयंत्रों में 2019-20 के दौरान, ओएंडएम कार्यों में 14 घातक दुर्घटनाएं और सीएंडई कार्यों में 07 घातक दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा, 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले में तपोवन परियोजना में आई प्राकृतिक आपदा में एनटीपीसी कर्मचारियों सहित कई लोगों की जानें चली गई। अन्य एजेंसियों से बचाव दल और उपकरणों को घटनास्थल पर रवाना करना पड़ा। समिति महसूस करती है कि यदि दुर्घटनाओं/आपदा के दौरान तथा बचाव कार्यों को संचालित किए जाने के दौरान सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और स्थायी संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने सहित अन्य सुरक्षा पहलुओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, तो उसके कर्मचारियों के कीमती जीवन को बचाया जा सकता है। इसके अलावा, एनटीपीसी को प्रशिक्षण पर अपनी लागत के साथ-साथ सुरक्षा उपकरणों और उपस्करों की खरीद पर अपने व्यय को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए समिति अनुशंसा करती है कि एनटीपीसी को सुरक्षा मामलों के लिए एक अलग और अनन्य बजट निर्धारित करना चाहिए ताकि संयंत्रों, मशीनरी और कीमती जनशक्ति की सुरक्षा और संरक्षा पर प्रभावी निवारक उपकरणों को सुनिश्चित किया जा सके और बचाया भी जा सके।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए समिति की सिफारिश को नोट कर लिया है। सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण पर खर्च बढ़ाने के लिए, एनटीपीसी विवरण तैयार करने की प्रक्रिया में है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रमाणन

सिफारिश (क्रम संख्या-36)

समिति को सूचित किया गया है कि सभी एनटीपीसी स्टेशनों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला (ओएचएसएएस) 18001/आईएस 18001 से प्रमाणित किया गया है और एनटीपीसी के लगभग 28 स्टेशनों को आईएसओ 45001 प्रमाणीकरण में उन्नयितकिया गया है। इसके अलावा, एनटीपीसी के प्रबंधन द्वारा एनटीपीसी के छह स्टेशनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा संघ (एनओएसए) मान्यता प्राप्त करने के लिए चुना गया है। छह एनटीपीसी स्टेशनों को भौगोलिक स्थानों और क्रॉस-सेक्शनल प्रतिनिधित्व के लिए परियोजनाओं के प्रकार के आधार पर प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में चुना गया था और छह स्टेशनों के प्रदर्शन के प्रत्यायान के बाद निगरानी की जाएगी और यदि संतोषजनक पाया गया तो उसे एनटीपीसी के शेष संयंत्रों में लागू किया जाएगा। समिति को आगे सूचित किया जाता है कि एनटीपीसी स्टेशनों को अभी भी निर्माणाधीन चरण में ओएचएसएएस 18001/आईएस 18001 प्रमाणीकरण के लिए पेश होना है और फिर परियोजना के पूरा होने के बाद 14001 प्रमाणन के लिए प्रस्तुत होना है। इसके अलावा, कई सौर संयंत्र मुख्य स्टेशन का हिस्सा हैं और एक तार्किक बहिर्वेशन प्राप्त करते हैं तथा एनटीपीसी की योजना इन्हें अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाने की है। समिति अपने कुछ संयंत्रों के लिए विभिन्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान देते हुए सिफारिश करेगी कि एनटीपीसी को एक समयबद्ध तरीके से अपने सभी संयंत्रों के

लिए समान प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए, जिसमें निर्माणाधीन संयंत्र भी शामिल हैं, ताकि हर बिजली संयंत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी दिसंबर 2021 तक आईएसओ: 45001 लेने के लिए अपने स्टेशनों के साथ कार्य कर रहा है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

अप्रयुक्त फ्लाई ऐश के लिए भंडारण आवश्यकताएँ

सिफारिश (क्रम संख्या-38)

समिति को सूचित किया गया कि एनटीपीसी 33 कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों (24 स्वयं के और 9 संयुक्त उद्यम) का प्रचालन कर रही है और वर्ष 2019-20 में इन प्रचालनशील स्टेशनों द्वारा कुल 67.24 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ऐश का उत्पादन किया गया था। इसमें से 51.11 एमएमटी जो कि लगभग 76.01 प्रतिशत है, का उपयोग विभिन्न उपयोगों जैसे सीमेंट और ईंटों/ब्लॉकों/टाइल्स निर्माण उद्योगों, सड़क तटबंध निर्माण, और खदानों के खाली स्थानों को भरने, निचले क्षेत्र का विकास आदिके लिए किया गया था। लगभग 16.13 एमएमटी की अप्रयुक्त ऐश को ऐश तालाबों में पर्यावरण अनुकूल तरीके से संग्रहित किया गया था। औसतन, एनटीपीसी कोयला आधारित संयंत्र एक महीने में लगभग 5.60 एमएमटी ऐश का उत्पादन कर रहे हैं। समिति ने पाया कि 2015-16 में राख का उपयोग 41.35 प्रतिशत, 2018-19 में 63.71 प्रतिशत और 2019-20 में 76.01 प्रतिशत था। इसका तात्पर्य यह है कि एनटीपीसी के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक वर्ष अप्रयुक्त रही, जिसे स्पष्ट रूप से पर्यावरण अनुकूल भंडारण के लिए बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐश वाले तालाबों की आवश्यकता थी। अत:

समिति सिफारिश करती है कि एनटीपीसी द्वारा एक सुपरिभाषित तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश की पूरी मात्रा का निपटान सुनिश्चित कर सके जिससे न केवल कंपनी की कीमती भूमि की बचत होगी बल्कि विद्युत स्टेशनों के आसपास स्वच्छ और साफ, जोखिम मुक्त, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल वातावरण भी प्रदान करेगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी भविष्य में उपयोग के लिए फ्लाई ऐश को भरे जाने और भंडारण के लिए अपने स्टेशनों पर बैगिंग मशीन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, एनटीपीसी मांग के बढ़ने पर भविष्य में उपयोग के लिए फ्लाई ऐश के भंडारण के लिए अपने स्टेशनों पर भंडारण शेड और उच्च क्षमता वाले साइलो के निर्माण की संभावना तलाश रहा है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

स्टेशन-वार फ्लाई ऐश का उत्पादन और उपयोग

सिफारिश (क्रम सं. 39)

वर्ष 2018-19 में स्टेशन-वार राख उत्पादन और इसके उपयोग के आंकड़ों के समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि राख का उपयोग बोंगाईगांव में सबसे कम यानी 30.77 प्रतिशत और टांडा में अधिकतम यानी 286.58 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के दौरान सबसे कम और अधिकतम राख उपयोग 0.27 प्रतिशत और 168.55 प्रतिशत (पिछले वर्षों के दौरान उपयोग और उत्पादित राख सहित) क्रमशः लारा और सिम्हाद्री विद्युत संयंत्रों में देखा गया था। डाटा से आगे पता चलता है कि सात टीपीपी में से प्रत्येक ने वर्ष 2018-19 में

पिछले वर्षों के दौरान उत्पादित राख सहित (i) 100 प्रतिशत या अधिक; (ii) 50-99 प्रतिशत के बीच; और (iii) 50 प्रतिशत से कम राख का उपयोग किया है । 23 टीपीपी में से, जिनके संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए डाटा उपलब्ध है, (i) केवल 09 (नौ) टीपीपी 100 प्रतिशत या अधिक का उपयोग कर सके हैं, (ii) चार टीपीपी केवल 50 -99 प्रतिशत का उपयोग कर सके हैं और (iii) 10 (दस) टीपीपी उत्पन्न राख के 50 प्रतिशत से कम का उपयोग कर पाए हैं। समिति बोंगाईगांव टीपीपी में उत्पादित राख के बहुत कम उपयोग के विशिष्ट कारणों, इसके उपयोग में सुधार के लिए उठाए गए कदमों, फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए किए गए / किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रयासों और उसके परिणामों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

• एनटीपीसी बोंगाईगांव अपने राख उपयोग में लगातार सुधार कर रहा है। पिछले तीन वर्षों का प्रतिशत राख उपयोग डाटा इस प्रकार है:

2018-19 - 30.70 प्रतिशत
2019-20 - 45.39 प्रतिशत
2020-21 - 62.73 प्रतिशत

• वर्तमान में, एनटीपीसी बोंगाईगांव सीमेंट और ईंट उद्योग में राख का उपयोग कर रहा है। स्थानीय गड़बड़ी और रुक-रुक कर होने वाली वर्षा के कारण कभी-कभी फ्लाई ऐश की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, जिसके दौरान सीमेंट कंपनियां फ्लाई ऐश उठाने के लिए बल्कर नहीं लगा सकती हैं।

• राख के शत प्रतिशत उपयोग के लिए स्टेशन की सड़क परियोजनाओं में भी राख का उपयोग करने की योजना है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

फ्लाई ऐश का भंडारण - अधिकतम राख का उपयोग करने के लिए रणनीतिक परामर्शदाता

सिफारिश (क्रम सं. 40)

समिति ने एनटीपीसी द्वारा सीमेंट और कंक्रीट उद्योगों और ईंटों/ब्लॉकों/टाइल्स विनिर्माताओं जैसी फ्लाई ऐश आधारित भवन उत्पाद निर्माण इकाइयों को उपलब्ध कराने के लिए सूखी फ्लाई ऐश के संग्रहण और भंडारण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने को नोट किया और उसकी सराहना की। इसी प्रकार, एनटीपीसी ने राख तालाबों में पर्यावरण अनुकूल तरीके से फ्लाई ऐश का भंडारण करने के लिए वर्ष 2014 से पहले चालू किए गए सभी पुराने थर्मल पावर प्लांटों में अप्रयुक्त फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश (बॉयलर फर्नेस के नीचे एकत्र) को हैंडल करने के लिए वेट ऐश डिस्पोजल प्रणाली स्थापित की है। समिति यह भी नोट करती है कि 07 पिटहेड स्टेशनों पर राख के उपयोग को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और वह इन प्रयासों के परिणाम से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ने राख के उपयोग के लिए अवसरों की पहचान करने और पहचान किए गए स्टेशनों पर राख का शत प्रतिशत उपयोग करने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता हेतु परामर्श अनुबंध दिया है और परामर्शदाता की सिफारिशों के आधार पर एनटीपीसी भावी रूपरेखा तैयार करेगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण उपाय

सिफारिश (क्रम सं. 41)

समिति पाती है कि विषय की जांच के दौरान, यह सूचित किया गया कि एनटीपीसी विद्युत उत्पादन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए परियोजना की अवधारणा, स्थल के चयन, संसाधन चयन (भूमि, कोयला और जल स्रोत) से लेकर प्रौद्योगिकी तक एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाता है। एनटीपीसी लिमिटेड में सभी प्रकार के संभावित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रणालियां मौजूद हैं। इस संबंध में एनटीपीसी द्वारा किए गए उपायों में वायु उत्सर्जन पर नियंत्रण, जल प्रदूषण का नियंत्रण और शून्य तरल डिस्चार्ज (जेडएलडी) दृष्टिकोण को अपनाना, वास्तविक समय पर्यावरण निगरानी प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं। समिति को सूचित किया गया है, प्रत्येक संयंत्र में लागू अनुमेय सीमा से काफी नीचे कणीय पदार्थ (पीएम) उत्सर्जन को बनाए रखने के लिए 99.97 प्रतिशत तक की दक्षता के साथ उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) स्थापित किए गए हैं। एनटीपीसी ने 17.1 गीगावाट की कुल क्षमता की 64 इकाइयों में ईएसपी आर एंड एम पूरा कर लिया है और 5.26 गीगावाट की 14 इकाइयों में ईएसपी आर एंड एम प्रगति पर है। एनटीपीसी लिमिटेड की सभी प्रचालनशील यूनिटें नए उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन कर रही हैं। विद्युत उत्पादन में जल की खपत में अपना खुद का बेंचमार्क स्थापित करने के लिए इसकी एक समर्पित जल नीति-2017 है, जिसके बाद वर्षा जल संचयन नीति-2018 आती है। एनटीपीसी के सभी स्टेशन उपचारित अपशिष्टों के उपचार और पुन: उपयोग के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी), द्रव्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एलडब्ल्यूटीपी), कोयला स्लरी निपटान पिट (सीएसएसपी), ऐश वाटर रीसर्क्युलेशन प्रणाली (एडब्ल्यूआरएस) जैसे संयंत्र और घरेलू अपशिष्टों के लिए उन्नत अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं से लैस हैं। एनटीपीसी ने अपने सभी विद्युत स्टेशनों को जेडएलडी (शून्य तरल डिस्चार्ज) दृष्टिकोण के साथ संचालित करने के लिए एक सक्रिय एप्रोच अपनाई है। वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड के 10 स्टेशन जेडएलडी अनुपालन में हैं, 10 और के मार्च 2021 तक और शेष के दिसंबर 2021 तक ऐसा होने की प्रत्याशा है। कणीय उत्सर्जन और गैसीय उत्सर्जन (एसओ2 और एनओएक्स) की निगरानी के लिए सभी विद्युत स्टेशन निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) से लैस हैं और वास्तविक समय उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) सभी यूनिटों में स्थापित हैं। सभी स्टेशनों पर उत्सर्जन गुणवत्ता की वास्तविक समय निगरानी के लिए उत्सर्जन गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (ईक्यूएमएस) को स्थापित किया गया है। समिति को सूचित किया गया कि एनटीपीसी

प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जो उस पर लागू होने वाली सभी विधायी और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाता हैं। समिति धारणीय पर्यावरण के लिए एनटीपीसी द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना करती है और आशा व्यक्त करती है कि संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों का वातावरण और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाएगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

उत्तर के लिए कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

पर्यावरण स्थिरता - ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी

सिफारिश (क्रम सं. 42)

समिति पाती है कि एनटीपीसी ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न पहलें की हैं। समिति को सूचित किए गए अनुसार, इस संबंध में की गई प्रमुख पहलें हैं (i) एनटीपीसी ने अपना फोकस बदल दिया है और नवीकरणीय क्षमता वृद्धि को जोर-शोर से आगे बढ़ा रहा है (ii) एनटीपीसी 2032 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों के माध्यम से 30 प्रतिशत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है (iii) ब्लू स्काई पहलें - बायोमास को-फायरिंग और अपशिष्ट से ऊर्जा (iv) एनटीपीसी ने लगभग 35 मिलियन वृक्ष लगाए हैं और अभी भी प्रति वर्ष लगभग 10 लाख वृक्षारोपण जारी है (v) ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक को अपनाना (vi) फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), शून्य द्रव्य डिस्चार्ज, सभी स्टेशनों पर कणीय उत्सर्जन को रोकने के लिए ईएसपी की रेट्रोफिटिंग जैसे पर्यावरण नियंत्रण उपकरण की स्थापना; और (vii) एक ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली

(एएक्यूएमएस) के माध्यम से सभी स्टैकों और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस)। समिति को आशा है कि एनटीपीसी द्वारा किए गए उपायों से निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और संयंत्रों के आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखा जा सकेगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नए उत्सर्जन मानदंडों और निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) संस्थापन

सिफारिश (क्रम सं. 43)

समिति नोट करती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए, एनटीपीसी ने सभी कोयला चालित संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) की स्थापना प्रारंभ कर दी है। यह पहले ही 1340 मेगावाट की क्षमता वाली 5 यूनिटों में एफजीडी स्थापित कर चुका है और 58,940 मेगावाट की क्षमता वाली अन्य 125 यूनिटों में इसका निष्पादन किया जा रहा है। 4324 मेगावाट की क्षमता वाली अन्य 24 यूनिटों में एफजीडी प्रक्रिया निविदा के अधीन है। समिति एफजीडी संस्थापन करने के लिए एनटीपीसी के प्रयासों की सराहना करते हुए चाहती है कि एनटीपीसी उन्हें अपने सभी टीपीपी में एफजीडी संस्थापन को पूरा करने के लिए निर्धारित विशिष्ट समय-सीमा और होने वाले अनुमानित व्यय से अवगत कराए। समिति एनटीपीसी के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी प्रणाली की समय पर स्थापना पर भी

जोर देगी क्योंकि यह प्रणाली पर्यावरण पर ताप विद्युत संयंत्रों के प्रतिकूल प्रभाव को काफी हद तक कम करेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

दिसंबर 2022 तक एनटीपीसी द्वारा वहन की जाने वाली एफजीडी की अनुमानित लागत ₹20,115.95 करोड़ है।

क. **चालू की गई एफजीडी** : 1,340 मेगावाट, 5 यूनिटें [विंध्याचल-5 (यू#13: 1x500 मेगावाट), दादरी-I (यू#1 से 4 (4x210 मेगावाट)]।

ख. **एफजीडी पैकेज प्रदान किया गया** : 58,940 मेगावाट, 125 यूनिट

एनटीपीसी एमओईएफ अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 के अनुसार एफजीडी कार्यान्वयन को पूरा करेगा। एफजीडी स्थापना के लिए निर्धारित समय-सीमा नीचे दी गई है :

क्रम सं.	**परियोजना**	**क्षमता (मेगावाट)**	**प्रदान की गई लागत (करोड़ रुपये)**	**एमओईएफ अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 के अनुसार एफजीडी स्थापना के लिए निर्धारित समय सीमा**	**टिप्पणियां**
ए	**बी**	**सी**	**डी**	**ई**	**एफ**

1.	बाढ़- I (3X660 मेगावाट)	1980 मेगावाट	872.89	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
2.	बाढ़- II (2X660 मेगावाट)	1320 मेगावाट	621.96	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
3.	बोंगाईगांव (3X250 मेगावाट)	750 मेगावाट	ईपीसी का हिस्सा	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
4.	दादरी (2x490 मेगावाट)	980 मेगावाट	559.07	दिसंबर-22	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-ए में विचार
	दारलीपल्ली-I (2X800 मेगावाट)	1600 मेगावाट	556.66	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
	फरक्का-I/II और III (3x200 मेगावाट), (3x500 मेगावाट)	2100 मेगावाट	1309.8	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
	गाडरवारा- I (2X800 मेगावाट)	1600 मेगावाट	593.07	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
	कहलगांव-। और ।। (4x210 मेगावाट) और (3x500 मेगावाट)	2349 मेगावाट	1456.4	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
	खरगोन (2x660 मेगावाट)	1320 मेगावाट	603.84	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार

0.	कोरबा I, II और III (3x200 मेगावाट), (4x500 मेगावाट)	2600 मेगावाट	1387	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
1.	कुडगी I (3X800 मेगावाट)	2400 मेगावाट	851.1	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
2.	लारा-I (2X800 मेगावाट)	1600 मेगावाट	572.31	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
3.	मौदा-II (2X660 मेगावाट)	1320 मेगावाट	592.98	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
4.	मौदा- I (2X500 मेगावाट)	1000 मेगावाट	499.35	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
5.	एनकेएसटीपीपी (3x660 मेगावाट)	1980 मेगावाट	935.64	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
6.	रामागुंडम- I और II (3x200 मेगावाट), (3x500 मेगावाट)	2100 मेगावाट	1143.8	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
7.	रामागुंडम- III (1X500 मेगावाट)	500 मेगावाट	277.38	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
8.	रिहंद -II और III (4X500 मेगावाट)	2000 मेगावाट	904.62	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार

9.	सिम्हाद्री- I और II (4X500 मेगावाट)	2000 मेगावाट	1028.3	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
0.	सिंगरौली - I और II (5X200 मेगावाट), (2X500MW)	2000 मेगावाट	1207.87	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
1.	सीपत- I (3X660 मेगावाट)	1980 मेगावाट	828	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
2.	सोलापुर (2X660 मेगावाट)	1320 मेगावाट	566.44	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
3.	टांडा I (2X110 मेगावाट)	220 मेगावाट	19.18	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
4.	टांडा- II (2X660 मेगावाट)	1320 मेगावाट	597.43	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
5.	तेलंगाना (2x800 मेगावाट)	1600 मेगावाट	364.43	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
6.	टीएसटीपीएस-I और II (2X500 मेगावाट) और (4X500 मेगावाट)	3000 मेगावाट	1566.45	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
7.	ऊंचाहार I/II/ III (5X210	1050 मेगावाट	814.2	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में

	मेगावाट)				विचार
8.	ऊंचाहार -IV (1x500 मेगावाट)	500 मेगावाट	356.95	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
9.	विंध्याचल- I और II (6X210 मेगावाट), (2X500MW)	2260 मेगावाट	1286.59	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
0.	विंध्याचल -III और IV (4X500 मेगावाट)	2000 मेगावाट	950.51	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
	कुल एनटीपीसी	**48,740 मेगावाट**			
1.	भिलाई (2x250 मेगावाट)	500 मेगावाट	427.45	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
2.	बीआरबीसीएल (4X250 मेगावाट)	1000 मेगावाट	748.31	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
3.	झज्जर (3x500 मेगावाट)	1500 मेगावाट	871.26	दिसंबर-22	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-ए में विचार
4.	मेजा (2X660 मेगावाट)	1320 मेगावाट	586.78	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
5.	एनपीजीसीएल (3X660 मेगावाट)	1980 मेगावाट	838.96	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार

6.	पतरातू (3x800 मेगावाट)	2400 मेगावाट	ईपीसी का हिस्सा	दिसंबर-24	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार
7.	वल्लूर (3X500 मेगावाट)	1500 मेगावाट	1033.09	दिसंबर-23	एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार
	कुल संयुक्त उद्यम और अनुषंगी कंपनियां	**10,200 मेगावाट**			
	सकल योग	**58,940 मेगावाट**			

टिप्पणी :

1. **श्रेणी-ए** : एनसीआर इकाइयों (दादरी और झज्जर) पर विचार किया जाता है।
2. **श्रेणी-बी** : सिंगरौली बेल्ट (सिंगरौली, रिहंद और विंध्याचल), अंगुल क्षेत्र (टीएसटीपीएस), शहरों के निकट (सिम्हाद्री, वल्लूर, मौदा, सोलापुर) में यूनिटों पर विचार किया जाता है।
3. **श्रेणी-सी** : अन्य सभी इकाइयों पर विचार किया जाता है।
4. डीओई परिपत्र (भूमि सीमा देश के सहयोगी) के कारण राउरकेला एफजीडी पैकेज रद्द कर दिया गया।

ग. **दिए जाने वाले एफजीडी कार्य** (4,114 मेगावाट, 22 इकाइयां) :

क्रमांक	**परियोजना**	**क्षमता (मेगावाट)**	**एफजीडी को प्रत्याशित चालू किया जाना**
1.	रिहंद I(2x500 मेगावाट), सीपत -II (2x500 मेगावाट), बरौनी -II (2x250 मेगावाट), कांति -II	3,140 मेगावाट	• रिहंद -I: दिसंबर' 23 (एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-बी में विचार करते हुए) • सीपत- II : दिसंबर'24

	(2x195 मेगावाट), एनएसपीसीएल-राउरकेला (1x250 मेगावाट)		(एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार करते हुए) • कांटी-।।, बरौनी-।। और एनएसपीसीएल-राउरकेला : दिसंबर-24 (विद्युत मंत्रालय के अनुसार - यूनिटें जिनके लिए सीपीसीबी तिथियां उपलब्ध नहीं हैं∗∗)
2.	एनएसपीसीएल की पुरानी यूनिटों सहित अन्य छोटी पुरानी यूनिटें∗∗∗	974 मेगावाट	दिसम्बर' 24 (एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-सी में विचार करते हुए)

∗∗∗ टीटीपीएस-I/II (4X60 + 2X110 मेगावाट) को 31.03.2021 से बंद कर दिया गया और दी जाने वाली क्षमता में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इनमें से कुछ पुरानी इकाइयों को भी बंद किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

विद्युत संयंत्रों द्वारा पानी की खपत

सिफारिश (क्रम सं 44)

समिति ने नोट किया कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा पानी की खपत 2016-17 में 553.31 एमकेएल से बढ़कर 2018-19 में 593.24 एमकेएल हो गई, लेकिन 2019-20 में

घटकर 559.5 एमकेएल हो गई, जबकि उत्पादन क्षमता 2016-17 में 38,095 मेगावाट से बढ़ कर 2018-19 में 41,580 मेगावाट और 2019-20 में और आगे बढ़कर 44,610 मेगावाट हो गई। विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बावजूद पानी की खपत में कमी के लिए किए गए प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर, समिति को बताया गया कि एनटीपीसी स्टेशनों के वाटर फुट्प्रिन्ट ऊर्जा उत्पन्न होने वाली प्रत्येक इकाई के लिए वर्षों से इष्टतम किए गए हैं और सेनपीप वाटर फुट्प्रिन्ट को और कम करने के लिए स्टेशनों में विभिन्न पहलों को चला रहा है। यह बताया गया कि जल इष्टतमीकरण की दिशा में पहला कदम जल संतुलन आरेख के अनुसार विभिन्न खपत नोड्स पर पानी की खपत की सटीक पैमाइश है और इसलिए पिछले तीन वर्षों में इन सभी स्टेशनों पर 500 से अधिक पानी के मीटर स्थापित किए गए हैं। नए स्टेशनों पर मीटरों का स्थापन प्रगति पर है। इसके अलावा, 24*7 निगरानी एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है और इसलिए 24*7 निगरानी रखने के लिए, सभी स्थापित मीटर सुदूर निगरानी के लिए रिमोट मॉनिटरिंग के लिए डी.सी.एस. से संयोजित किए जाएंगे। जल लेखापरीक्षा समय-समय पर की जाती हैं और जल लेखापरीक्षा की सिफारिशों को लागू किया जाता है। इसके अलावा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, राख जल पुनर्चक्रण प्रणाली, नाली पृथक्करण और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी विभिन्न प्रणालियां या तो सेवारत हैं या सभी स्टेशनों पर पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। रासायनिक हस्तक्षेप के माध्यम से राख जल अनुपात और सीओसी में सुधार के परिणामस्वरूप एनटीपीसी स्टेशनों में पानी की खपत में कमी हुई है। भविष्य के विद्युत स्टेशनों में एयर कूल्ड कंडेनसर स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें 75 प्रतिशत पानी बचाने की क्षमता है। समिति चाहती है कि इन उपायों को भविष्य में भी और अधिक जोर-शोर और वैज्ञानिक रूप से जारी रखने की आवश्यकता है ताकि विद्युत संयंत्रों द्वारा पानी की खपत की कुल मात्रा में काफी कमी आए। समिति पानी की समग्र खपत पर इन उपायों के प्रभाव और एनटीपीसी के अलग-अलग विद्युत संयंत्रों द्वारा विशिष्ट पानी खपत/प्रति यूनिट पानी खपत पर भी प्रभाव से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ऊर्जा उत्पादन की प्रत्येक यूनिट के लिए जल इष्टतमीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जल इष्टतमीकरण के लिए तीन महत्वपूर्ण चरण हैं :

• मीटर लगाना : एनटीपीसी स्टेशनों ने अपने स्टेशनों पर 550 मीटर से अधिक स्थापित किए हैं।

• निगरानी : इन सभी मीटरों को दूरस्थ निगरानी और समयबद्ध जल लेखा परीक्षा के संचालन के लिए वितरित नियंत्रण प्रणाली (डीसीएस) में एकीकृत किया गया है और किया जाएगा।

• इष्टतमीकरण : सभी महत्वपूर्ण नोड्स में जल लेखा परीक्षा और दैनिक निगरानी की सिफारिशों के अनुपालन से स्टेशनों को जल के उपयोग को इष्टतम करने में सहायता मिली है।

मीटर लगाए जाने, निगरानी और इष्टतमीकण ने 2020-21 में ~ 14.1 एमसीएम जल की बचत की है। 2019-20 में संचयी जल खपत 559.03 एमसीएम थी और जो 2020-21 में घटकर 545.3 एमसीएम हो गई है।

एनटीपीसी की विशिष्ट जल खपत 2019-20 में 3.15 घन मीटर प्रति एमडब्ल्यूएच से घटकर 3.06 घन मीटर प्रति एमडब्ल्यूएच (2020-21) हो गई है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

संयंत्र-वार जल की खपत

सिफारिश (क्रम सं 45)

पानी की खपत प्रति यूनिट (एल/केडब्ल्यूएच) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न संयंत्रों में प्रति यूनिट पानी की खपत की मात्रा अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, 2015-16 से सीपत संयंत्र की प्रति यूनिट पानी की खपत 3.17 से 2.89 (एल/केडब्ल्यूएच) के बीच है। तथापि, 2015-16 से टांडा के संयंत्र में प्रति यूनिट पानी की खपत 6.65 से 4.48 (एल/केडब्ल्यूएच) के बीच है। समिति का मानना है कि सभी पूर्ण और प्रचालनशील संयंत्रों में, सोलापुर संयंत्र की प्रति यूनिट पानी की खपत जो कि 13.57 से 8.21 एल/केडब्ल्यूएच के मध्य है, उच्चतम है। पानी की खपत को इष्टतम करने के लिए उपाय किए गए है। आंकड़ों के विश्लेषण से आगे पता चलता है कि प्रति यूनिट पानी की खपत (एल/केडब्ल्यूएच) 2015-16 से 2019-20 के दौरान (i) गांधार में 2.70 से 3.03, (ii)

औरैया में 2.05 से 3.15; और, (iii) झज्जर स्टेशनों पर 3.10 से 3.76 तक बढ़ गई है, जबकि 18 थर्मल और गैस स्टेशनों में, इसी अवधि में प्रति व्यक्ति पानी की खपत में कमी आई है। समिति ने नोट किया कि एनटीपीसी ने गांधार और औरैया में पानी की खपत में इस तरह की वृद्धि के लिए 2015-16 से 2019-20 की तुलना में अधिक उत्पादन को जिम्मेदार ठहराया; और यह भी उल्लेख किया कि स्टेशन जल खपत (एसडब्ल्यूसी) का एक निश्चित घटक है जो उत्पादन पर निर्भर नहीं है। समिति ने उत्तर से निष्कर्ष निकाला कि पानी की खपत विद्युत उत्पादन (पीएलएफ) की मात्रा पर निर्भर करती है लेकिन साथ ही यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के बावजूद पानी की खपत में कमी आई है। अत: समिति एनटीपीसी से स्थिति स्पष्ट करने की इच्छा जाहिर करते हुए सिफारिश करती है कि जल संरक्षण के मानक मानदंडों और निगरानी तंत्र को समान रूप से लागू करके सभी विद्युत संयंत्रों में पानी की खपत को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

स्टेशनों पर संयंत्र-वार जल खपत नीचे दर्शाई गई है :

	स्टेशन	2020-21 में कुल जल खपत	विशिष्ट जल खपत संचित 2020-21
	---	लाख केएल	एल/केडब्ल्यूएच
1	दादरी (कोयला+गैस)	150.8	2.63
2	कोरबा	605.7	2.84
3	सीपत	642.0	2.73
4	टांडा	216.3	3.72
5	विंध्याचल	1085.7	2.93
6	कहलगांव	418.4	3.16
7	तालचर-टीएच	108.6	3.19
8	तालचर -के	767.8	3.51
9	मौदा	200.3	2.99

10	रामागुंडम	546.6	3.27
11	बाढ़	246.6	3.15
12	कायमकुलम	0.3	0.00
13	गंधार	20.9	2.51
14	कवास	17.3	1.68
15	औरैया	18.7	2.72
16	फरीदाबाद	15.4	1.71
17	बोंगाईगांव	82.6	2.77
18	कुडगी	157.4	3.34
19	सोलापुर	152.0	4.24
	कुल / औसत	**5453.60**	**3.06**

उत्पादन/पीएलएफ जितना अधिक होगा, विशिष्ट जल खपत (एसडब्ल्यूसी) उतनी ही कम होगी क्योंकि एसडब्ल्यूसी उत्पादन (एमयू) के विपरीत आनुपातिक है।

हाँ, जल इष्टतमीकरण केवल नियमित निगरानी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और एनटीपीसी में लगभग सभी स्टेशन दैनिक आधार पर सभी महत्वपूर्ण छोरों पर पानी की खपत की निगरानी कर रहे हैं।

1/1/2017 से पहले चालू की गई यूनिटों के लिए, जल की खपत का मानदंड 3.5 घन मीटर प्रति एमडब्ल्यूएच है और 1/1/2017 के बाद चालू की गई यूनिटों के लिए मानदंड 3.0 घन मीटर प्रति एमडब्ल्यूएच है। 2020-21 के दौरान, कुछ स्टेशनों में एसडब्ल्यूसी मानदंडों से अधिक है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

एयर कूल्ड कंडेनसर

सिफारिश (क्रम सं 46)

समिति ने नोट किया कि भविष्य के विद्युत स्टेशनों में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें 75 प्रतिशत पानी बचाने की क्षमता है। समिति को सूचित किए गए अनुसार, मौजूदा विद्युत स्टेशनों में ऐसे एयर कूल्ड कंडेनसर की रेट्रोफिटिंग के लिए एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है और इस तरह की रेट्रोफिटिंग कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें टर्बाइन हॉल के निकट स्थान की उपलब्धता, डिजाइन परिवेशी स्थिति का आकलन करने के लिए स्थल-विशिष्ट जलवायु संबंधी डाटा और कंडेनसर की स्थापना के लिए आवश्यक स्थान के बारे में अध्ययन शामिल है। समिति को आगे सूचित किया गया था कि एसीसी की इस तरह की रेट्रोफिटिंग के लिए मौजूदा यूनिटों को लंबे समय तक बंद करने और मामला-दर-मामला आधार पर घटकों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार, एसीसी की स्थापना यूनिट दक्षता स्तरों को प्रभावित करेगी और इसके परिणामस्वरूप यूनिट विद्युत उत्पादन में कमी भी हो सकती है और तदनुसार एसीसी की स्थापना के कारण इन प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संयंत्र-विशिष्ट तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी। यह भी बताया गया है कि एसीसी के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता उपलब्ध नहीं है। समिति पाती है कि यदि विद्युत स्टेशनों में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) को स्थापित किया जाए तो इसमें पानी की खपत का 75 प्रतिशत बचाने की क्षमता है और जल संरक्षण के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय है कि निश्चित समय सीमा के भीतर मौजूदा संयंत्रों में एसीसी की रेट्रोफिटिंग की व्यवहार्यता की खोज के लिए एनटीपीसी के सभी विद्युत संयंत्रों के संबंध में जल्द से जल्द संयंत्र विशिष्ट तकनीकी आर्थिक विश्लेषण और प्रस्तावित अध्ययन के आधार पर सभी निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों में एसीसी की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए। एसीसी के घरेलू विनिर्माता की अनुपलब्धता के मुद्दे के संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि एनटीपीसी के प्रबंधन को एसीसी के लिए विनिर्माण आधार की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करने और उपयुक्त कदम उठाने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ

मामले को उठाना चाहिए। समिति इस संबंध में मंत्रालय और एनटीपीसी द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों से अवगत होने की इच्छा व्यक्त करती हैं।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

i. एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं के लिए एसीसी का न तो निर्माण करता है और न ही सीधे खरीदता है, जिसमें इसे ईपीसी ठेकेदार द्वारा खरीदा जाता है। तथापि, एनटीपीसी ने जब भी आवश्यक हो सीईए/एमओपी को अपने पास उपलब्ध सूचना प्रदान की है। एसीसी के लिए पहले से ही दो घरेलू विक्रेता (मैसर्स पहाड़पुर इंडिया और मेसर्स एनेक्सियो, इंडिया) उपलब्ध हैं। इसके अलावा, अन्य विक्रेता जैसे मैसर्स होल्टेक एशिया प्रा. लिमिटेड जो होल्टेक इंटल, यूएसए की भारतीय सहायक कंपनी है। मूल कंपनी होल्टेक इंटल. यूएसए ने कथित तौर पर 300 मेगावाट, 240 मेगावाट और 160 मेगावाट क्षमता वाले स्टीम टर्बाइन के लिए एसीसी की आपूर्ति की है जो यूएसए में कार्य कर रहे हैं। तथापि, भारत में मेसर्स होल्टेक एशिया ने 2017 से व्यवसाय संचालन शुरू कर दिया है और 60 मेगावाट यूनिट के लिए अब तक की उच्चतम क्षमता वाली एसीसी की आपूर्ति की है।

ii. एनटीपीसी द्वारा पूर्व में झारखंड में उत्तरी करनपुरा (3X660 मेगावाट) सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी कोयला आधारित परियोजनाओं में एसीसी की परिकल्पना करके एसीसी के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न की गई है, जो अभी चालू किए जाने के चरण में है। यद्यपि इस परियोजना में एसीसी यांत्रिक घटकों जैसे फिन-ट्यूब पैनल चीन [मैसर्स हार्विन] से आयात किए गए थे, एसीसी के विभिन्न महत्वपूर्ण घटक जैसे पंखे, डक्ट, पाइप, वाल्व, संरचनाएं, केबल आदि का निर्माण और आपूर्ति केवल भारत से की गई है और साइट पर संपूर्ण फिट-अप और इरेक्शन भारतीय उप-ठेकेदारों द्वारा फिर से किया गया है। इसके अलावा एसीसी के लंबे सपोर्ट कॉलम वाले पूरे सिविल कार्यों को एसीसी डिजाइनर और निर्माता के जटिल विनिर्देशों के लिए साइट पर कस्टम-निर्मित किया गया है, जिसने भारतीय उद्योगों और ठेकेदारों को शिक्षित होने और एसीसी मैकेनिकल के साथ-साथ सिविल पैकेज

का ज्ञान/तकनीकी जानकारी को आत्मसात करने में मदद की है और पर्याप्त अवसर प्रदान किया है। यह भारत में एसीसी विनिर्माण और विक्रेता आधार के विकास को और बढ़ावा देगा।

1. एनटीपीसी की संभावित आगामी कोयला आधारित परियोजनाओं जैसे सिंगरौली-III (2X800 मेगावाट), LARA-II (2X800 मेगवाट) और निष्पादन के तहत अन्य परियोजनाएं जैसे पत्रातु (3X800 मेगावाट) की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) के साथ की गई है। एसीसी के लिए आगामी वर्षों में मांग निम्नलिखित एनटीपीसी परियोजनाओं के लिए है :

I. पतरातू एसटीपीपी (3X800 मेगावाट) मेसर्स भेल को दिया गया एक ईपीसी पैकेज है। एसीसी की कुल मात्रा = 03

।।. वर्तमान प्रक्षेपण के अनुसार* भविष्य के लिए संभावित परियोजनाएं सिंगरौली एसटीपीपी चरण-III (2X800 मेगावाट) ईपीसी पैकेज और लारा एसटीपीपी चरण-II (2X800 मेगावाट) ईपीसी पैकेज हैं। इन दोनों परियोजनाओं की वर्तमान में एसीसी के साथ परिकल्पना की गई है। एसीसी की कुल मात्रा = 04।

उपरोक्त परियोजनाओं के लिए एसीसी की कुल मात्रा = 04+03=07 नग (*यह केवल वर्तमान प्रक्षेपण है और भविष्य में परिवर्तित हो सकता है)।

टिप्पणी : उपरोक्त सभी परियोजनाओं में, बाहरी प्राकृतिक जल निकायों से उपलब्ध संयंत्र मेक-अप पानी की मात्रा या तो अत्यधिक अपर्याप्त है या इन परियोजनाओं में एयर-कूल्ड कंडेनसर के उपयोग के लिए बहुत कम है, तथापि, वाटर कूल्ड कंडेनसर में की तुलना में इसकी थोड़ी अधिक ऊष्मा दर होगी।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

नगरीय सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपीएस) से उपचारित सीवेज पानी का उपयोग

सिफारिश (क्रम सं 47)

समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने अपने टीपीपी की बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकताओं के लिए नदियों/झीलों, जलाशयों/बांधों आदि से मूल्यवान स्वच्छ पानी के स्थान पर नगरीय एसटीपीएस से उपचारित सीवेज पानी का उपयोग करने की पहल की है। समिति आगे नोट करती हैं कि एसटीपी पानी के उपयोग को 50 किमी के दायरे में विद्युत संयंत्रों के लिए विभिन्न नगर पालिकाओं के साथ उठाया गया है और मेजा टीपीपी, तेलंगाना एसटीपीपी, कोरबा एसटीपीपी, सीपत एसटीपीपी, दादरी एसटीपीपी, मौदा एसटीपीपी, सोलापुर एसटीपीपी और पतरातू एसटीपीपी में विचाराधीन है। संबंधित नगर पालिकाओं को मसौदा अनुबंध भेज दिए गए हैं। चर्चाएं प्रगति पर हैं। समिति ने स्वच्छ पानी को बचाने के लिए इस अति आवश्यक कदम को शुरू करने के लिए एनटीपीसी की सराहना करते हुए, समिति ने -

i. मंत्रालय को केंद्रीय/राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत उत्पादकों के लिए नगरीय एसटीपीएस पानी को ताजे पानी के उपयोग से प्रतिस्थापित करने को अनिवार्य बनाने की संभावना का पता लगाने की सिफारिश की है ताकि मानव उपभोग के लिए मूल्यवान और दुर्लभ ताजे पानी को बचाया जा सके।

ii. समिति एसटीपीएस पानी के साथ प्रतिस्थापित किए गए ताजे पानी की मात्रा पर संयंत्र-वार डाटा सहित इस संबंध में नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

टैरिफ नीति में संशोधन के संबंध में एमओपी की राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है: “नगर पालिका/स्थानीय निकायों/इसी तरह के संगठन के सीवेज उपचार संयंत्र के 50 किमी के दायरे में स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित थर्मल पावर प्लांट, उनकी निकटता के क्रम में होंगे इन निकायों द्वारा उत्पादित उपचारित सीवेज पानी का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।"

विद्युत मंत्रालय/सीईए ने पूरे भारत में ऐसे विद्युत संयंत्रों की मैपिंग की है जो या तो कार्यात्मक एसटीपी या निर्माणाधीन एसटीपी से 50 किमी की दूरी के भीतर हैं। इसके अलावा, सीईए ने विद्युत संयंत्र द्वारा सुरक्षित उपयोग के लिए उपचारित सीवेज जल के लिए आवश्यक न्यूनतम गुणवत्ता मानक को निकाला और प्रकाशित किया है जो विद्युत

संयंत्र उपकरण धातु विज्ञान और परिचालन कर्मियों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा, समय-समय पर, विद्युत संयंत्रों में उपयुक्त उपयोग के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और टीपीपी, उपचारित एसटीपी पानी के तकनीकी मानकों के बीच स्कोप स्पष्टता प्रदान करने वाले विद्युत मंत्रालय/सीईए विभिन्न दिशा-निर्देशों के साथ सामने आए हैं।

एनटीपीसी ने उपचारित सीवेज जल के उपयोग के लिए सोलापुर, मौदा, दादरी, मेजा, तेलंगाना, सीपत, कोरबा और पतरातू नामक 8 परियोजनाओं की पहचान की है। सीईए/एमओपी/एमओईएफ/सीईआरसी के नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए संबंधित नगर प्राधिकरणों के साथ उपचारित जल आपूर्ति योजनाओं को तैयार करने और अंतिम रूप देने, नगर निकाय और विद्युत संयंत्र उपयोगिता द्वारा पूंजीगत कार्यों के दायरे की पहचान, संपत्ति के स्वामित्व, ओ एंड एम लागत, उपचारित जल शुल्क आदि के साथ उपभोक्ताओं/लाभार्थियों को अतिरिक्त विद्युत शुल्क के रूप में इसके संयुक्त प्रभाव के लिए चर्चा चल रही है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

टीपीपी से शून्य तरल डिस्चार्ज (जेडएलडी)

सिफारिश (क्रम सं 48)

समिति पाती है कि एनटीपीसी ने टीपीपी में पानी के उपयोग में नवाचार को अपनाते हुए जल प्रबंधन पहलों की पहचान और कार्यान्वयन करके सभी बंद साइकिल प्रचालन स्टेशनों के संबंध में जेडएलडी कंपनी बनने की पहल की है।

एनटीपीसी ने बताया कि 'बंद साइकिल प्रचालन स्टेशन वे स्टेशन हैं जहां कूलिंग टावरों का उपयोग करके कंडेनसर कूलिंग वॉटर को एक बंद लूप में फिर से परिचालित किया जाता है। ऐसे संयंत्रों में कूलिंग टावरों में वाष्पीकरण हानि और बहाव हानियों के कारण कूलिंग जल प्रणाली में पानी की हानि होती है। हानि के अलावा, बंद प्रणाली के लिए एकाग्रता के चक्र (सीओसी) को बनाए रखने के लिए शीतलन जल प्रणाली से ब्लोडाउन पानी खींचा जाता है। ब्लोडाउन का आमतौर पर संयंत्र में अन्य उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। उपरोक्त हानियों पर ध्यान देने के लिए कूलिंग जल प्रणाली में मेकअप पानी मिलाया जाता है। समिति नोट करती है कि सभी एनटीपीसी स्टेशन (एसएसटीपी शक्तिनगर,

रिहंदनगर चरण#1, और एफएसटीपीएस फरक्का चरण#1 और 2 को छोड़कर) एक बंद चक्र में संचालित होते हैं। समिति आगे नोट करती हैं कि ऐसे 37 स्टेशन हैं जहां जेडएलडी किया जाना है और अद्यतन तिथि को 15 स्टेशन जेडएलडी के अनुरूप हैं। सभी बंद साइकिल प्रचालन स्टेशनों को जेडएलडी के अनुरूप बनाने की योजना के संबंध में, एनटीपीसी ने बताया कि 14 स्टेशनों के चालू वित्त वर्ष में यानी मार्च 2021 तक जेडएलडी के अनुरूप होने की प्रत्याश है। शेष 08 स्टेशनों के दिसंबर 2021 तक जेडएलडी के अनुरूप होने की आशा है। सभी बंद चक्र प्रचालन स्टेशनों को एक निर्धारित समय-सीमा, अर्थात दिसंबर, 2021 तक, जेडएलडी के अनुरूप बनाने के लिए एनटीपीसी की पहल की सराहना करते हुए, समिति इस संबंध में अब तक की वास्तविक प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी लिमिटेड ने सभी प्रचालन स्टेशनों (एनटीपीसी लिमिटेड के अपने स्टेशनों, संयुक्त उद्यम स्टेशनों और नीपको और टीएचडीसी लिमिटेड को छोड़कर सहायक कंपनियों) को शून्य द्रव्य डिस्चार्ज कंपनियों में बदलने का निर्णय किया है। इसने डिजाइन के अनुसार सीडब्ल्यू ब्लो डाउन एफ्लुएंट को छोड़कर ओपन साइकिल स्टेशनों को भी जेडएलडी के अनुरूप बनाने की योजना बनाई गई है। ओपन साइकिल स्टेशनों (मूल डिजाइन के अनुसार सीडब्ल्यू ब्लो डाउन को छोड़कर) सहित सभी स्टेशनों के लिए जेडएलडी कार्य की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और फरक्का स्टेशन के एडब्ल्यूआरएस पैकेज को छोड़कर सभी स्टेशनों के लिए सभी प्रमुख कार्यों को सौंप दिया गया है।

40 स्टेशनों में से (37 क्लोज्ड साइकल और तीन ओपन साइकल है, टीटीपीएस को छोड़कर)

- पंद्रह स्टेशनों ने पहले ही जेडएलडी प्राप्त कर लिया है,
- 5 स्टेशनों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनाओं और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार जेडएलडी कार्य पूरा कर लिया है,
- 09 और स्टेशनों के जुलाई 2021 तक जेडएलडी संबंधित कार्य पूरा करने की संभावना है,
- 10 स्टेशन दिसंबर, 21 तक जेडएलडी से संबंधित कार्य पूरा कर लेंगे और शेष एक स्टेशन मार्च 2022 तक जेडएलडी अनुरूप हो जाएगा।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) पहलें - विद्युत संयंत्रों में कृषि अपशिष्टों का उपयोग

सिफारिश (क्रम सं 49)

समिति नोट करती है कि आमतौर पर 1000 मेगावाट का एक संयंत्र सालाना लगभग 5 मिलियन टन कोयले की खपत करता है। भारत की कुल कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 2 लाख मेगावाट है जो सैद्धांतिक रूप से सालाना लगभग 1000 मिलियन टन कोयले की खपत कर सकती है। इसका 10 प्रतिशत भी, अगर कृषि-बायोमास पैलेट से बदल दिया जाए, तो इस ईंधन की मात्रा 100 मिलियन टन होगी। 100 मिलियन टन बायोमास पैलेट के उत्पादन के लिए लगभग 110 से 120 एमएमटी कच्चे कृषि अपशिष्टों की आवश्यकता हो सकती है जो देश में सबसे अधिक अप्रयुक्त कृषि अपशिष्टों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार खेतों की आग लगाया जाना समाप्त हो जाएगा और चौबीसों घंटे लगभग 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त होगा। समिति आगे नोट करती है कि शत-प्रतिशत पैलेट-फायरिंग के साथ ऊर्जा का परिवर्तनशील प्रभार लगभग 5 रूपए प्रति किलोवाट घंटा होगा। 10 प्रतिशत पेलेट सह-फायरिंग के साथ, परिवर्तनशील प्रभार पर प्रभाव लगभग 0.15-0.20 रूपए प्रति किलोवाट घंटा होगा। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों में बायोमास पैलेटों को सह-फायर करने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में, समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि एनटीपीसी ने (i) 2017 में दादरी में परीक्षण फायरिंग के लिए पुआल, आदि आधारित छर्रों को आधार ईंधन के रूप में कोयले के साथ 2.5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़ाकर 9300 टन तक बढ़ाते हुए चावल के भूसे, गन्ने के कचरे, सरसों के चूरे जैसे 100 टन कृषि अपशिष्टों को जलाने; (ii) बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और पैलेट व्यवसाय की स्थापना को सक्षम करने के लिए देश भर में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए धान के भूसे और कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेट/टॉरीफाइड पैलेट के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने; (iii) उभरती प्रौद्योगिकियों, नीतिगत मुद्दों आदि पर विचार और अनुभव का आदान-प्रदान करने, और (iv) कृषि अपशिष्ट पैलेट

की खरीद, आदि जैसी सराहनीय पहलें की हैं। समिति को सूचित किया गया था कि उपरोक्त अनुभव और मंशा के आधार पर, एनटीपीसी ने भारत भर में स्थित 17 प्रचालनशील विद्युत स्टेशनों की पहचान की है, जिसमें कुल मिलाकर चार वर्षों के लिए 5 एमएमटीपीए बायोमास पैलेट की वार्षिक आवश्यकता होगी। 18 सितंबर 2020 को निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई है। इन निविदाओं में पंजाब, हरियाणा और एनसीआर से कृषि अपशिष्टों का उपयोग करने वाले विक्रेताओं को 15 प्रतिशत खरीद वरीयता आवंटित की गई है। समिति नोट करती है कि इस तरह की पहल में ग्रामीण आय बढ़ाने, स्थानीय रोजगार प्रदान करने, खेत में आग लगाए जाने को खत्म करके हवा को साफ करने और मौजूदा कोयला विद्युत बुनियादी ढांचे के साथ व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की अपार क्षमता है। यह कोयला विद्युत संयंत्रों से एसओएक्स और एनओएक्स उत्सर्जन को कम करने में भी योगदान दे सकता है। समिति इस संबंध में प्राप्त प्रगति के बारे में सूचित होना चाहेगी, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर स्थायी आधार पर बायोमास फायरिंग की व्यावसायिक व्यवहार्यता, बायोमास पैलेट की खरीद, बायोमास पेलेट के लिए जारी निविदाओं पर प्रति उत्तर, पहचान किए गए 17 स्टेशनों में बायोमास पैलेटों का उपयोग और उस पर प्राप्त परिणाम के बारे में।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

बायोमास पैलेटों की खरीद के लिए, निम्नलिखित विवरण के साथ लघु अवधि और दीर्घकालिक अनुबंध प्रदान किए गए हैं :

अल्पकालिक अनुबंध

- दादरी के लिए 14,400 टन का अल्पकालीन अनुबंध दिया गया और आपूर्ति पूरी हो गई।

- 14 स्टेशनों यथा ऊंचाहार, मौदा, सोलापुर, सिम्हाद्री, कुडगी, विंध्याचल, बाढ़, फरक्का, लारा, सीपत, सिंगरौली, टांडा, खरगोन और गडरवारा के लिए 4,56,300 मीट्रिक टन बायोमास पैलेट की आपूर्ति के लिए पीओ जारी किए गए हैं। 14 स्टेशनों में से 08 स्टेशनों पर आपूर्ति शुरू हो गई है।

दीर्घकालिक अनुबंध

- दादरी के लिए 4,08,800 मीट्रिक टन हेतु दीर्घकालिक अनुबंध (04 वर्ष) दिया गया है। आपूर्ति फरवरी'21 से शुरू हुई।

- 17 एनटीपीसी स्टेशनों के लिए 4 वर्षों के लिए ~ 20 एमएमटी की संचयी मात्रा (वार्षिक मात्रा ~ 5 एमएमटी) के लिए बायोमास पैलेटों की दीर्घकालिक खरीद हेतु एनआईटी 18.09.2020 को जारी की गई थी। बोलियां 09.06.2021 को खोली गईं। कुल 109 बोलियां प्राप्त हुईं। तकनीकी बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन है। यह कार्य अगस्त 2021 के अंत तक दिए जाने की आशा है।
- **स्टेशनों में प्राप्त मात्रा की स्थिति :**

स्टेशन	**खरीद मोड**	**पैलेट का प्रकार**	**दी गई कुल मात्रा (एमटी)**	**28.06.21 को प्राप्त मात्रा (एमटी)**
दादरी	दीर्घावधि	गैर- टोरेफाइड	408800	15987
दादरी	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	12600	
ऊंचाहार	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	81000	6171
मौदा	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	56700	15146
टांडा	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	54000	916
खरगोन	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	54000	-
गडरवारा	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	54000	-
सिंगरौली	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	51300	-
सीपत	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	29700	-
कुडगी	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	21600	1304
विंध्याचल	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	16200	-
सोलापुर	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	10800	2223
सिम्हाद्री	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	10800	575

बाढ़	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	5400	-
फरक्का	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	5400	20
लारा	लघु अवधि	गैर- टोरेफाइड	5400	30
दादरी	लघु अवधि	टोरेफाइड	1800	-
कुल			**879500**	**42370**

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को ऊर्जा में परिवर्तित करने की पहल

सिफारिश (क्रम सं 50)

समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने नगरीय ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। कंपनी ने अपनी हरित पहल के एक भाग के रूप में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया है। एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एमएसडब्ल्यू के 2000 टन प्रति दिन (टीपीडी) की प्रसंस्करण क्षमता के साथ पूरी तरह से इनडोर, गंधरहित और उत्सर्जन मानदंड के अनुरूप एकीकृत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके भस्मीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित 12 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। इस संबंध में की गई अन्य पहलों में भारत में प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन करने के लिए वाराणसी में 24 टीपीडी थर्मल गैसीकरण आधारित प्रदर्शन-पैमाने पर अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र को चालू किया जाना शामिल है। संयंत्र का निष्पादन परीक्षण अभी लंबित है और एमएसडब्ल्यू की बड़ी समस्या को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए संयंत्र की व्यावसायिक उपयुक्तता की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। समिति इस तरह की पहल करने के लिए एनटीपीसी की सराहना करते हुए सिफारिश करती है कि प्राप्त अनुभव और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, एनटीपीसी द्वारा ऐसी परियोजनाओं को महानगरों/बड़े शहरों से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में शुरू किया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। महानगरों/बड़े शहरों में एनटीपीसी/एनवीवीएन की निम्नलिखित अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

- 14.9 मेगावाट कवास अपशिष्ट से ऊर्जा
- एनटीपीसी-ईडीएमसी एकीकृत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र
- वाराणसी में 600 टीपीडी एमएसडब्ल्यू से चारकोल संयंत्र
- इंदौर में 500 टीपीडी एमएसडब्ल्यू से चारकोल संयंत्र
- भोपाल एमएसडब्ल्यू संयंत्र
- हुबली एमएसडब्ल्यू संयंत्र

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

चार्जिंग आधारभूत ढांचे का निर्माण

सिफारिश (क्रम सं 51)

समिति ने नोट किया कि एनटीपीसी ने (i) 2018-19 के दौरान शहरों और राजमार्गों में विभिन्न स्थानों पर 400 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आर्डर दिए हैं; और (ii) 2019-20 के दौरान फेम (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-II) के तहत विभिन्न शहरों में 282 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। तथापि, समिति पाती है कि शहरों में विभिन्न स्थानों पर 400 चार्जर स्थापित करने के लिए कार्य सौंपा गया है और उसमें से अब तक लगभग 129 चार्जर (वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0 चार्जर, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 93 चार्जर और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 36 चार्जर) स्थापित किए जा चुके हैं। समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में यथाउल्लिखित 282 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति, उत्तर में

कहा गया है कि एनटीपीसी फेम II के तहत विभिन्न शहरों में 205 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा और प्रक्रिया निविदा के अधीन है। समिति का मत है कि चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की प्रक्रिया कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में धीमी प्रतीत होती है। अत: समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले मुद्दों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनवीवीएन) लिमिटेड के माध्यम से अब तक निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

1. एनटीपीसी ने विभिन्न शहरों में 142 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं।

2. इसके अलावा, एनवीवीएन भारत सरकार की फेम-II योजना के तहत लगभग 1000 चार्जर स्थापित करेगा।

3. एनवीवीएन ने राजमार्गों के चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) की ईओआई में भी भाग लिया है।

निम्नलिखित मुद्दों के समाधान से चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से कार्यान्वयन होगा।

क. चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता

ख. अपस्ट्रीम विद्युत अवसंरचना लागतों की उच्च लागतों के लिए सहायता

ग. भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा भूमि को पट्टे पर देने के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल

घ. राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए मांग शुल्क/निर्धारित शुल्क का युक्तिकरण

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

अनुसंधान और विकास कार्य

सिफारिश (क्रम संख्या-52)

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एनटीपीसी के अनुसंधान एवं विकास व्यय में 2015-16 में 130 करोड़ रुपए से वर्ष 2018-19 में एक छोटी गिरावट को छोड़कर 183 करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी देखी गई है। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप उन्नत प्रक्रियाओं और उत्पादों के स्वदेशीकरण, जो वर्तमान में आयात किए जाते हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल इकाइयों के लिए एयर कूल्ड कंडेनसर, स्टीम पैरामीटर 270 किग्रा/सेमी 2 भाप प्रेशर के साथ अल्ट्रा-क्रिटिकल विद्युतसंयंत्र आदि, के संबंध में समिति का मानना है कि एनटीपीसी भारतीय विक्रेताओं को विकसित करने और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण करने के लिए अपने तकनीकी विनिर्देश में पहले से ही सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रावधानों को निर्दिष्ट कर रहा है। इस माध्यम के तहत भारतीय विक्रेता ओईएम/प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मार्ग के माध्यम से प्रक्रियाओं और उत्पादों के बाद के स्वदेशीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अवशोषित कर सकते हैं। इस संबंध में समिति विशेष रूप से इस बात से अवगत होना चाहेगी कि क्या उपर्युक्त आयातित मदों एयर कूल्ड कंडेनसर कूलिंग टावर्स आदि का स्वदेशीकरण किया गया है और ऐसे स्वदेशी उत्पाद प्रतिस्पर्धी और गुणात्मक रूप से आवश्यक मानकों को पूरा कर रहे हैं। समिति चाहती है कि एनटीपीसी उन संयंत्रों के बारे में सूचित करे जहां आयातित उत्पादों के बजाय इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग किया जाता है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

1. एनटीपीसी अपने संयंत्र के लिए सीधे एसीसी की खरीद नहीं करती है। इसे एनटीपीसी के ईपीसी टर्नकी ठेकेदार द्वारा स्टीम जनरेटर, टर्बाइन, बैलेंस ऑफ प्लांट उपकरण आदि के साथ आपूर्ति और स्थापित किया जाता है। इस प्रकार, विनिर्माण के लिए स्वदेशीकरण का स्तर टर्नकी ठेकेदार, इसके उप-ठेकेदारों को एनटीपीसी की तुलना में अधिक प्रामाणिक रूप से ज्ञात होता है। एनटीपीसी की सूचना के अनुसार, एसीसी के कुछ घरेलू आपूर्तिकर्ता वर्तमान में [अतीत की तुलना में] भारत में मौजूद हैं, जैसे, पहाड़पुर-इंडिया (पहाड़पुर की बेल्जियम की

सहायक कंपनी के पास 500 मेगावाट से अधिक यूनिट का अनुभव है), एनेक्सियो-इंडिया (इसकी धारक कंपनी/मूल कंपनी के पास 500 मेगावाट यूनिट से अधिक काअनुभव है), होल्टेक-एशिया (60 मेगावाट तक का अनुभव)। तथापि, उनके एसआरसी कॉइल और फिनड ट्यूब पैनल निर्माण संयंत्र ज्यादातर चीन में स्थित हैं। इसके अलावा, ये भारतीय कंपनियां या तो भारतीय धारक कंपनियां हैं जिनकी विदेश में सहायक कंपनियां हैं या भारतीय सहायक कंपनियां हैं जिनकी धारक कंपनियां विदेशों में हैं। चूंकि अब तक कई एसीसी आधारित इकाइयां स्थापित नहीं की गई हैं और एनटीपीसी इन एसीसी मैकेनिकल पैकेजों को सीधे निविदा नहीं दे रहा है, एनटीपीसी के पास विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में इन भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता की तुलना करने के लिए वर्तमान में डाटा नहीं है। कुछ भारतीय आपूर्तिकर्ता भी भारतीय एसीसी उद्योग में अपेक्षाकृत नए प्रवेश करने वाले हैं और विदेशी भूमि तट पर अपनी प्रधान/अन्य सहायक कंपनियों पर निर्भर हैं।

गुणात्मक तुलना के लिए, एनटीपीसी के लिए भारतीय विक्रेताओं की तुलना में विदेशी विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की गई एसीसी की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि उत्तरी करण पुरा परियोजना में एनटीपीसी द्वारा स्थापित एसीसी को अभी तक चालू/परिचालित नहीं किया गया है, पतरातू परियोजना एसीसी को अभी टर्नकी ठेकेदार द्वारा आपूर्ति और स्थापित किया जाना है। तथापि, भारत सहित दुनिया भर में सभी एसीसी निर्माता, आम तौर पर 'ए' फ्रेम एसीसी का डिजाइन और निर्माण करते हैं, इसलिए कोई तकनीकी अंतर नहीं है।

एनटीपीसी भारतीय विनिर्माताओं की सुविधा के लिए मेक इन इंडिया (एमआईआई) दिशानिर्देशों को अपना रहा है। एनटीपीसी ने इस संबंध में कार्यशाला भी आयोजित की है और स्वदेशीकरण के संबंध में एसीसी निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया है।

अद्यतन तिथि तक एनटीपीसी में ऐसा कोई संयंत्र नहीं है जहां आयातित के बजाय स्वदेशी/घरेलू रूप से निर्मित एसीसी स्थापित है। तथापि, एनटीपीसी नार्थ करनपुरा परियोजना में भारत से ईपीसी ठेकेदार द्वारा खरीदे गए कई एसीसी घटक हैं।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

आईटी और डिजिटलीकरण- बजट का कम उपयोग

सिफारिश (क्रम संख्या-54)

समिति नोट करती है कि 200.5 करोड़ रूपए, 176.6 करोड़ रुपए, 239.1 करोड़ रुपए, 251.9 करोड़ रुपए और 224.9 करोड़ रुपए के बचटीय आवंटन के प्रति, खर्च किए गए 65.5 करोड़ रुपए, 81.7 करोड़ रुपए, 46.2 करोड़, 97.4 करोड़ और 37.8 करोड़ रूपए क्रमश: वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान व्यय किए गए थे। उक्त वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन का केवल 32.7 प्रतिशत, 46.3 प्रतिशत, 19.3 प्रतिशत, 38.7 प्रतिशत और 16.8 प्रतिशत व्यय किया गया। चूंकि वर्ष 2019-20 के लिए आईटी और डिजिटलीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये के आवंटन में भारी उछाल की तुलना में 2018-19 में खर्च किए गए 68 लाख को देखते हुए समिति द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर सूचित किया गया कि 224.9 करोड़ रूपए के आईटी पूंजीगत बजट का आवंटनपिछले 5 वर्षों के बजट आवंटन के अनुरूप था और आईटी के लिए उच्च आवंटन कागज रहित कार्यालय और उद्यम सामग्री प्रबंधन कार्यान्वयन, आईटी सुरक्षा ढांचे के उन्नयन और नई परियोजनाओं के लिए सक्रिय निर्देशिका चरण-III के कार्यान्वयन के कारण था। व्यय कम था क्योंकि कुछ आईटी बुनियादी ढांचे का जीवनकाल बढ़ाया गया था और कुछ आईटी पहलें कार्यान्वयन के अधीन हैं। तथापि, समिति यह पाती है कि पिछले पांच वर्षों के लिए आईटी और डिजिटलीकरण के लिए आवंटन और व्यय के पैटर्न से पता चलता है कि साल दर साल कम खर्च के बावजूद, वर्ष के अंत में केवल बड़ी मात्रा में अव्ययित शेष को छोड़ने के लिए उच्च आवंटन किया गया था। समिति पाती है कि सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग आजकल किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उच्च प्राथमिकता पर है और इसलिए इस महत्वपूर्ण खंड पर पिछले कई वर्षों से लगातार बजटीय आवंटन का कम उपयोग एनटीपीसी द्वारा इस क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता के बारे में दर्शाता है। अत: समिति का दृढ़ मत है कि न केवल किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आईटी पर अनुमानित व्यय के अनुमान के लिए सटीकता और युक्तिकरण की आवश्यकता है बल्कि क्षेत्र विशिष्ट आईटी क्रियाकलापों को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानने और अग्रिम रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आवंटित धन का इष्टतम उपयोग करके इन्हें तेजी से निष्पादित किया जा सके। देश में अधिक कुशल और किफायती विद्युत उत्पादन के लिए एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों में शामिल करने हेतु नवीनतम उपलब्ध वैश्विक प्रौद्योगिकी

और परिष्कृत तरीके जो दुनिया में सबसे उन्नत विद्युत परियोजनाओं के उपयोग में हैं, पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। समिति तदनुसार सिफारिश करती है और एनटीपीसी द्वारा इस संबंध में उठाए गए विशिष्ट कदमों के बारे में अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

विद्युत क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी ने भी आज उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को अपनाकर डिजिटल परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू की है। एनटीपीसी ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्युत परियोजनाओं के साथ मेल खाने के लिए कई प्रौद्योगिकियों को लागू किया है और लागू करने की प्रक्रिया में है।

क. कार्यान्वित की गई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं :

- ई-ऑफिस - सभी फाइलें और पत्राचार पेपरलेस मोड में किया जा रहा है।
- प्रोसेस री-इंजीनियरिंग - 180 से अधिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार किया गया और पेपरलेस बनाया गया।
- भुगतान के लिए पीआर - खरीद के अनुरोध से भुगतान तक की प्रक्रिया केवल डिजिटल मोड के माध्यम से होती है।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा के साथ सभी विक्रेताओं को ई इन्वायसिंग की सुविधा
- प्रोजेक्ट प्रदीप (प्रोएक्टिव डिजीटल इनीशिएटिव टू बीकम पेपरलेस ऑफिस)
- वर्चुअल ऑफिस - माइक्रोसॉफ्ट M365 को वर्चुअल ऑफिस के समाधान के रूप में लागू किया गया है।M365 एक क्लाउड समाधान है जिसके माध्यम से मीटिंग, मैसेजिंग, क्लाउड में फाइलों को स्टोर करने के लिए वन ड्राइव, वीपीएन आदि कार्य किए जा रहे हैं।
- सुरक्षा उन्नयन - नवीनतम सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए, कुल सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत किया गया है।

कार्यान्वयन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं:

वीडियो एनालिटिक्स के साथ ड्रोन आधारित प्रगति निगरानी।

- एआई/एमएल आधारित उन्नत डेटा एनालिटिक्स और विज़ुअलाइज़ेशन, परिसंपत्ति निगरानी, उन्नत पैटर्न पहचान।
- आरएफआईडी आधारित भंडार प्रबंधन-पायलट योजना प्रगति पर है।
- नियमित मैनुअल कार्यों में तेजी लाने और संसाधनों को इष्टतम करने के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन- पायलट योजना प्रगति पर है।
- वास्तविक समय नवीकरणीय ऊर्जा निगरानी डैशबोर्ड/जल की खपत का डैशबोर्ड।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

सीएसआर पहलें

सिफारिश (क्रम संख्या-55)

समिति यह नोट करके प्रसन्नहै कि एनटीपीसी अपने विद्युत संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों का समावेशी विकास करने के उद्देश्य से अपनी स्थापना के समय से ही सामुदायिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के लिए विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों में रत है। एनटीपीसी द्वारा किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलाप मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल के क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा, एनटीपीसी अन्य क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां भी चला रहा है जैसे कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा कौशल विकास, शारीरिक रूप से विकलांगों को सहायता, और पर्यावरणीय स्थिरता, समावेशी विकास के लिए सरकारी प्रयासों और योजनाओं का विस्तार। एनटीपीसी की सीएसआर नीति को इसकी कारपोरेट वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति, लोकप्रिय टीवी चैनलों पर सीएसआर पर टेलीविजन शो, यूट्यूब पर वीडियो, संकलन/कॉफी टेबल बुक (आंतरिक और बाहरी दोनों), ई-पत्रिकाओं, सफलता की गाथाओं के ब्रोशर संग्रह, इंट्रानेट आदि के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। एनटीपीसी के सीएसआर क्रियाकलापों को व्यापक आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षणों के आधार पर शुरू किया जाता है और ग्राम प्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधि सहित प्रमुख हितधारकों के

परामर्श से प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।समिति को यह जानकर और प्रसन्नता हुई कि एनटीपीसी ने लगातार 5वें वर्ष सीएसआर खर्च पर 2 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य को पार कर लिया है, जोकि एनटीपीसी द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान 1209.64 करोड़ रुपये के अनिवार्य व्यय के प्रति 1601.53 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय होता है और यह वास्तव में सराहनीय है। समिति को आशा है कि एनटीपीसी गरीबतम लोगों और समाज के वंचित वर्गों के लोगों, विशेष रूप से देश में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों में और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर रहने वालों, को बुनियादी सुविधाएं और आवश्यकताएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सीएसआर क्रियाकलापों को जारी रखेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय समिति के अभिमतों को नोट कर लिया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

लंबित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पैरा

सिफारिश (क्रम संख्या-56)

समिति पाती है कि उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार, सात नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा पैराओं का अंतिम रूप से निपटान किया जाना शेष है। ये लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं (i) 2016 का सीएंडएजी प्रतिवेदन संख्या 35 - एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों का ईंधन प्रबंधन (ii) पैरा नंबर 11.5 (2016 की सीए एंड एजी प्रतिवेदन संख्या 15) - एनटीपीसी विद्युतोंसंयंत्र का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (iii) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए 2017 का सीएंडएजी प्रतिवेदन संख्या 6 -

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन (अनुपालन लेखा परीक्षा) (iv)31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018का सीएंडएजी प्रतिवेदन संख्या 18 - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन (अनुपालन लेखा परीक्षा)(v) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018 का सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 11 - केंद्र सरकार (वाणिज्य) (vi) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018 का सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 11-केंद्र सरकार (वाणिज्यिक) (अनुपालन लेखापरीक्षा अभिमत) और (vii) 2019 का एटीएन प्रतिवेदन संख्या 18।यह देखा गया है कि (i) 3 लेखापरीक्षा पैरा के संबंध में उत्तर विद्युत मंत्रालय के माध्यम से सीएजी को भेजा गया है (ii) अन्य 3 लेखापरीक्षा पैरा के संबंध में एनटीपीसी द्वारा भेजे गए उत्तर अभी भी विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन हैं; और (iii) एक लेखापरीक्षा पैरा आंशिक रूप से समाप्त किया गया है। समिति पाती है कि दो लेखापरीक्षा पैरा वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन से संबंधित हैं, तीन लेखापरीक्षा पैरा वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन से संबंधित हैं और शेष दो लेखापरीक्षा पैरा वर्ष 2019 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन से संबंधित हैं। समिति पाती है इन पैराओं को समाप्त किए जाने में अत्यधिक समय लिया गया है विशेष रूप से वर्ष 2016 और 2017 से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में। अत: समिति सिफारिश करती है कि इन लेखापरीक्षा पैरा को जल्द से जल्द समाप्त करवाए जाने और एक तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता है ताकि लेखापरीक्षा पैरा की समाप्ति में भविष्य में अनावश्यक रूप से विलंब नहीं हो।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी द्वारा सभी लंबित लेखापरीक्षा पैराओं के शीघ्र निपटान के लिए सक्रिय कदम उठाने और सीएजी को उत्तर भेजने का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान में 2016 और 2017 से संबंधित केवल तीन (3) सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लंबित हैं। इसमें से कुछ उप-पैरा पहले ही समाप्त करवाए जा चुके हैं।

3 लंबित सीएजी प्रतिवेदन के समापन की स्थिति नीचे दी गई है:-

पैरा संख्या	सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण	समाप्त किए जाने की वर्तमान स्थिति
2017 का 6	सीपीएसई की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट	"बेंचमार्किंग" से संबंधित एक एकल पैरा को छोड़कर सभी उप- पैरा समाप्त करवाए गए हैं । अंतिम उत्तर विद्युत मंत्रालय द्वारा सीएजी को 01.07.2020 को प्रस्तुत किया गया था ।
2016 का 35	एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों का ईंधन प्रबंधन	एनटीपीसी ने समय-समय पर लेखापरीक्षा अभिमतों पर उत्तर और विद्युत मंत्रालयकी आगे की टिप्पणियों के प्रति उत्तर प्रस्तुत किए है। इसके आधार पर 7 उप-पैरा समाप्त करवाए गए हैं।
2016 का 15	एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण	आंशिक रूप से समाप्त। अंतिम उत्तर (तीसरा उत्तर) 26.03.2020 को प्रस्तुत किया गया था। अब तक लेखापरीक्षा से कोई और टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

अध्याय-तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है।

एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल) की स्थापना

सिफारिश (क्रम संख्या-31)

समिति ने नोट करती है कि एनटीपीसी ने 29 अगस्त, 2019 को एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल) के नाम से एक पृथककंपनी को सम्मिलितकिया है और कोयला मंत्रालय से इस नई कंपनी को उनकोयला खदानों को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है, जो एनटीपीसी कोआवंटित की गई थीं। एक नई कंपनी शुरू करने के लिए दिए गए विशिष्ट कारणों में शामिल हैं, व्यापार जोखिम को पृथक करना, भविष्य में एनटीपीसी के लिए बेहतर वित्त-पोषण, त्वरितनिर्णय लेने के लिए केंद्रित प्रबंधन, संविदाओं का कुशल संचालनऔर एनटीपीसी को विश्वसनीय ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों/आबद्धखानों का उपयोग। समिति नोट करती है कि खानों के शीघ्र हस्तांतरण के लिए एनटीपीसी की ओर से 17 जनवरी 2020, 12 मार्च 2020 और 26 मई 2020 को तथाविद्युत मंत्रालय (एमओपी) की ओर से 4 अगस्त 2020 को कोयला मंत्रालय (एमओसी) को अनेक पत्र भेजे जाने के बाद, एमओसीने 16.12.2020 को पकरी-बरवाडीह खदान को एनटीपीसीसे एनटीपीसीमाइनिंग लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए "अनापत्ति" जारी की है। तथापि, यह बताया गया है कि खनन क्षेत्र की भूमि के निहित आदेश की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। शेष खदानों के संबंध में यह सूचित किया गया है कि मामला कोयला मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय में विचाराधीन है जो एएसजीआई से राय ले रहा है। समिति ने पाया कि इन कोयला खदानों को 2016-17 में एनटीपीसी को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम तथाखानऔर खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत आवंटित किया गया था और एनटीपीसी ने अगस्त, 2019 में एक नई कंपनी बनाई थीऔर इस नई कंपनी को खानों के हस्तांतरण के संबंध में मामले में कानूनी राय का इंतजार किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप, आवंटित कोयला ब्लॉकों/खानों का विकास कार्यरुका

हुआ है। समिति का मानना है कि एक अलग कंपनी स्थापित किए जाने के लिए जो कारण बताए गए हैं, वे आश्वत करते प्रतीत नहीं होते हैं।समिति का संभवत: यह मत है कि कोयला ब्लॉकों/खनन के विकास के व्यवसाय को मुख्य कंपनी से अलग करने से अंततः कंपनी के मूल्यांकन में कमी आएगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि उपरोक्त कारकों को, विशेष रूप से नई कंपनी के निर्माण के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए, एनटीपीसी को इन कोयला ब्लॉकों/खानों को अपने दम पर विकसित करने की संभावना तलाशनी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो एक इन कोयला ब्लॉकों/खानों के विकास से विशेष रूप से निपटने के लिए एनटीपीसी संगठन के भीतर अलग से विभाग/स्कंधसृजित किए जा सकते हैं।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ने अगस्त, 2017 में एनटीपीसी के कोयला व्यवसाय को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अलग करने के लिए व्यावसायिक मामले का आकलन करने हेतु एक सलाहकार मैसर्स पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया था। पीडब्ल्यूसी ने अक्टूबर 2017 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, कोल व्यवसाय के होने के विभिन्न गुणों जैसे ईंधन सुरक्षा, केंद्रित प्रबंधन, भविष्य के लिए तत्परता और शेयरधारक के मूल्य में वृद्धि आदि को इंगित किया था। एनटीपीसी ने उचित विचार-विमर्श के बाद एनएमएल का गठन किया।

जहां एनटीपीसी खानों को एनएमएल को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहा है, वहीं विकास गतिविधियां भी एनटीपीसी द्वारा साथ-साथ की जा रही हैं।

एनटीपीसी के खनन व्यवसाय को अलग कोयला खनन विभाग द्वारा देखा जा रहा है, जो विद्युत उत्पादन कार्यों से स्वतंत्र है और इसका नेतृत्व निदेशक (वाणिज्यिक) करते हैं। निदेशक (वाणिज्यिक) एनटीपीसी को आवंटित कोयला खदानों के नामित स्वामी भी हैं।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

अनुसंधान एवं विकास - पेटेंट और प्रतिलिप्यधिकार

सिफारिश (क्रम संख्या-53)

समिति एनटीपीसी के अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और प्रक्रिया के लिए पेटेंट और प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिए इसकी सराहना करती है। समिति नोट करती है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान, एनटीपीसी को 21 पेटेंट और 09 प्रतिलिप्यधिकार प्रदान किए गए थे। जिन उत्पादों के लिए पेटेंट दिए गए हैं, उनमें फ्लाई ऐश आधारित डिटर्जेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में उपयोग के लिए एडिटिव, कोयला वैगनों के प्रेशराइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम की एयर रिलीज के साथ लगे लॉकिंग सिस्टम, बायो फ्रूट का उपयोग करके बायो-डीजल का उत्पादन, मैगनेटिक बॉयलर ट्यूब केसेंसिंग डिफेक्ट्स के लिए डिफेक्टो स्कोप, एचवी ट्रांसफार्मर के स्थिति आकलन के लिए एक पद्धतिआदि शामिल है। इसी प्रकार, कार्य की प्रकृति जिसके लिए एनटीपीसी को प्रतिलिप्यधिकार दिए गए हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर ट्रिना-एक्सएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिग्नल फॉल्ट डिटेक्शन प्रणाली (स्मार्ट सिग्नल एनालाइजर), रियल टाइम जीसीवी, विद्युतसंयंत्रनिष्पादन मूल्यांकनकर्ता (पी3ई), केमनालिजर, आदि है। समिति ने एनटीपीसी की अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए पेटेंट और प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिए सराहना करते हुए, पिछले 10 वर्षों के लिए ऐसे पेटेंट और प्रतिलिप्यधिकार के माध्यम से अर्जित वर्षवार राजस्व और इस तरह के पेटेंट और प्रतिलिप्यधिकार का उपयोग करके एनटीपीसी में विभिन्न प्रक्रियाओं बचाए गए धन से भी अवगत होने की इच्छा व्यक्त की।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

1. नेत्रा एनटीपीसी का डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त 'इन हाउस आर एंड डी सेंटर' है। अतः, डीएसआईआरके नियमों के अनुसार, नेत्रा की आर एण्ड डी पहल का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है।

2. नेत्रा मुख्य रूप से निम्नलिखित में रत हैं :

i. भविष्य की चिंताओं को दूर करने वाली प्रक्रिया/संयंत्रों को विकसित करना, डिजाइन करना और स्थापित करना उदाहरण के लिए सीओ2 कैप्चर, सीओ2 से हाइड्रोकार्बन आदि और

ii. विद्युत संयंत्रों के समस्याग्रस्त क्षेत्रों को कम करना और इस तरह व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार करना।

एक बार विकसित और प्रदर्शित होने के बाद, इसकी प्रतिकृति नेत्रा द्वारा नहीं बनाई जाती है - और इसलिए ऐसी गतिविधियों के लिए प्राप्त लाभों के मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

3. सामान्य प्रकृति के आईपीआर के लिए व्यावसायीकरण और राजस्व सृजन के तौर-तरीकों पर कार्य किया जा रहा है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

अध्याय-चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किए है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है ।

सिफारिश (क्रम संख्या-3)

समिति ने नोट किया कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में दिए गए निदेशक मंडल (बीओडी) की संरचना यह दर्शाती है कि सात स्वतंत्र निदेशकों में से चार सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता अन्य विशेषताओं में है, जैसे भौतिकी, गणित, भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान और केवल एक स्वतंत्र निदेशक के पास ही ताप-विद्युत की डोमेन विशेषज्ञता है और ऐसा लगता है कि किसी भी स्वतंत्र निदेशक को 'पर्यावरण' विषय में कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं है। पर्यावरण में विषय विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति बोर्ड की 26 जून, 2006 को हुई 288वीं बैठक में लिए गए बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध जाती है, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एनटीपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा जिनकी इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता होनी चाहिए अर्थात (i) अर्थशास्त्र (ii) मानव संसाधन प्रबंधन, (iii) नियामक ढांचा, (iv) विनिर्माण क्षेत्र से प्रख्यात उद्योगपति, (v) प्रबंधन सलाहकार, (vi) पर्यावरण, (vii) वित्त और बैंकिंग , (viii) ऊर्जा और शक्ति, (ix) शिक्षाविद (x) अनुसंधान और विकास। वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 और 2019-20 में निहित निदेशक मंडल की नवीनतम संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह सेवानिवृत्त सिविल सेवकों से भरा हुआ है, जिनके पास स्पष्ट रूप से आवश्यक क्षेत्रों में कोई विषय विशेषज्ञता/क्षेत्र-विशेष की क्षमता नहीं है।इस प्रकार, बोर्ड की 26 जून, 2006 को आयोजित 288वीं बैठक में पारित किए गए बोर्ड के संकल्प के विरुद्ध ऐसे सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को लेकर स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरा गया, जिनके पास क्षेत्र-विशेष की क्षमता/विषय विशेषज्ञता नहीं है, और साथ ही यह कंपनी के व्यावसायिक और वाणिज्यिक विकास के भी विरुद्ध है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाजार में पेशेवरों की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है, समिति सिफारिश करती है कि एनटीपीसी बोर्ड की बैठक में

ही निर्णय के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के पदों को आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों से ही भरा जाए।

सरकार का उत्तर

लोक उद्यम विभाग का उत्तर

जहां तक 'पर्यावरण' के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का संबंध है, यह बताया जाता है कि श्री विनोद कुमार, पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी को अक्टूबर, 2017 से अक्टूबर, 2020 तक एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने सेवाकाल के दौरान, श्री विनोद कुमार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक, ओडिशा वन विकास निगम लिमिटेड के एमडी, मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक आदि जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें वन/पर्यावरण/ वन संबंधित मुद्दों की निकट समझ/ज्ञान शामिल था। अत:एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री विनोद कुमार थे, जिन्हें 'पर्यावरण' के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति माना जा सकता है। आगे यह बताया जाता है कि सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से आते हैं और इसलिए विद्युत मंत्रालय को डीपीई को नामों का पैनल प्रस्तुत करते समय उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया जा सकता है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

टीपीपी को ईंधन की आपूर्ति - सूत्र की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम संख्या-30)

समिति ने नोट किया कि एनटीपीसी द्वारा संचालित टीपीपी को ईंधन की आपूर्ति कोयला उत्पादकों जैसेकोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगीकंपनियों तथासिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के साथ किए गए दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति समझौतों (सीएसए) के माध्यम से की जा रही है, जो हर पांच साल के बाद समीक्षा के प्रावधान के साथ 20 साल के लिए वैध हैं। समिति को सौंपी गई जानकारी के समिति के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए -

i.एसीक्यू का भौतिकीकरण 2015-16 में 91.0% की परिधि में था जब इसे 145.18 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) एमएमटी कोयला प्राप्त हुआ था जबकि इसकी तुलना में 2012-13 में एसीक्यू 159.20 एमएमटीऔर 105% था जब इसे एसीक्यू135.89 के मुकाबले 142.40 एमएमटी कोयला प्राप्त हुआ।

ii. एनटीपीसी द्वारा उपरोक्त (i) (क) से (च) में उल्लिखित स्रोतों के माध्यम से कोयले की कुल घरेलू प्राप्ति 2010-11 में 126.72 एमएमटी से बढ़कर 2019-20 में 172 एमएमटी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम आयात हुआ है जिसमें 2010-11 में 10.50 एमएमटी से2019-20 में 2.84 एमएमटी तक की गिरावट देखी गई है। ।

iii. कोयले की कमी (घरेलू आपूर्ति और आयात दोनों को ध्यान में रखते हुए) के कारण उत्पादन हानि 2012-13 में 12,966 मिलियन यूनिट (एमयू) से लेकर 2015-16 में 189 एमयू तक थी। वर्ष2018-19 और 2019-20 में कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि क्रमशः 8,180 और 6,656 एमयूरही है।

iv.एनटीपीसी की अपनी खानों से आबद्धकोयले का उत्पादन 2016-17 में 0.09 एमएमटी से बढ़कर 2019-20 में 9.92 एमएमटी हो गया है।

समिति ने नोट किया कि सीएसए का खंड 3.6.1 एसीक्यू की तुलना में गैर-भौतिकीकरण या कम आपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान करता है। प्रयोग में लाए गए सूत्र से पता चलता है कि कोयले की मात्रा, जिसकी विक्रेता द्वारा वर्ष के दौरान आपूर्ति नहीं की जा सकती थी क्योंकि रेलवे इस तथ्य के बावजूद द्वारा वैगनों को आवंटित नहीं कर रहा था या लदान के लिए वैगन नहीं रख रहा था कि क्रेता द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के संदर्भ में विक्रेता द्वारा रेलवे को विशिष्ट वैध मांगपत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, को कोयले की कम आपूर्ति के लिए दंड लगाने का कारण नहीं माना जा सकता है। दूसरे

शब्दों में, कम वितरण के लिए मुआवजा सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ही लागू होता है। समिति का विचार है कि यह अनुचित है क्योंकि वैगनों का आवंटन न करने और लदान के लिए वैगनों को न रखने के कारण कम आपूर्ति होती है जिससे उत्पादन हानि और वित्तीय हानि भी हो रही है। इसलिए समिति सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए वितरण के स्तर की गणना में उपयोग किए जाने वाले सूत्र की समीक्षा करने की सिफारिश करती है ताकि किसी भी पक्षकार को अनुचित वित्तीय और परिचालन संबंधी कठिनाई से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी ने घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन को लागू करने के लिए 12.04.2017 को सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के साथ एक पूरक समझौता किया है। पूरक समझौते के अनुसार, उठान/डिलीवरी के कट-ऑफ स्तर (सीएलएल/सीएलडी) की गणना सभी एनटीपीसी संयंत्रों और संयुक्त उद्यमों के संयुक्त एसीक्यू को ध्यान में रखते हुए सहायक स्तर के आधार पर की जाती है।

एनटीपीसी ने एफएसए की समीक्षा के लिए विभिन्न संचारों के माध्यम से सीआईएल से एनटीपीसी स्तर पर समेकित एसीक्यू आधार पर कम डिलीवरी/उठान के लिए मुआवजे की गणना करने का अनुरोध किया है।

2018 के दौरान सीआईएल द्वारा तैयार किए गए फ्लेक्सी एफएसए में, एनटीपीसी ने प्रस्तावित किया था कि मानित डिलीवर की गई मात्रा की गणना के लिए रेलवे फैक्टर (आरएफ) पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एनटीपीसी का रेलवे पर कोई नियंत्रण नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 11.12.2020 को कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालयके बीच एक बैठक में, यह बताया गया कि मार्च 2021 तक निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) और शास्ति समाप्त कर दी गई है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 16 देखें)

फ्लाई एश का निपटान

सिफारिश (क्रम संख्या-37)

समिति नोट करती है कि फ्लाई एश का उत्पादन से अंत्य उत्पाद एक एकीकृत तरीके से निपटान करने के लिए एनटीपीसी की फ्लाई ऐश उपयोग नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने के अलावा उत्पादक प्रयोजनोंके लिए राख के उपयोग को अधिकतम बनाना है।एनटीपीसी नीति में प्रयोक्ता उद्योगों जैसे सीमेंट, आरएमसी आदि को बोली प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाई ऐश की बिक्री की परिकल्पना की गई है और वर्तमान में, फ्लाई ऐश 14 एनटीपीसी स्टेशनों पर मूल्य पर जारी की जा रही है और 10 एनटीपीसी स्टेशनों पर उसे नि:शुल्क जारी किया जा रहा है। सभी एनटीपीसी स्टेशनों पर पॉन्ड एश नि:शुल्क जारी की जाती है। एनटीपीसी नीति में फ्लाई ऐश ईंट निर्माण इकाइयों और एनएचएआई और राज्य सरकारों की सड़क परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी द्वारा राख के परिवहन की लागत कोवहन करने की परिकल्पना की गई है। एनटीपीसी नीति में नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ईंट विनिर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर 1रु/एमटी की दर से कम-से-कम 20% फ्लाई एश की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। समिति के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि फ्लाई एश का उत्पादन जो 2015-16 में 588.28 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था, वह 2019-20 में बढ़कर604.76 एलएमटी हो गया है और इस प्रकार पांच वर्षों में केवल 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।तथापि, ताप-विद्युत उत्पादन क्षमता जो मार्च, 2016 के अंत में 35,085 मेगावाट थी, मार्च, 2020 के अंत में बढ़कर 44,610 मेगावाट हो गई, अर्थातइसी अवधि के दौरान इसमें27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसी अवधि के दौरान तापीय उत्पादन क्षमता में 27% की वृद्धि होने की बावजूद राख केउत्पादन मेंमात्र 2.7% की वृद्धि ही कैसे हुईहै। इसलिए समिति समानअवधि

के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि और फ्लाई ऐश उत्पादन के बीच मेल न होने के कारणों से अवगत होना चाहेगी।इसके अलावा, समिति एनटीपीसी को अपने ताप विद्युत संयंत्रों की विभिन्न इकाइयों में उत्पन्न फ्लाई एश के निपटान में उच्च राजस्व प्राप्ति की संभावना का पता लगाने के लिए सुझाव देना चाहती है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी स्थानीय अधिकारियों और क्षेत्र केनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करते हुए, निकटतम थर्मल पावर स्टेशनों से फ्लाई एश का उपयोग करते हुए ईंटों, टाइलों, ब्लॉक आदि के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

एनटीपीसी स्टेशनों पर 2015-2016 से 2020-21 तक राख उत्पादन इस प्रकार है:

वर्ष	फ्लाई ऐश उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	बिजली का उत्पादन (एमयू)
2015-16	588.275	230636
2016-17	584.60	237964
2017-18	603.13	252356
2018-19	602.20	262475
2019-20	604.76	249708
2020-21	624.68	260431

राख का उत्पादन कोयले की खपत और कोयले में राख की मात्रा पर निर्भर करता है। वर्ष के विभिन्न समयों पर प्राप्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा में भिन्नता के कारण बिजली उत्पादन क्षमता और राख उत्पादन में मामूली तौर पर सामंजस्य का अभाव होता है।

वर्तमान में 15 स्टेशनों से फ्लाई ऐश की बिक्री की जा रही है। एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में 171.72 करोड़ रुपये जो कि 2019-20 में अर्जित राजस्व (162.49 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 7% अधिक अर्जित किया है।पिट हेडस्टेशनों पर ऐश (राख) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसका कोई खरीदार नहीं है क्योंकि सीमेंट संयंत्र शहरी केंद्रों के पास स्थित हैं, जो इन विद्युत स्टेशनों से दूरहै| तथापि, स्टेशन जहां भी संभव हो फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 19 देखें)

अध्याय-पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

समझौता ज्ञापन - लक्ष्यों की प्राप्ति

सिफारिश (क्रम संख्या-5)

समिति नोट करती है कि एमओयू के लक्ष्य लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, समझौता ज्ञापन के लक्ष्य पिछले 5 वर्षों के रुझानों, पिछले वर्ष की अनुमानित उपलब्धियों, वार्षिक योजना और बजट और बिजली क्षेत्र और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में प्रचलित परिदृश्य जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय और एनटीपीसी के परामर्श से डीपीई द्वारा एमओयू लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाता है। समिति को यह जानकर प्रसन्न है कि एनटीपीसी ने वर्ष 2019-20 के दौरान कैपेक्स, बिलियन यूनिट (बीयू) में बिजली उत्पादन और कोयला उत्पादन के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया है।प्रचालनों से प्राप्त राजस्व के संबंध में, प्राप्त लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा कम था। वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू मापदंडों पर प्रगति के संबंध में, इसकी पाकरी बरवाडीह आबद्ध कोयला खदान में मुआवजे और पुनर्वास और पुनर्वास लाभों के मुद्दे पर ग्रामीणों द्वारा खनन कार्यों को रोकने के कारण और कोविड-19 के कारण दुलंगा खदानों में कम कोयला उत्पादन के कारण भी कोयला उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, एनटीपीसी द्वारा कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रकार, अन्य समझौता ज्ञापन लक्ष्यों अर्थात राजस्व, सीएपीईएक्स और बिजली उत्पादन की मार्च 2021 तक प्राप्ति हो जाने की संभावना है। समिति को आशा है कि एनटीपीसी वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू के तहत निर्धारित लक्ष्यों को भी हासिल करने में सक्षम होगा, जैसा कि पिछले वर्षों में यह उनके द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किया गया था। तथापि, समिति को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

2020-21 के लिए एमओयू के लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ओएनजीसी के साथ पृथक कंपनी और जेवी का गठन

सिफारिश (क्रम संख्या-11)

समिति को यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार द्वारा निर्धारित आरई लक्ष्यों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए; एनटीपीसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 07.10.2020 को एक नई कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) को शामिल किया है। इसके अलावा, एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ संयुक्त उद्यम अर्थात ओएनजीसी एंड एनटीपीसी आरई लिमिटेड का गठन किया है, जिसमें तटवर्ती पवन परियोजनाओं सहित भारत और विदेशों में आरई परियोजनाएं शामिल हैं। समिति जेवी द्वारा बनाई गई व्यवसाय योजना और व्यवसाय योजना के कार्यान्वयन में अब तक की गई वास्तविक प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ओएनजीसी के साथ संयुक्त उद्यम : ओएनजीसी के साथ 21.05.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ओएनजीसी के अनुरोध के आधार पर, नीति आयोग और दीपम से मंजूरी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

द्वारा संयुक्त उद्यम समझौते (जेवीए) को अग्रेषित किया गया है। निकट भविष्य में मंजूरी मिलने की आशा है।
ओएनजीसी द्वारा अपतटीय पवन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्श प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

सौर ऊर्जा के लिए घरेलू विनिर्माण आधार की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम संख्या-13)

समिति नोट करती है कि निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रमुख विकासकर्ता दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन से 75% सौर मॉड्यूल का आयात कर रहे हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के सौर ऊर्जा विकासकर्ता जैसे एनटीपीसी अपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए घरेलू सौर उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भर हैं। एनटीपीसी ने 610 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली अनाथपुरम, भादला और मंदसौर में अपनी प्रमुख सौर परियोजनाओं के लिए घरेलू स्तर पर सौर सेल, मॉड्यूल, संरचनाएं, इनवर्टर, बैलेंस ऑफ सिस्टम्स (बीओएस) जैसे केबल, ट्रांसफॉर्मर आदि की आपूर्ति की है। इसी तरह, सीपीएसयू योजना के तहत विकसित की जा रही सभी सौर परियोजनाओं के लिए ये उपकरण भी घरेलू निर्माताओं से मंगवाए जा रहे हैं। समिति का मानना है कि एक तरफ आयात पर अत्यधिक निर्भरता आपूर्ति में व्यवधान का संभावित जोखिम पैदा करती है और वहींदूसरी तरफ यहघरेलू विनिर्माण को हतोत्साहित करती है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत, देश में सौर ऊर्जा में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सेल, सौर मॉड्यूल, संरचनाओं, इनवर्टर, बैटरी और अन्य उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता को साथ-साथ निर्मित किए जाने की आवश्यकता है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अगले दो दशकों के लिए स्पष्ट व्यावसायिक दृश्यता है और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रूपांतरण अपरिवर्तनीय है जिससे निर्माताओं के लिए बड़े अवसर पैदा हो रहे हैं, समिति यह भी सिफारिश करती है कि भारत में सरकार द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों द्वारा बनाए गए अवसर का लाभ उठाने के लिए निश्चित समय सीमा के साथ सौर ऊर्जा

उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

विद्युत मंत्रालय और एमएनआरई संयुक्त रूप से विद्युत उपकरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विनिर्माण क्षेत्रों पर एक योजना का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस संबंध में एक व्यय वित्त समिति (ईएफसी) नोट सभी संबंधित मंत्रालयों/संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, सरकार द्वारा निर्धारित नवीकरणीय लक्ष्यों द्वारा सृजित अवसर का लाभ उठाने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर भारत में सौर उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतिम ईएफसी नोट तैयार किया गया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

भुगतान गारंटी तंत्र

सिफारिश (क्रम संख्या-21)

समिति ने नोट किया कि विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और आरबीआई के साथ त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक की वसूली सीधे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के खाते से की जा सकती है। एनटीपीसी ने सूचित किया है कि 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 ने टीपीए पर इस हस्ताक्षर किए हैं तथा महाराष्ट्र और पंजाब के साथ टीपीए पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। समिति, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन दोनों राज्यों को टीपीए तंत्र में शामिल करने के लिए दो साल से अधिक समय से चर्चा चल रही है, यह सिफारिश करना चाहेगी कि इन दोनों राज्यों को टीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रभावी ढंग से राजी करने की आवश्यकता है और इसके लिए विद्युत मंत्रालय

(एमओपी) को जल्द-से-जल्द टीपीए प्रणालीमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

जहां तक महाराष्ट्र और पंजाब से लंबित त्रिपक्षीय समझौता (टीपीए) का संबंध है, दोनों राज्यों को टीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया जा रहा है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

एनटीपीसी समूह की कंपनियों के लिए भुगतान गारंटी तंत्र लागू न होना

सिफारिश (क्रम संख्या-23)

समिति ने देखा है कि एनटीपीसी समूह की कंपनियों जैसे एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एनटीईसीएल) और कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल) विशाल देनदार हैं और डिस्कॉम्स को नियमित रूप से अनुरोध करने के बावजूद ये कंपनियां समय पर अपना बकाया वसूल नहीं कर पा रही हैं। एनटीपीसी समूह की कंपनियों पर टीपीए लागू नहीं होता है। समिति नोट करती है कि एनटीपीसी ने उपरोक्त दो समूह कंपनियों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डिस्कॉम द्वारा जेवी कंपनियों को भुगतान की जाने वाली एक बड़ी बकाया राशि मौजूद है और एनटीपीसी जेवी कंपनियों पर टीपीए भी लागू नहीं है, समिति सिफारिश करती है कि-

i. मंत्रालय को इस मुद्दे को डिस्कॉम और संबंधित राज्य सरकारों के साथ गंभीरता से उठाना चाहिए और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रमों की लंबित बकाया राशिका भुगतान करने के लिए निरंतर उसकी निगरानी करनी चाहिए;

ii. एनटीपीसी समूह की कंपनियों द्वारा संचालित संयंत्रों को भुगतान गारंटी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए टीपीए का विस्तार करने की संभावना का पता लगाया जाए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय का उत्तर

चूककर्ता डिस्कॉम्स/राज्यों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी कदमों का पता लगाया जा रहा है, जिसमें डिस्कॉम द्वारा प्राप्त राजस्व से भुगतान के लिए डिस्कॉम के साथ कठोर अनुवर्तन, राज्य सरकार से डिस्कॉम द्वारा प्राप्त सब्सिडी, पीएफसी और आरईसी के माध्यम से तरलता इन्फ्यूजन (भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना के तहत) और राज्य के खाते से सीधे भुगतान के माध्यम से प्राप्ति शामिल है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं.13/3/2021-टीएच.।। दिनांक 26 अगस्त, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(देखें प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 13)

नई दिल्ली
<u>24 जनवरी, 2022</u>
04 माघ, 1943 (शक)

संतोष कुमार गंगवार
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अनुबंध-एक

F.No.8/4/2020-Th.1

Government of India

Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,

New Delhi dated the 4th August 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Appointment of Non-Official Directors on the Board of NTPC Limited

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to say that presently NTPC Limited's Board comprises six functional Directors including CMD, two Official Part-Time Directors (Govt. Nominee Directors).

2. NTPC being a Listed Company needs fifty percent of its Board comprising Independent Directors. As on date, NTPC needs appointment of 8 more Independent Directors including one Women Independent Director on its Board to be compliant with the SEBI (LODR) Regulations & the DPE Guidelines on Corporate Governance.

3. A panel containing names of three times the vacancy (i.e. 24 persons) along with 4 sets of bio-data of the recommended persons regarding appointment against the **08 posts** of Independent Directors including one Women Independent Director on the Board of NTPC is enclosed at **Annexure**.

4. It is requested that the above proposal be placed before the Search Committee for selection of eight Independent Directors including one women Independent Director on the Board of NTPC Limited.

5. The proposal has the approval of Hon'ble Minister for Power and RE.

Encl. As above

(Anoop Singh Bisht)
Under Secretary to the Government of India
Tele: 011-23730264

Department of Public Enterprises,
[Kind Attn: Shri Sanjay Kumar Jain, Joint Secretary]
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises,
Block No 14,CGO Complex, New Delhi-110003

Panels containing names of thirty-nine persons along with 4 sets of bio-data of the recommended persons, against the 08 posts (6 existing+2 anticipated) of Independent Directors including one women Independent Director on the Board of NTPC Limited.

Sr. No.	**Name**	**Particulars**	**Date of Birth**	**Qualification, Specialization & Experience (In brief)**
1	Smt Sudha Krishnan	Member Finance Space Commission/ Atomic Energy Commission (Retd)	16-11-1960	**Qualification:** B.A. (English), MASTERS (English), MASTERS (Public Administration) **Experience:** RETIRED Member (Finance) from Department of Space
2	Shri Ajeet Kumar Agarwal	Ex-CMD & Director (Finance) REC Ltd.	30-05-1960	**Qualification:** B.Com. (H), CA (FCA), Management Information Systems **Experience:** RETIRED CMD & Director Finance, REC

3.	Shri Satyajeet Rajan	Addl. Chief Secretary, Govt. of Kerala (Retd.)	26-03-1961	**Qualification**: FCMA, PGDM, B.Sc. **Experience:** RETIRED Addl. Chief Secretary, Govt. ofKerala
4.	Shri Anil Kumar	Addl. Chief Secretary, Govt. of Haryana (Retd.)	05-06-1959	**Qualification**: B.Tech. (Mech.), M. Tech (Mech.), LL.B, LL.M., MA **Experience**: RETIRED Addl. Chief Secretary, Govt. of Haryana

5.	SHRI RAVI CAPOOR	SECRETARY, MINISTRY OF TEXTILES (RETD.)	23-12-1960	**Qualification**:B.Com/MBA **Experience**: RETIRED Secretary, Ministry of Textiles

6.	Shri Prem Kumar Gera IAS (Retd.)	Managing Director, Gujarat Alkalies and Chemicals Limited Vadodara	26-11-1959	**Qualification**: B.Sc. in Electricall Engineering, M.Sc in Public Economy Management and M.Phil in Strategic Defence Studies **Experience**: Managing Director, Gujarat Alkalies and Chemicals Limited Vadodara
7.	ShriJ.S.Deepak	Former Ambassador at Permanent Mission of India to The WTO	16-07-1958	**Qualification**: BSc, MSc (Electronics) and MBA (Finance & Marketing) **Experience**: Former Ambassador at Permanent Mission of India to The WTO
8.	Dr. Shailendra Kumar Joshi, IAS (Retd)	Retired From IAS as the Chie Secretary of the Government of Telangana	20-12-1959	**Qualification**: Bachelor of Engineering, Master of Technology and Doctor of Philosophy in Public Policy **Experience**: Retired From IAS as the Chief Secretary of the Government of Telangana

9.	Smt Rajni Sekhri Sibal	Retired Secretary, Department of Fisheries	12-02-1960	**Qualification**: BSc, Masters of Psychology And Masters of Economics
10.	Shri Avinash K Srivastava	Retired Secretary to Government of India, Department of Consumer Affairs	23-01-1960	**Qualification**: Graduate (Electrical Engineering),Graduate(Mechanical Engineering) and Post Graduate in Financial Management **Experience**: Retired Secretary to Government of India, Department of Consumer Affairs
11.	Shri Alok Kumar	Retired from IAS asChief Secretary, Assam	01-01-1960	**Qualification**: MSc (Geology) And MBA **Experience**: Retired from IAS as Chief Secretary, Assam
12.	Smt Neena Kumar	Retired as Member CBDT	30-09-1959	**Qualification**: BA (English Hons), MA (English) And MBA **Experience**: Retired as Member CBDT

13.	Shri Naveen Verma	IAS (Retired) as Secretary of Ministry of Development of Northeastern Region to Government of India	06-02-1959	**Qualification**: BA (Hons) In Economics, MA(Economics) and MBA(Project Based) **Experience**: IAS (Retired) as Secretary of Ministry of Development of North Eastern Region to Government of India
14	Smt Rashmi Verma	IAS (Retired) as Secretary, Ministry of Tourism, Government of India	28-11-1958	**Qualification**: BA(Hons) In Politica IScience, MA (Political Science), M.Phil (Political Science), Mba and M.Phil (Public Administration) **Experience**: IAS (Retired) as Secretary, Ministry of Tourism, Government of India
15.	Shri Atul Sobti	Former Chairman And Managing Director, Bharat Heavy Electricals	20/06/1959	**Qualification**: BE (Hons) In Mechanical Engineering, Diploma In Project Management and Diploma In International Management

		Ltd		**Experience**: Former Chairman and Managing Director, Bharat Heavy Electricals Ltd
16.	Shri Shishir Kumar Mishra, IPS (Retd.)	Retired Director General of Police, Chairman Cum MD, J&K PoliceHousing Corporation	28/02/1959	**Qualification**: BSc(Hons) In Geology, MSc (Applied Geology), M.Phil (Social Science)and Diploma In Public Administration **Experience**: Retired Director General of Police Chairman Cum MD, J&K PoliceHousing Corporation
17.	Shri Ajay Narayan Jha, IAS (Retd.)	Retired as Member Secretary, Finance Commission	15/01/1959	**Qualification**: B.A. (Hons.) in History, M.A. (History), PG in Executive Development **Experience**: Retired as Member Secretary, Finance Commission

18.	Shri C.K. Mishra, IAS (Retd.)	Retired as Secretary, MoEF &CC	16/05/1960	**Qualification**: B.A. in History, PG Diploma in Law **Experience**: Retired as Secretary, MoEF & CC
19.	Shri Sanjay Mitra, IAS (Retd.)	Retired as Secretary, Ministry of Defence	06/05/1959	**Qualification**: B.Sc. in Physics, PG in Physics, Economics and Public Administration. **Experience**: Retired as Secretary, Ministry of Defence.
20.	Shri Ravi Kant, IAS (Retd.)	Retired as Secretary, Department of ExServicemen Welfare, Ministry of Defence	02/06/1961	**Qualification**: B.Sc. (Hons.) in Physics, M.Sc. in Physics. **Experience**: Retired as Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence.
21. 22.	Shri Rabindra Panwar, IAS (Retd.)	Retired as Secretary, Ministry of Women & Child Development	29/04/1960	**Qualification**: B.Sc. in Chemistry ,M.Sc.in Botany, MA in Governance Development. **Experience**: Retired as Secretary, Ministry of Women& Child

				Development.
	Shri Praveen Kumar, IAS (Retd.)	Retired as Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship	23/06/1961	**Qualification**: B.Tech. in Metallurgy, M. Tech. in Metallurgy, MA in Public Administration, Diploma in Business Administration, M.Phil in Safety Engg. **Experience**: Retired as Secretary, Ministry of Skill Development Entrepreneurship.

23.	Shri Pravjn Srivastava, IAS (Retd.)	Retired as Chief Resident Commissioner, Government of Tripura	22/05/1957	**Qualification**: B.A. (Hons.) in Economics, M.A. in Economics. **Experience**: Retired as Chief Resident Commissioner, Government of Tripura
24.	Shri Neeraj Kumar Gupta, IAS (Retd.)	Retired as Secretary, DIPAM, Ministry of Finance	19/04/1958	**Qualification**: BE(Electronics). **Experience**: Retired as Secretary, DIPAM, Minister of Finance

परिशिष्ट-एक

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2021-2022) की उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1515 बजे तक कमरा सं. '147', तृतीय तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

<u>उपस्थित</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री रामदास तडस

<u>राज्य सभा</u>

10. श्री के.सी. राममूर्ति
11. श्री एम. शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - अपर सचिव
2. श्री जी.सी. प्रसाद - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया जिसका आयोजन निम्नलिखित चार प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार करने और स्वीकार करने हेतु किया गया है:-

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(ii) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(iii) भारतीय खाद्य निगम से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(iv) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

3. तत्पश्चात समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों पर एक-एक करके विचार किया और बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया । तदुपरांत समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

परिशिष्ट-दो

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखें)

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	56
दो.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है [देखें सिफारिशें]	46
	[देखें क्रम सं. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 और 56]	
	कुल का प्रतिशत	82.14
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है।	2
	[देखे क्रम सं. 31 और 53]	
	कुल का प्रतिशत	3.57
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किए है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है ।	3
	[देखे क्रम सं. 3, 30 और 37]	
	कुल का प्रतिशत	5.36
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं ।	5
	[देखे क्रम सं. 5, 11, 13, 21, और 23 पर सिफारिशें]	
	कुल का प्रतिशत	8.93